

विषयक्रम

CONTENTS

	पृष्ठ Page
अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	04
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	08
वर्ष 2007-08 के लिए लेखा Accounts for 2007-08	30
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	76
नि.एवं म.ले.प. की टिप्पणी Comments of the C&AG	108

महत्वपूर्ण अधिशासीगण

श्री के. एस. राजशेखर राव

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री एस. हनुमंत राव

निदेशक (कार्मिक)

श्री यू. विष्णुमूर्ति

निदेशक (वित्त)

श्री वाई.एस. मय्या

निदेशक (तकनीकी)

डॉ. पी.वी. आनंद मोहन

कार्यपालक निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.पी. चागंटी

कार्यपालक निदेशक (सीआर एंड डी/आरआईडी)

एवं मुख्य तकनोलोजी अधिकारी

श्री एन.एस.एस. प्रसाद राव

कार्यपालक निदेशक (प्रतिरक्षा परियोजना एवं विपणन)

श्री प्रकाश चन्द्र

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एस. दासगुप्ता

महा प्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग)

श्री एम.जी. पाटणकर

महा प्रबन्धक (एससीएडीए एवं नियंत्रण

तथा उपकरणीकरण प्रभाग)

श्री वी. वेंकट राव

महा प्रबन्धक (कंट्रोल एवं आटोमेशन प्रभाग तथा फैक्टरी मैनेजर)

श्री शिवकुमार नोरी

महा प्रबन्धक, (वित्त)

श्री डी.ए. राव

प्रमुख (इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं सेवा प्रभाग)

श्री वी. सत्यनारायण

प्रमुख (दूरसंचार प्रभाग एवं केएमडी)

श्री सुदेश चन्दर

प्रमुख (विशेष उत्पाद प्रभाग एवं संघटक प्रभाग)

श्री जी. साई रेड्डी

प्रमुख, (उपकरण एवं प्रणाली प्रभाग)

श्री सीएच. वीआरएस गोपालकृष्ण

प्रमुख, (एंटिना प्रोडक्ट एवं सैटकॉम प्रभाग)

श्री जी. फणीन्द्रनाथ

प्रमुख, (संचार प्रभाग)

श्री पी. सुधाकर

स्थानापन्न प्रमुख, (सामरिक इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग)

श्री केपीआर नायडु

स्थानापन्न प्रमुख, (रेडिएशन डिटेक्टर्स एवं उपकरण प्रभाग)

श्री ए. कामेश्वर राव

स्थानापन्न प्रमुख (सर्वो प्रणाली प्रभाग)

श्री आर.जे. राम

अपर महा प्रबन्धक (उपकरण एवं प्रणाली प्रभाग) एवं प्रभारी, सीपीपीएम

श्री पी. विश्वनाथ

अपर महा प्रबन्धक (सीएडी)

श्री टी. राजा मन्नार

स्थानापन्न प्रमुख, (रेडिएशन डिटेक्टर्स एवं उपकरण प्रभाग)

श्री सीएच. विश्व प्रकाश राव

स्थानापन्न प्रमुख, (मैक्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग)

श्री बी. भास्कर राव

स्थानापन्न प्रमुख, (प्रणाली एवं गुणवत्ता आश्वासन वर्ग)

श्री आर. ओम प्रकाश

स्थानापन्न प्रमुख (कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रभाग)

श्री बी. नरसय्या

स्थानापन्न प्रमुख (इंजीनियरिंग सर्विसेस डिवीजन)

श्री वि.श्री. मूर्ति

वरिष्ठ उप महा प्रबन्धक (विधि एवं कंपनी सचिवालय)

शाखाएँ

कर्नल आर. के. भनोत

अधिशासी निदेशक (व्यवसाय विकास) एवं

ऑचलिक प्रबन्धक (उत्तर), नई दिल्ली

श्री डी.एस. कुलकर्णी

ऑचलिक प्रबन्धक (पश्चिम), मुंबई

श्री शंकर डे

उप ऑचलिक प्रबन्धक (पूर्व), कोलकाता

श्री आर. अनबललगन

उप महा प्रबन्धक, चेन्नई

श्री डी.आर. वेंकट सुब्बु

उप महा प्रबन्धक (दक्षिण), बेंगलुरु

लेखा परीक्षक

मेसर्स लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन

सनदी लेखापाल

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इण्डिया

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

बैंक आफ महाराष्ट्र

आन्ध्रा बैंक

बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत, बी.एस.सी.

आईसीआईसीआई बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

KEY EXECUTIVES

SHRI K S RAJASEKHARA RAO

Chairman & Managing Director

SHRI S HANUMANTHA RAO

Director(Personnel)

SHRI U VISHNUMURTHY

Director (Finance)

SHRI Y S MAYYA

Director(Technical)

Dr P V ANANDA MOHAN

Executive Director(Technical)

SHRI S P CHAGANTY

Executive Director(CR&D/RID and Chief Technology Officer)

SHRI N S S PRASADA RAO

Executive Director(Defence Projects & Marketing)

SHRI PRAKASH CHANDRA

Chief Vigilance Officer

SHRI S DASGUPTA

General Manager (Information Technology Division)

SHRI M G PATANKAR

General Manager (Supervisory Control & Data Acquisition Division and Control & Instrumentation Division)

SHRI V VENKAT RAO

General Manager (Control & Automation Division and Factory Manager)

SHRI SHIV KUMAR NORI

General Manager(Finance)

SHRI D A RAO

Head (Electronics Manufacturing & Services Division)

SHRI V SATYANARAYANA

Head (Telecommunications Division & KMD)

SHRI SUDESH CHANDER

Head (Special Products Division & Components Division)

SHRI G SAI REDDY

Head (Instruments & Systems Division)

SHRI CH V R S GOPALAKRISHNA

Head (Antenna Products & Satcom Division)

SHRI G PHANEENDRANATH

Head (Communications Division)

SHRI P SUDHAKAR

Offg. Head (Strategic Electronics Division)

SHRI K P R NAIDU

Offg. Head (Radiation Detectors & Instrumentation Division)

SHRI A KAMESWARA RAO

Offg. Head (Servo Systems Division)

SHRI R J RAM

Addl. General Manager (Instruments & Systems Division and CPPM)

SHRI P VISWANATH

Addl. General Manager(Control & Automation Division)

SHRI T R RAJA MANNAR

Offg. Head (Software Systems & Solutions Group)

SHRI CH. VISWA PRAKASA RAO

Offg. Head (Manufacturing & Engineering)

SHRI B BHASKARA RAO

Offg. Head (Systems & Quality Assurance Group)

SHRI R OM PRAKASH

Offg. Head (Computer Education Division)

SHRI B NARASIAH

Offg. Head (Engineering Services Division)

SHRI V S MURTY

Sr. Deputy General Manager(Law & Company Secretariat)

BRANCHES

Col R K BHANOT

Executive Director (Business Development) & Zonal Manager (North), New Delhi

SHRI D S KULKARNI

Zonal Manager(West), Mumbai

SHRI SANKAR DEY

Dy Zonal Manager(East), Kolkata

SHRI R ANBALAGAN

Dy. General Manager(South), Chennai

SHRI D R VENKATASUBBU

Dy. General Manager (South), Bangalore

AUDITORS

M/s LAXMINIWAS & JAIN

Chartered Accountants

BANKERS

STATE BANK OF INDIA

STATE BANK OF HYDERABAD

BANK OF MAHARASHTRA

ANDHRA BANK

BANK OF BAHRAIN & KUWAIT BSC

ICICI BANK

PUNJAB NATIONAL BANK



अध्यक्ष का वक्तव्य

देवियों और सज्जनों,

मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि कंपनी में पिछले वर्ष में जो गति प्रदान की गयी थी उसे वर्ष 2007-08 के दौरान भी जारी रखी गयी और इसके कार्य निष्पादन में सुधार करते हुए विभिन्न मोर्चों पर स्थिरता लायी गयी। वर्ष में कई घटनाएँ घटी, गणमान्य व्यक्ति जैसे महामहिम भारत के राष्ट्रपति, महामहिम आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री आदि ने ईसीआईएल का दौरा किया। 40 वीं वर्ष का प्रचालन कंपनी के लिये एक नये युग की शुरुआत थी और सरकार से किसी प्रकार के बजटरी समर्थन के बगैर कंपनी ने अपनी वृद्धि कायम रखी। यह वर्ष निष्पादन में समेकन तथा परिपक्वता तथा साथ ही साथ छवि निर्माण का वर्ष साबित हुआ।

वित्तीय रूप से कंपनी ने 1002 करोड़ रुपयों का टर्नओवर प्राप्त किया और इस तरह से लगातार दूसरे वर्ष में भी एक हजार करोड़ रुपयों के चिह्न को पार किया और 201 करोड़ रुपयों का सर्वाधिक लाभ (कर से पहले लाभ) प्राप्त किया। अपने मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी राष्ट्रीय महत्व के आर्थिक तथा सामरिक क्षेत्रों के विशिष्ट क्षेत्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दे रही है। क्षेत्रवार, निवल बिक्री में रक्षा का शेयर 35% के साथ प्रमुख रहा; परमाणु ऊर्जा की आपूर्ति 27% रही जिसमें गत वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि रही; सेवाओं का शेयर 11% तथा शेष में अंतरिक्ष, सुरक्षा तथा अन्य उपयोगी सेगमेंट्स का शेयर रहा। मार्च 2008 के अंत तक पहली बार कंपनी की आदेश पुस्तिका रिकार्ड स्तर का रहा जो 1000 करोड़ रुपयों से अधिक था।

अपने मिशन के अनुसार, प.ऊ.वि. के यूनिटों को सीएंडआई की आपूर्ति, सेना को ब्रह्मोस का सी4आई प्रणाली को सौंपना, मुख्य भूमि से लिंक जोड़ने के लिये अंटार्कटिका में मैत्री स्टेशन पर सेटलाईट संचार प्रणाली की संस्थापना, आईएसआरओ के लूनार मिशन प्रोजेक्ट के लिये 32 मीटर एंटीना प्रणाली का प्रारंभ, मल्टीपरपस नेशनल आईडिन्टी कार्ड (एमएनआईसी) परियोजना का पायलट फेस की समाप्ति, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के लिये विश्वस्तरीय परीक्षण सुविधाओं को स्थापन करना आदि मुहैया कराते हुए कंपनी राष्ट्रीय सामरिक तकनालोजी मूल्यवान प्रौद्योगिकी परिसंपत्ति के रूप में उभरी।

वर्ष के दौरान अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ, आरएपीपी 5 एवं 6 तथा कैगा 3 एवं 4 बिजली संयंत्र के लिये सी एंड आई पैकेजस, पीएफबीआर के लिये सिम्युलेटर्स, एनपीसीआईएल तथा आईजी सी ए आर को विशेष सुरक्षा तथा बयोमेट्रिक फिचर सहित स्मार्ट कार्ड आधारित एक्सेस कंट्रोल प्रणाली, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रेडिएशन डिटेक्टर्स; रेडियो संचार उत्पादों की आपूर्ति, रक्षा मंत्रालय के लिये संयुक्ता तथा दिव्यदृष्टि परियोजनाओं का निष्पादन, एडीए/एचएएल के लिये एंटीना स्टेबिलाइजेशन प्लेटफार्म, भापअके एमएसीई परियोजना के लिये टेलिस्कोप एंटीना का विकास, सामरिक पऊवि के यूनिटों को सुरक्षा प्रणाली, बल्क इनक्रिप्शन प्रणाली एवं इंटरनेट सर्वाइलेन्स प्रणाली शामिल है।

बीईएल. आईटीआई आदि के साथ सामरिक संबंध स्थापित करते हुए अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से तालमेल स्थापित किया गया। अंतरिक्ष, विज्ञान एवं तकनालोजी विभागों के साथ कार्य करने के कारण हमारी प्रतिभा में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय महत्व के परियोजनाओं को भी सहायता पहुँचा सके। कंपनी के कार्य निष्पादन में वृद्धि होने के कारण दूसरे वर्ष भी कंपनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन को “उत्कृष्ट” दर्जा प्राप्त हुआ।

ग्राहक संतुष्टीकरण को विशेष ध्यान देने तथा ईसीआईएल के टीम द्वारा प्रतिबद्ध प्रयासों के कारण हमारे द्वारा स्थापित प्रणालियों के रखरखाव में वृद्धि हुई। यह नोट करते हुए बड़ी संतुष्टि होती है कि हमारे उपकरण गंभीर हालात में भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान नये व्यापार के क्रियाकलापों को आरंभ करते हुए कंपनी समाज में ग्रामीण गरीबों के हित के लिये आईटी तथा अन्य तकनालोजी समाधान मुहैया करा रही है जिससे यह पता चलता है कि कंपनी समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रही है। यह सामाजिक अप्लिकेशन्स मुख्य रूप से तीन विधाओं में है, डिजीटल रेडियोलोजी एवं टेलि रेडियोलोजी प्रणाली जिसमें स्वास्थ्य का देखभाल समाहित है, शिक्षा जिसमें टेली तथा ग्रामीण आईटी शिक्षा समाहित है और किसान हितैषि मार्केट सूचना कियोस्क जो कृषि की सहायता करता है शामिल है। मुख्य रूप से अर्थ व्यवस्था के सामरिक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है पर सामाजिक क्षेत्रों के उत्पाद एवं सेवाओं पर भी जोर देते हुए ईसीआईएल घर घर में अपना नाम रोशन किया।

CHAIRMAN'S STATEMENT

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to state that during 2007-08, the Company maintained the acceleration generated in the previous year, improved its performance and brought in stability in various fronts. The year was quite eventful, marked by the visits of dignitaries like His Excellency the President of India, His Excellency the Governor of AP, the Chief Minister of AP and the Union Minister of State for Human Resources to ECIL. The 40th year of operations was the beginning of a new era for the Company to march ahead in its growth trajectory without seeking any budgetary support from the Government. The year also proved to be a period of consolidation and maturity in operations as well as image building and enhanced visibility.



Financially, the Company achieved a turnover of Rs.1002 cr, crossing the one thousand crore mark for the second year in succession, accompanied by the highest ever profit (PBT) of Rs.201 cr. In line with its prime objective, the Company continued to lay thrust to orient its activities towards fulfilling the needs of select sectors of economic and strategic importance to the Nation. Sector-wise, Defence continued its dominance with 35% share of Net Sales; supplies to Atomic Energy were at 27%, an increase of 8% over the previous year; Services constituted 11% and the balance was shared between Space, Security and other user segments. The Company, for the first time closed the year with a record order book of more than Rs. 1000 crore as at end March, 2008.

Standing by the Mission, the Company proved itself to be a valued technological asset to the Nation in strategic electronics by way of C&I equipment to DAE units, handing over of C⁴I system of BrahMos to Army, establishment of a satellite communication system at Maitri Station in Antarctica to link with mainland, commissioning of 32 meter antenna system for Lunar Mission Project of ISRO, completion of Pilot Phase of Multipurpose National Identity Card (MNIC) Project, establishment of world class test facility for Electronic Energy Meters etc.

Other noteworthy achievements during the year include C&I Packages to RAPP 5 & 6 and Kaiga 3 & 4 Power Plants, Simulators to PFBR, Smart Card based Access Control System with special security and biometric features to NPCIL and IGCAR, Radiation Detectors etc. in the Atomic Energy Sector; supply of Radio Communication products, execution of Samyukta and Divya Drishti projects for Ministry of Defence; Antenna Stabilisation Platforms to ADA / HAL, development of Telescopic Antenna for MACE Project of BARC, Security Systems to strategic DAE units, Bulk Encryption Systems and Internet Surveillance Systems, to mention a few.

Synergy with other PSUs was realised by way of strategic alliances with BEL, ITI etc. Working on frontier technologies in association with Departments like Space, Science & Technology etc. helped sharpen our skills and support nationally important projects with dignity.

The enhanced performance of the Company enabled it to be rated as 'Excellent' in MoU with DAE for the second year in succession.

Customer satisfaction received special attention and committed efforts by Team ECIL resulted in enhanced maintenance support for systems commissioned by us. It is gratifying to note that our equipment continued to perform well in many units even under crisis situations.

Diversifying into new business activities during the year, the Company has been addressing application of IT and other contemporary technological solutions for the benefit of the society, more so to the rural poor that reflect its commitment to Corporate Social Responsibility. These societal applications are in the three prime domains of Healthcare encompassing Digital Radiology Systems and Tele-Radiology, Education comprising

ज्ञान प्रबन्धन को बढ़ावा देते हुए इंडस्ट्री अकादेमिया एसोसिएशन को पालने के लिये कंपनी ने उपयुक्त उपाय शुरू किये । वर्ष के दौरान ज्ञान प्रबन्धन पर जोर देने के कारण युवा इंजीनियरों की कुशलता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए । मानव संसाधन संबंधी बातों पर जोर देने से व्यापार की आवश्यकताओं के लिये आंतरिक मानव संसाधन का पूरी तरह से उपयोग करना सुनिश्चित किया गया । मानव संसाधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने बहुत सारे कर्मचारी कल्याण उपाय संबंधी कार्य किये जिसमें मुख्यतया कर्मचारियों की स्वास्थ्य की देखभाल करना गणनीय रहा ।

यह एक गर्व की बात है कि ईसीआईएल एक आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली) एवं आईएसओ 18001 (आक्युपेशनल हेल्थ एण्ड सेफटी) प्रमाणित कंपनी है । कंपनी में हमने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में विशेष कदम उठाते हुए अन्य अप्लिकेबल गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली के अनु पालन के लिये उचित कदम उठाये गये हैं ।

कंपनी ने वर्ष के दौरान दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किये अर्थात् इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंट्स तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन - 2007 में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिये इन्स्टिट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलि कम्युनिकेशन्स इंजीनियर्स (आईईटीई) से निगमीय पुरस्कार तथा एक्सलेन्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज के लिये इंदिरा गांधी नेशनल मेमोरियल पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यपालक स्वर्ण पुरस्कार)

2008-09 तथा आगे के लिये दृष्टिकोण :

1000 करोड रुपयों की आदेश पुस्तिका के साथ आरंभ करते हुए कंपनी गत छः महिनो के समय में और 600 करोड रुपयों का आदेश प्राप्त किया और वर्ष 2008-09 में लक्ष्यों को पार करने का पूरा विश्वास है । कंपनी पिछले दो वर्षों के विश्वसनीय कार्य निष्पादन के आधार पर “मिनी रत्ना” के लिये सरकारी दिशा निर्देशों को पूरा किया है और वर्ष 2008-09 में ही इसकी मान्यता के लिये प्रक्रिया आरंभ होने की संभावना है ।

प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फर्मों, व्यापारिक संगठनों से स्थापित किये गये मजबूत संबंधों के आधार पर रक्षा मंत्रालय के रक्षा आफसेट नीति के कारण उभरे व्यापारिक अवसरों का कंपनी अवश्य फायदा उठायेगी । वैश्विक लीडरों से अन्य सामरिक संबंध जैसे जल सेना प्लाटफार्मस के लिये नियंत्रण एवं उपकरणकरण, मिसाइल फ्लाईट सिम्यूलैटर्स, जैमर्स एवं साउण्ड रेंजिंग प्रणाली के लिये ग्राउण्ड सप्लाय इक्विपमेंट आदि द्वारा ग्यारहवी योजना अवधि में कार्य निष्पादन में उछाल को प्राप्त करने का उद्देश्य है ।

नवीन भारत-अमेरिका परमाणु संधि से निश्चित रूप से नयी व्यापारिक तथा चुनौतियों की संभावनाएँ बढ़ेंगी और कंपनी को इसका फायदा उठाते हुए और आगे बढ़ना होगा । वर्ष 2008 - 09 में प्रबन्धन इस संबंध में कई पहल करेगा । कार्य निष्पादन के डायनामिक पैरामीटर्स, सेवा कार्य में गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली का कार्यान्वयन साथ ही साथ आण्टिमल प्रभावात्मकता के लिये सिस्टम्स एवं प्रक्रिया को सुदृढ करने हेतु मैं ने विशेष कदम उठाये हैं ।

चालीस वर्षों की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान सभी सफलता के लिये मैं ईसीआईएल टीम के प्रत्येक सदस्य की प्रतिबद्धता को स्वीकार करने में मैं गर्व महसूस करता हूँ । मैं निदेशक मंडल द्वारा लगातार दिये गये सहायता एवं मार्गदर्शन के लिये आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सभी अपने स्टोक होल्डर्स-ग्राहकगण, आपूर्तिकर्ताओं एवं बैंकों जिन्होंने हम पर विश्वास किया और कार्य निष्पादन की ऊँचाईयों को प्राप्त करने में हमारी सहायता की उन सभी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । कंपनी को आगे बढ़ाने में निगमीय प्रबन्धन के सदस्यों के सक्रिय योगदान के लिये मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ ।

मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में ईसीआईएल नई बुलन्दियों को छू लेगा और शीघ्र ही मान्यताएँ जैसे रक्षा “उद्योग रत्न” (आर यू आर) को प्राप्त करेगा ।

के.एस. राजशेखर राव

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

of Tele- and Rural IT education and Agriculture supported by Farmer-friendly Market Information kiosks. While the focus was on serving the strategic sectors of the economy, emphasis was laid on products and services for the social sectors aimed at regaining ECIL as a house-hold name.

The Company also initiated suitable measures to foster Industry-Academia Association aimed at enhancing Knowledge Management. The thrust during the year on Knowledge Management helped us identify the gaps in skill sets; steps to infuse young engineers are in place. HR initiatives taken continue to ensure optimal utilisation of internal manpower for business requirements. In due recognition of the importance of Human Resources, the Company showered a multitude of employee welfare measures during the year and has, in particular, set the Healthcare of its employees as one of its prime concerns.

It is a matter of pride that ECIL is an ISO 14001 (Environmental Management System) and ISO 18001 (Occupational Health and Safety) certified Company. While we have taken specific measures towards implementation of Information Security Management System across the Company, steps are also initiated for compliance with other relevant and applicable quality management systems.

The Company received two coveted awards during the year viz. Corporate Award from Institution of Electronics & Telecommunication Engineers (IETE) for performance Excellence in Electronic Instruments and Instrumentation – 2007 and Indira Gandhi National Memorial Award for Excellence in Indian Industries (Best Chief Executive Gold Award).

Outlook for 2008-09 & beyond

Starting with an order book of Rs. 1000 crore, the Company secured further orders worth Rs. 600 crore in the last six months and is quite confident of surpassing the targets in the year 2008-09. The Company, by way of its creditable performance in the last two years has met the Government guidelines for 'Mini Ratna' and is expected to be processed for recognition during 2008-09 itself.

The strong foundation that was laid in respect of business associations with international firms of repute should enable the Company to exploit the business opportunities arising out of Defence Offset policy of MoD. Other strategic tie-ups with global leaders in the areas of control instrumentation for naval platforms, ground supply equipment for missiles, flight simulators, jammers and Sound Ranging Systems are aimed at achieving quantum jump in performance levels in the XI Plan period.

The Indo-US Nuclear Deal will open up new business leads as well as challenges and the Company has to quickly gear up to take advantage of them and grow further. The year 2008-09 will witness a host of management initiatives towards this. I have also initiated specific measures to focus on the Dynamic Parameters of performance, Quality Management system implementation in service domains as well as streamlining of Systems and Procedures for optimal effectiveness.

I take pride in acknowledging the dedication and commitment of every member of ECIL team for all the successes during the forty years of our glorious journey. While I express my gratitude to the Board of Directors for their unstinted support and guidance, I would also thank all our Stakeholders – the Customers, Suppliers and Bankers who have reposed their trust and enabled us reach higher levels of performance. My sincere thanks go to the Corporate Management Committee members for their active participation in steering the Company.

With your continuous support, I am confident that ECIL will scale greater heights in the years to come and secure recognitions such as Raksha Udyog Ratna (RUR) in the immediate future.

K S Rajasekhara Rao
Chairman & Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति

इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारी

सज्जनों,

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं उसके साथ 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिये परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालन परिणामों पर एक झलक

	(रुपये करोड़ों में)	
विवरण	2007-08	2006-07
टर्नओवर	1002	1006
रियलाइजेबल मूल्य पर उत्पादन	936	912
कर के पहले लाभ	201	193
कर के बाद लाभ	134	128
नेट वर्त	560	464
नियोजित पूँजी	706	447
वेल्यू एडेड	504	437

शेयर पूँजी व अप्रतिभूति ऋण

वर्ष के दौरान कंपनी की प्राधिकृत पूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह 200 करोड़ रुपयों पर स्थिर रहा। 31-03-2008 तक मांगी तथा प्रदत्त पूँजी 163.37 करोड़ रुपये थी जो 31-03-2007 के समान है। वर्ष के दौरान सरकार से किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया।

रिजर्व

कंपनी ने चालू वर्ष के लाभ से जनरल रिजर्व करने के लिए 13.50 करोड़ रुपये की राशि को स्थानांतरित किया।

लाभांश

आपके निदेशकगण 2007-08 के लिये प्रत्येक 1000 रुपये शेयर के लिये रु. 200 प्रति शेयर की दर से लाभांश सिफारिश किया है।

वर्ष 2007-08 में प्रस्तुत किये गये नये उत्पाद

- ए) विंडो आधारित इंजीनियर्स कनसोल सहित डुअल सीपीयू रिडन्डेंट आर्किटेक्चर पर आधारित पवर पीएलसी
- बी) ड्राइवर हैब्रिड्स
- सी) कोम्बो स्मार्ट रीडर सहित हैंड जियोमेट्री/बयोमेट्रिक/फिंगर प्रिन्ट यूनिट
- डी) आटोमेटिक मीटर रीडिंग यूनिट्स
- ई) क्रेश रेटेड एक्टीव बोलाई
- एफ) डुअल इथरनेट सहित सिंटिलोमीटर, कंटामिनेशन मानीटर, स्मार्ट रेडियेशन मानीटर

जी) होल बाडी आल्फा कंटामिनेशन मानीटर

एच) इन-कोर न्यूट्रान फ्लक्स मैपिंग प्रणाली

आई) अंडर विहैकिल निरीक्षण प्रणाली

जे) 10^4 ओपीएस/एम सहित एसआरएम

के) डिजिटल हारनेस प्रणाली

एल) प्रिफेरेन्शियल मतदान प्रणाली

एम) वोटर एनरोलमेंट एवं अथन्टिकेशन यूनिट

एन) चिकित्सा उपकरणों का विकास जैसे होल्टर मानीटर एवं इन्फजन पंप्स

ओ) होल बाडी आल्फा कंटामिनेशन मोनीटर

पी) पीएफबीआर के लिये सिम्युलेटर्स

क्यू) रोटेटिंग मशीन के लिये डिस्प्लेसमेंट मानीटरिंग प्रणाली

ऊर्जा बचत, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेश मुद्रा अर्जन और निर्गम

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा बचत, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम के विवरण इस प्रतिवेदन के अनुबंध-1 में दिये गये हैं।

मानव संसाधन

कर्मचारीगणों की संख्या

वर्ष के दौरान कुल 225 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई (सामान्य 78, ओबीसी 80, अ.जा.51, अ.ज.जा. 16 जिसमें 9 विकलांग शामिल है)। 174 कर्मचारीगण निगम से अलग हुए। अन्य सेसेशनस को हिसाब में लेने से 31-03-2008 तक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4895 और वर्गवार ब्रेकअप तथा कंपनी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की तुलना में इनकी प्रतिशतता वर्गवार निम्नलिखित है :-

	कुल	अ.जा. कर्मचारीगण	अ.ज.जा कर्मचारीगण
वर्ग ए	1827	189 (10.34%)	13 (0.71%).
वर्ग बी	1321	274 (20.74%)	86 (6.50%)
वर्ग सी	1274	128 (10.40%)	40 (3.14%)
वर्ग डी	358	91 (25.40%)	14 (3.9%)
वर्ग डी-1 (सफाई कर्मचारी)	115	43 (37.40%)	2 (1.74%)

कर्मचारी संबंध

वर्ष 2006-07 के लिये अनुकरणीय निष्पादन तथा सर्वोच्च टर्नओवर प्राप्त करने के कारण प्रत्येक कर्मचारी को 1000 रुपयों के हिसाब से नकद

DIRECTORS' REPORT

To
The Shareholders of
Electronics Corporation of India Limited

Gentlemen,

Directors of ECIL have pleasure in presenting herewith the 41st Annual Report of your Company, together with the audited statement of accounts for the year ended 31.03.2008.

OPERATING RESULTS AT A GLANCE

(Rs. Crore)		
Particulars	2007-08	2006-07
Turnover	1002	1006
Production at realizable value	936	912
Profit before tax	201	193
Profit after tax	134	128
Net worth	560	464
Capital employed	706	447
Value added	504	437

SHARE CAPITAL & UNSECURED LOANS

During the year, the authorised share capital of the Company remained unchanged at Rs.200.00 crore. The called up and paid up share capital as on 31.03.2008 stood at Rs.163.37 crore which is same as on 31.03.2007. No loans were taken from Government during the year.

RESERVE

The company transferred an amount of Rs 13.50 cr from current year profits to the General Reserve.

DIVIDEND

The Directors are pleased to recommend a dividend @ Rs 200 per share of Rs.1000 each for the year 2007-08.

NEW PRODUCTS INTRODUCED IN 2007-08

- Power PLC based on Dual CPU Redundant architecture with Windows based Engineer's console
- Driver Hybrids
- Combo smart reader with Hand geometry / Biometric / Fingerprint units
- Automatic Meter Reading units
- Crash Rated Active Bollard

- Scintillometer, Contamination monitor, Smart Radiation monitor with dual Ethernet
- Whole body alpha contamination monitor
- In-core neutron flux mapping system
- Under Vehicle Inspection system
- SRM with 10⁴Ops/m
- Digital Harness system
- Preferential Voting System
- Voter Enrolment and Authentication Units
- Development of Medical Instruments such as Holter Monitor and Infusion Pumps
- Whole body Alpha Contamination Monitor.
- Simulators for PFBR
- Displacement monitoring system for rotating machine

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Particulars as required under the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 are given in Annexure-I to this report.

HUMAN RESOURCES:

Staff Strength

During the year, a total of 225 persons were recruited (General -78, OBC – 80, SC-51, ST-16, which included 9 persons with disabilities (PWD). 174 employees have separated. Reckoning other cessations, the manpower as on 31.3.2008 stood at 4895 and group wise break up and the number of SC and ST employees and their percentages to the total number of employees in different groups are as under:

	Total	SC employees	ST employees
Group A	1827	189 (10.34%)	13 (0.71%)
Group B	1321	274 (20.74%)	86 (6.50%)
Group C	1274	128 (10.40%)	40 (3.14%)
Group D	358	91 (25.40%)	14 (3.91%)
Group D-1 (Sweepers)	115	43 (37.40%)	2 (1.74%)

EMPLOYEE RELATIONS

In appreciation of exemplary performance and achieving the all-time record turnover for the year 2006-07, a cash reward of Rs.1000 per employee was paid on 10.04.2007 to all employees who are on the rolls as on 31.03.2007. Further, on the occasion of the Company celebrating its 40th year of continued service to the Nation, one special increment (non-cumulative) was granted as a one-time exception to all employees

पुरस्कार 31-03-2007 तक कंपनी के रोल में रहनेवाले सभी कर्मचारियों को दिनांक 10-04-2008 को दिया गया। आगे, राष्ट्रीय सेवा में कार्यरत कंपनी की 40 वीं वर्षगांठ के अवसर पर 01-04-2007 से 31-03-2008 तक 12 बहनों की अवधि के लिये सभी कर्मचारियों के लिये एक विशेष वेतन वृद्धि एक बार अपवाद के रूप में दी गई। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्रबन्धन ने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दिये गये उत्कृष्ट सहयोग को ध्यान में रखते हुए सोडेक्स गिफ्ट कूपन मूल्य 3500 रुपये के प्रत्येक कर्मचारी को जारी किया।

कर्मगार से पर्यवेक्षण केन्द्र को पदोन्नति संबंधी विषय के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3) के अंतर्गत ईसीआईएल कर्मचारी संघ के साथ प्रबन्धन ने 23-04-2007 को एक समझौता किया।

20-06-2007 दिनांक के इंटरिम आदेश के अंतर्गत, जूनियर सिविल जज के माननीय न्यायालय, मेडचल, रंगा रेड्डी जिला ने वर्तमान ईसीआईएल कर्मचारी संग कार्यकाल की समाप्ति को उससे विचार विमर्श, किसी करार या ईसीईयू सदस्यों के संबंध में या शेष कर्मचारियों के संबंध में, किसी प्रकार का समझौता करने से प्रबन्धन को रोका है। 16-08-2007 को ईसीआईएल अधिकारी संघ के लिये मतदान हुआ।

28-07-2007 और 27-08-2007 को आन्ध्र प्रदेश के कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा 'बंद' का आह्वान करने से कुल 680 श्रम दिवसों का नुकसान हुआ (की तुलना में वर्ष 2006-07 में 4104 तथा 2005-06 में 4201) और उस दिन कंपनी द्वारा किराये पर लिये गये एपीएसआरटीसी के बस कुछ रूटों पर नहीं चल सके।

कल्याण कार्यकलाप

प्रबन्धन द्वारा उदारता से कंपनी के सभी कर्मचारियों के हित के लिये कई सांविधिक उपाय जैसे स्वास्थ्य, संरक्षा तथा कल्याण सुविधाएँ कार्यान्वित की गई। दो कल्याण अधिकारी, तीन चिकित्सा अधिकारी और दो संरक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से नियोजित हैं। सामाजिक रूप से अशांत क्षेत्र एवं जोखिम भरे क्षेत्रों में स्थित प्राजेक्ट साइटों पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को संभावित आकस्मिक देयताओं के लिये उन्हें बीमा के अंतर्गत कर लिया गया।

प्रशिक्षण एवं विकास

आंतरिक प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान निगमिय अध्ययन केन्द्र ने 25 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 तकनीकी और 16 प्रबन्धन विकास) आयोजित किया जिसमें प्रबन्धन विकास, वर्तमान ज्वलंत समस्याओं से संबंधित विषयों पर प्रसिद्ध संस्थाओं से चुने गये विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। कुल 797 कर्मचारियों (642 कार्यपालकगण एवं 155 कर्मगार) ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जिसके लिये 2930 श्रम दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

वर्ष के दौरान विशेष रूप से डिजाइन किये गये विकास कार्यक्रमों द्वारा तकनीकी ज्ञान, कुशलता की वृद्धि तथा प्रबन्धकीय योग्यता एवं ज्ञान प्रबन्धन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कर्मगारों तथा कनिष्ठ कार्यपालकों के स्तर पर व्यावहारिक विकास की वृद्धि पर जोर दिया गया।

बाह्य प्रशिक्षण जिसमें विदेशी प्रशिक्षण शामिल है

वर्ष 2007-08 के लिये तकनालोजी विकास एवं तकनीकी कुशलता अपग्रेडेशन साथ ही साथ प्रबन्धन विकास थीम पर विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये निगमिय अध्ययन केन्द्र ने 108 कर्मचारियों को नामित किया।

आंतरिक नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने तथा वैश्वीकरण को सामना करने और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करने ग्लोबल लीडरशिप कार्यक्रम के लिये दो अ.म.प्र. गणों को भेजा गया जिसमें एक पक्ष का यूरोप दौरा शामिल था।

विकलांग अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, शारीरिक रूप अपंग 9 कर्मचारी, 4 एसए 'ए' प्रशिक्षु, 1 आर्टिसान (ठेका) और दो कनिष्ठ आर्टिसान्स (ठेका) भर्ती किये गये।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु विभिन्न कदम उठाये गये। इवीएम का संशोधित मैनुअल हिन्दी और अंग्रेजी में छपवाया गया। विभिन्न अधिसूचित दिनों में सभी शपथ हिन्दी में भी लिये गये।

08 से 14 सितंबर, 2007 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान कर्मचारियों के लिये विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। वर्ष 2006-07 के लिये ईसीआईएल को नराभाकास (उपक्रम), हैराबादन - सिकन्दराबाद का राजभाषा शील्ड प्राप्त हुआ। ईसीआईएल ने अंतर सार्वजनिक क्षेत्र के लिये हिन्दी प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की। 10-01-2008 को विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति ने 15-12-2007 को ईसीआईएल, कोलकाता कार्यालय तथा 29-01-2008 को चेन्नई कार्यालय का निरीक्षण किया।

सूचना अधिकारी अधिनियम, 2005

वर्ष के दौरान 12 अनुरोध - 6 सीधे तथा 6 अन्य विभागों से तथा परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त हुए और सभी अनुरोधों के उत्तर दिये गये। विभाग से संबंधित राज्यसभा की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति 7-01-2008 को दौरा किया और इस अधिनियम के कार्यान्वयन तथाभर्ती तथा पदोन्नतियों में आरक्षण कार्य की समीक्षा की।

for a period of 12 months from 01.04.2007 to 31.03.2008. The Management has also issued Sodexo gift coupons worth Rs.3500 per employee in appreciation of excellent co-operation extended in achieving targets during the years 2004-05, 2005-06 & 2006-07.

A settlement dated 23.04.2007 was entered into with ECIL Employees' Union u/s 12(3) of Industrial Disputes Act, 1947 on the subject of promotion avenues from workmen to supervisory cadre.

Under an interim order dated 20.06.2007, the Hon'ble Court of Junior Civil Judge, Medchal, Ranga Reddy District, restrained Management from negotiating or discussing and entering into any agreement or settlement with the existing body of ECIL Employees' Union (expiry of their term was assailed) on any issues relating to employment of members of ECEU and remaining employees of the Company. The elections for ECIL Officers' Association were held on 16.08.2007.

A total number of 680 mandays were lost (as compared to 4104 in 2006-07 and 4201 in 2005-06) due to a 'bundh' observed by a few political parties throughout Andhra Pradesh on 28.07.2007 and on 27.08.2007 as APSRTC could not operate the Company-hired buses in some routes on the said days.

WELFARE ACTIVITIES

All statutory Health, Safety and Welfare measures and a number of non-statutory measures for the well being of employees have been implemented. Two Welfare Officers, three Medical Officers and two Safety Officers are in full time employment. Employees deputed to project sites and socially disturbed and hazardous areas have been covered under insurance for possible contingent liabilities.

TRAINING & DEVELOPMENT

In-house Training

During the year, Corporate Learning Centre had organised 25 In-house Programmes (6 Technical and 16 Management Development) on themes addressing various technical subjects of current interest and management capability building by eminent faculty from reputed institutions. 797 employees (642 Executives and 155 Workmen) have participated in these programmes resulting in 2930 mandays of training.

During the year, additional emphasis was given on Knowledge Management, Right to Information Act, Enhancing Managerial Competencies and improving Technical Knowledge and skills through specifically

designed programmes. Importance was also given on inculcating and sustaining 'performing culture' through programmes organised on Attitudinal Development for Workmen and Junior Executives.

External Training including Foreign Training

During the year 2007-08, Corporate Learning Centre had sponsored 108 employees for participating in the training programmes organised by various reputed training organisations on Technology Development & Technical skill upgradation and Management Development themes including Knowledge Management.

With the objective of enhancing in-house leadership capabilities, to cope up with the phenomenon of globalisation and to provide international perspective, two executives at the level of Additional General Manager were sponsored for the programme on Global Leadership which included a fortnight tour to Europe.

IMPLEMENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) ACT, 1995

During the year, 9 persons with OH disability - 4 SA'A' Trainees, 1 Artisan (Contract) and 2 Junior Artisans (Contract) - were recruited.

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year, various effective steps were taken to enable progressive use of Hindi by employees. The revised version of EVM Manual was printed in Hindi and English. All Pledges on various notified days were administered in Hindi also.

Rajbhasha Saptah was observed from 08 to 14.09.2007 during which various Hindi competitions were conducted for employees. ECIL bagged Rajbhasha Shield of TOLIC (U), Hyderabad-Secunderabad for progressive use of Hindi for the year 2006-07. ECIL hosted an Inter-PSU Hindi Quiz competition. Vishwa Hindi Diwas was observed on 10.01.2008.

The Drafting / Evidence sub-committee of Parliamentary Committee on Official Language visited ECIL Kolkata office on 15.12.2007 and inspected Chennai office on 29.01.2008.

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

During the year 12 requests - 6 direct and 6 through other Government Departments and DAE - were received and all requests were replied. The Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice of Rajya Sabha visited on

गुणवत्ता प्रबन्धन

वर्ष के दौरान आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली निगरानी लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

आक्युपेशनल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएच एंड एस) 18001:2007 कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रगति चल रही है। वर्ष 2008-09 के दूसरी तिमाही में प्रमाणीकरण मिलने की संभावना है।

स्टैंडर्ड्स एवं गुणवत्ता आश्वासन वर्ग की कैलिब्रेशन एवं मेजरमेंट लेबोरेटरी एनएबीएल द्वारा किये गये पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार किया।

अधिकतम 750 केजी के पे लोड सहित एक रैन्डम वाइब्रेशन मशीन द्वारा पर्यावरण परीक्षण क्षमता को बढ़ाया गया, जबकि अधिकतम डिसप्लेसमेंट 51 एमएम एवं अधिकतम एक्सिलरेशन 83 पीक है।

भा.प.अ.के. से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के अंतर्गत ईएमआई/ईएमसी सुविधा को क्रियेट करने के लिये कार्रवाई की गई।

संयुक्त उद्यम कंपनी

वर्ष 2007-08 के दौरान संयुक्त उद्यम कंपनी - ईसीआईएल रैपिस्कान लिमिटेड का टर्नओवर 33.67 करोड़ रुपये रहा जबकि गत वर्ष 36.4 करोड़ रुपये था। इसकी वजह मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में ट्रेडिंग काम्पोनेन्ट में कमी रही। सुरक्षा उपकरण के व्यापार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के कारण लाभ में मार्जिनल वृद्धि हुई एएमसी के कारण सेवा आय में बढ़ोतरी आई रही। इस वर्ष में मार्केटिंग सेट अप को पुनःव्यवस्थित किया गया और केन्द्रीकृत सेट अप की जगह अब ऑचलिक कार्यालयों को आदेश प्राप्त करने के लिये जवाबदेही बनाया गया। इसके अच्छे परिणाम निकले और 2008-09 में इससे टर्नओवर में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। कार्यनिष्पादन में वृद्धि लाने के लिये कंपनी तीसरी पार्टी रखरखाव के व्यापार में कदम रखने की योजना बना रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने टर्नओवर का लक्ष्य 45 करोड़ रुपये रखा।

लघु उद्योग

वर्ष के दौरान, 319 लघु उद्योगों को 942 आदेश दिये गये जिसका मूल्य 9.86 करोड़ रहा।

निगमीय अभिशासन

अनुबंध-11 में रिपोर्ट दी गई

लेखा परीक्षा

वर्ष 2007-08 के लिये मेसर्स लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन, सनदी लेखापालों को संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। दिनांक 31-03-2008 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखे पर संवैधानिक

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध- (iii) में दिये गये हैं। वर्ष 2007-08 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणी भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो अनुबंध (iv) में दी गयी है।

सतर्कता

वर्ष के दौरान, निगमीय सतर्कता ने (ए) प्रभागों के सामग्री प्रबन्धन खण्डों के कार्यपालकगणों को प्रापण एवं संबंधित विषय (बी) कार्मिक वर्ग एवं एफएजी में कार्यरत कार्यपालकगणों को सतर्कता संबंधी विषय (सी) नये भर्ती किये गये स्नातक इंजिनियर प्रशिक्षुओं के लिये इंडक्शन-कम-ओरियन्टेशन कार्यक्रम में सतर्कता मापदण्ड शामिल करना आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। देखे गये अनियमितताओं को प्रबन्धन तथा संबंधित प्रभागों के ध्यान में ले आना। ईसीआईएल का वेब साइट www.tenders.gov.in पर निविदाओं को पब्लिश करने के लिये प्रभागों को समझाया गया तथा साथ ही साथ वेब साइट पर वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिये वेंडर्स रजिस्ट्रेशन प्रपत्र तथा अधिसूचना का प्रकाशन किया गया।

निदेशकगण

श्री जी.एन.वी. सत्यनारायणा सेवा निवृत्त होने पर 31-8-2007 से निदेशक (तकनीकी) पद से कार्यमुक्त हुए, श्री वी.पी. राजा 18-10-2007 से निदेशक पद से कार्यमुक्त हुए।

01-04-2007 से श्री एस. हनुमंतराव को निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया। 12-04-2007 से डॉ. आर. श्रीहरि राव को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 09-05-2007 से श्री यू. विष्णुमूर्ति को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया। 01-09-2007 से श्री वाईएस. मय्या को निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया। क्रमशः 19-07-2007 तथा 18-10-2007 से श्री वीआर सदाशिवम तथा सुश्री रेवती अय्यर को निदेशकगणों के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 की उपधारा (2एए) के अंतर्गत निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि :

ए) 31-03-2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यावहारिक अडचनों के कारण छोटे अंतरण को छोड़कर उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3बी) के लेखों की टिप्पणियों में स्पष्ट की गयी हैं।

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना है तथा उनका प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं प्राकलन किए जो 31 मार्च, 2008 को कंपनी की स्थिति की दृष्टि से सही है और ठीक ही है तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ को दर्शाती है;

07.01.2008 and reviewed the implementation of the Act and reservations in Recruitment & Promotions.

QUALITY MANAGEMENT

During the year, ISO-14001:2004 Environmental Management System (EMS) Surveillance Audit was successfully completed.

Occupational Health & Safety (OH&S) 18001:2007 implementation process is under progress. Certification is expected in the 2nd Qr of 2008-09.

Calibration and Measurement Laboratory of Standards & Quality Assurance Group underwent successfully re-certification by NABL.

Environmental testing capability was enhanced by adding one Random Vibration Machine with maximum payload of 750 Kgs, maximum displacement is 51mm and Maximum Acceleration is 83g peak.

Action has been initiated to create EMI/EMC facility under technical and financial assistance from BARC.

JOINT VENTURE COMPANY

During the year 2007-08, the turnover of the JV Company - ECIL RAPISCAN Limited - marginally declined to Rs.33.67 crore as compared to Rs.36.4 crore in the previous year. This is attributed mainly to the reduction in the trading component as compared to the previous years. The core business of security equipment showed significant growth resulting in marginal increase of profit. The service income on account of AMCs continued its dominance. The year also witnessed re-organisation of the marketing setup and the zonal offices were made accountable for order booking as against the centralised setup existing earlier. This has yielded good results and the year 2008-09 is expected to record a reasonable jump in turnover. The Company has plans to enter into the business of third-party equipment maintenance to support the growth in performance. The Company has targeted a turnover of Rs.45 crore during the year 2008-09.

SMALL SCALE UNITS

In all, 942 orders were placed on 319 SSI Units valued at Rs.9.86 crore during the year.

CORPORATE GOVERNANCE

A report is given as Annexure-II.

AUDIT

M/s. Laxminiwas & Jain., Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors of the Company for the

year 2007-08. The Company's replies to the Statutory Auditors' Report on the Accounts of the Company for the year ended 31.03.2008 are furnished in Annexure-III to this report. *The 'NIL' comments of the Comptroller & Auditor General of India, for the year 2007-08 is also appended to this report at Annexure IV.*

VIGILANCE

During the year, the Corporate Vigilance conducted training programmes on (a) procurement and related matters to executives from Material Management Wings of the divisions, (b) vigilance related issues to executives working in Personnel Group and Finance & Accounts Group, and (c) Vigilance modules were included in the Induction-cum-Orientation programme conducted for the newly recruited Graduate Engineer Trainees. Irregularities noticed were brought to the notice of Management and division concerned. The divisions were persuaded to publish tenders on the website of ECIL and on www.tenders.gov.in in addition to publication of vendor's registration forms and notification for vendor registration on the website.

DIRECTORS

Shri G N V Satyanarayana on superannuation ceased to be Director (Technical) from 31.8.2007. Shri V P Raja ceased to be Director from 18.10.2007.

Shri S Hanumantha Rao was appointed as Director (Personnel) from 01.04.2007. Dr. R Sreehari Rao was appointed as Director from 12.04.2007. Shri U Vishnumurthy was appointed as Director (Finance) from 09.05.2007. Shri Y S Mayya was appointed as Director (Technical) from 01.09.2007. Shri V R Sadasivam and Ms Revathy Iyer were appointed as Directors from 19.07.2007 and 18.10.2007 respectively.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Sec 217(2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors confirm:

- that in preparation of accounts for the financial year ended 31.03.2008, the applicable Accounting Standards have been followed excepting a few minor deviations due to practical constraints, which have been disclosed in the notes forming part of the Accounts as per Sec. 211(3B) of the Companies Act, 1956;
- that the Directors have selected the accounting policies, applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as on 31.03.2008 and of the profit of the Company for the year ended on that date;

सी) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने में तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने और रोकने में पर्याप्त रिकार्ड के रखरखाव के लिये उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

डी) निदेशकों ने 31-03-2008 को समाप्त द्वितीय वर्ष के लिए 'गोइंग कन्सर्न' पद्धति पर लेखे की तैयारी की।

आयोग, दूरदर्शन, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, कंपनी कार्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, रक्षा मंत्रालय एवं इसके यूनिट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, आंध्र प्रदेश सरकार, सभी ग्राहक और अन्यान्य एजेंसियां जो प्रत्यक्षतः एवं परोक्षतः आपकी कंपनी से संबद्ध हैं, के प्रति सहायता के लिए कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करते हैं।

आभार

मंडल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं उनके सहयोगियों तथा सभी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना अभिलिखित करता है जिनके कारण वर्ष का उत्कृष्ट निष्पादन निरंतर बना रहा और आशा करता है कि आगामी वर्षों में कंपनी उच्चतर कार्य निष्पादन प्राप्त करेगी। आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके संघटक यूनिट जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, सांविधिक लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय, बैंकर, विदेशी सहयोगी, दूरसंचार विभाग, निर्वाचन

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हैदराबाद
29.09.2008

- c) that the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; and
- d) that the Directors have prepared the Accounts for the financial year ended 31.03.2008 on a 'going concern' basis.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board wishes to place on record its appreciation of efforts of the Chairman & Managing Director and his colleagues on the Board and all the employees resulting in good performance achieved during the year and hopes that in the years to come the Company would scale greater heights.

The Directors acknowledge with thanks the support and encouragement received from the Department of Atomic Energy and its constituent units such as Nuclear Power Corporation of India Limited, Bhabha Atomic Research Centre and Indira Gandhi Centre for Atomic Research,

Ministry of Defence and its constituent units, Election Commission of India, Department of Information Technology, Department of Telecommunications, Doordarshan, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Ministry of Company Affairs, Ministry of Home Affairs, Department of Public Enterprises and other ministries and departments of Government of India, the Government of Andhra Pradesh, Statutory Auditors, the Chairman and members of the Audit Committee and the office of the Principal Director of Commercial Audit, bankers, foreign collaborators, all the customers and agencies, who are directly or indirectly associated with your Company.

For and on behalf of the Board of Directors

K S Rajasekhara Rao
Chairman & Managing Director

Hyderabad
29.09.2008

शेयरधारियों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-I

कंपनी (निदेशकों की रिपोर्ट में ब्लॉक का उद्घाटन) नियम 1988 के अंतर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण एवं विदेशी विनिमय अर्जन तथा निर्गम का ब्यौरा ।

ए. ऊर्जा संरक्षण :

ए) निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण कदम उठाये गये :

ऊर्जा संरक्षण निरंतर चलनेवाली एक प्रक्रिया है और जो कदम उठाये गये वे निम्न प्रकार हैं :-

i) एचटी एण्ड एल टी वितरण प्रणाली में बिजली नष्टता को कम करने के लिये निम्न सब-स्टेशन उपकरणों में निरोधात्मक अनुरक्षण कार्य किये गये :-

ए) न्यू आइल सहित आइल और फिल्टरेशन के बदलाव द्वारा डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर्स 11 केवी/ 415 वी, 500 केवीए के 5 नंबर का ओवरहालिंग ।

बी) एनएफसी के निकट स्थित 33 केवी/11केवी ईसीआईएल सब स्टेशन में एबी 9 एअर ब्रेकर स्विचस के लिए ग्रीस से सफाई एवं लुब्रिकेटिंग ।

सी) उत्पाद प्रभागों में एलटी पैनेल्स का रखरखाव ।

ii) अच्छी तरह से प्रणाली के कार्म निष्पादन के लिमे जब जब सोलार वाटर हीटिंग प्रणाली का रखरखाव करना ।

बी) ऊर्जा खपत करने के लिये अतिरिक्त निवेश या प्रस्ताव, यदि कोई हो तो, कार्य रूप दिया जा रहा है :

i) 11 केवी बीओसीबी एवं एलटी ब्रेकर्स का निरोधात्मक अनुरक्षण ।

ii) रिलेस का परीक्षण निरोधात्मक अनुरक्षण ।

iii) 33 केवी आउटडोर वैक्यूम सर्कूट ब्रेकर्स एवं 11 केवी इंडोर वैक्यूम सर्कूट ब्रेकर्स का निरोधात्मक अनुरक्षण ।

सी) ऊर्जा खपत को कम करने के लिये उपरोक्त (ए) एवं (बी) उपायों का प्रभाव और परिणामस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन लागत पर भी प्रभाव :-

पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक ऊर्जा खपत 90,300 केडब्ल्यूएच यूनिट घट गया ।

डी) अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत फार्म 'ए' के अनुसार :

लागू नहीं

बी) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण

(फार्म बी के अनुसार प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण में किये गये प्रयास)

प्रपत्र - बी

अनुसंधान एवं विकास

1. अनुसंधान एवं विकास किये जा रहे ह विशेष क्षेत्र :-

ए) नाभिकीय एवं थर्मल बिजली संयंत्रों के लिए आईसी 61131-3 कंप्लेंट औद्योगिक स्वचालन नियंत्रक

बी) लक्ष्य के लिये इंटीग्रेटेड एक्जुथेटर एवं 3 इन 1 एम्प्लिफायर

सी) सिंगल एक्सिस रेट गैरो के लिये सेल्फ टेस्ट मैग्नेट

डी) एन्टरप्राइज सूचना सुरक्षा

ई) प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें

एफ) पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर तकनालोजी

जी) वी/यूएचएफ 3060 टीएक्सआरएक्स उन्नत डिजिटल रेडियो

एच) विभिन्न जल सेना एयरक्राफ्ट्स के लिये विद्यमान रेडियो के लिये इंटरफेसिंग स्पीच सीक्रेसी उपकरण

आई) जीएसएम तकनालोजी का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर सहित आटोमेटिक मीटर रीडिंग (एएमआर)

जे) आटोमेटिक कोल शेल सपरेटर

के) मौसम स्टेशन

एल) अल्फा सरवर प्लेटफार्म से इटैनिम सरवर को मैगेशन

एम) टीआरयू 64 लाइनेक्स टु एचपी लैनेक्स के लिये पोर्टिंग आफ टेकॉम सिम्युलेशन टूल्स

एन) डुअल बैंड 9.3 एम अर्त स्टेशन ऐंटीना प्रणाली

ओ) शिपबोर्न स्टाबलाइजेशन प्लेटफार्म

पी) चंद्रायान परियोजना के लिए एक्स एवं एस बैंड फीड्स

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

ए) शिपबोर्न स्टाबलाइजेशन प्लेटफार्म के विकास के कारण भारतीय जल सेना को सेक्यूर्ड संचार प्राप्त करने में लाभ पहुँचा ।

बी) डीडीसीएस के 700 एमडब्ल्यूई रियेक्टर्स के लिये नये जनरेशन के आटोमेशन कंट्रोलर्स इस्तेमाल करने की संभावना है ।

सी) एक्जुयेटर्स के सफल ट्रायल्स के बाद, एडीई, बेंगलुरु से आदेश आने की संभावनायें हैं ।

ANNEXURE-I TO DIRECTORS' REPORT TO SHAREHOLDERS

Particulars of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo as required under the Companies (Disclosure of particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988.

A. Conservation of Energy:

a) Energy conservation measures taken:

Energy conservation is a continuous and on-going activity and some of the steps taken in this direction are as follows:

- i) Preventive maintenance of the following sub-station equipments were carried out to minimize the power losses in the HT & LT distribution system:
 - a) Overhauling of 5 Nos. of 11 KV/415 V, 500 KVA distribution transformers, by changing the oil and filtration with new oil.
 - b) Cleaning and lubricating with grease for AB9 Air Breaker switches in 33KV/ 11KV ECIL Sub-Station near NFC.
 - c) Maintenance of LT panels in production divisions.
- ii) Solar water heating system maintenance is carried out periodically for better performance of the system.

b) Additional investments and proposals, if any, being implemented for reduction in consumption of energy:

- i) Preventive Maintenance of 11KV BOCBs and LT Breakers.
- ii) Preventive Maintenance and testing of relays.
- iii) Preventive Maintenance of 33 KV outdoor Vacuum Circuit Breakers and 11KV indoor Vacuum Circuit Breakers.

c) Impact of the measures at (a) & (b) above for reduction of energy consumption and consequent impact on the production cost of goods:

Annual energy consumption was reduced by 90,300 KWH units compared to previous year.

d) Total energy consumption and energy consumption per unit of production as per Form A in respect of industries specified in the Schedule thereto:

Not applicable.

B. Technology absorption

(efforts made in technology absorption as per Form B)

Form B

Research & Development (R&D)

1. Specific areas in which R&D is carried out

- a) IEC61131-3 compliant industrial automation controllers for Nuclear and Thermal Power Plants
- b) Integrated Actuator and 3 in 1 amplifier for Lakshya
- c) Self Test Magnet for Single Axis Rate Gyro
- d) Enterprise Information Security
- e) Preferential Electronic Voting Machines
- f) Public Key Infrastructure (PKI) Technologies
- g) Digital Radio as an upgrade to V/UHF 3060TXRx
- h) Interfacing Speech Secrecy Equipment to existing Radios for various Naval aircrafts
- i) Electronic Energy Meter with Automatic Meter Reading (AMR) facility using GSM technology
- j) Automatic Coal Shale Separator
- k) Weather Stations
- l) Migration from Alpha server platform to Itanium Server
- m) Porting of Techomm Simulation tools for TRU 64 Linux to HP Linux
- n) Dual band 9.3M Earth Station Antenna System
- o) Ship borne stabilization platform
- p) X and S band feeds for the Chandrayaan Project.

2. Benefits derived as a result of the above R&D

- a) Development of ship borne stabilization platform has helped in realising secure communication for Indian Navy.
- b) New generation Automation Controllers are proposed to be used for DDCS of 700Mwe Reactors
- c) After successful trials of Actuators, orders expected from ADE, Bangalore

- डी) डिजिटल रेडियो अपग्रेड की वजह से यह इंपोर्ट एवजी बना और रक्षा मंत्रालय के लिये सुरक्षित संचार प्राप्त करने के लिये अच्छे विपणन के आसार है ।
- ई) नवीन टाइप के रेडियेशन मानीटर्स के विकास की वजह से नाभिकीय बिजली संयंत्र तथा रिपोर्ट बै-डैरैक्शनल संचार यूनितों में इन केबलिंग में काफी कमी आई ।
- एफ) रक्षा मंत्रालय, डीएनएस से स्पीच सीक्रेसी उपकरण के लिये 27 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश प्राप्त हुए ।
- जी) बेंगलूर में 32 एम डीएसएन एंटीना प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित कर स्थापित किया गया और यह चंद्रायान परियोजना के लिये तैयार है ।
- एच) इंटरप्राइज सूचना रक्षा विकास की वजह से डेडिकेटेड सूचना सेक्यूरिटी प्रणाली के डिजाइन, प्रोक्चूर, कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन सामर्थ्यता प्राप्त हुई ।

3. भावी कार्य योजना

- ए) औद्योगिक आटोमेशन नियंत्रकों के लिये रिमोट आई/ओ
- बी) सॉफ्टवेयर के सत्यापन तथा वैलिडेशन के लिये सॉफ्टवेयर इंजिनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल ।
- सी) एएमआर तकनालोजी पर आधारित सेंट्रल मानीटरिंग स्टेशन से प्रिपेड, पोस्ट पेड, पवर मानीटरिंग, कंट्रोलिंग मीटर, कट आफ मीटर आदि का विकास
- डी) कस्टमाइज्ड आवश्यकताओं के लिए अंडर विहैकिल स्कैनिंग प्रणाली
- ई) सुरक्षा प्रणाली के इंटीग्रेशन सहित रिमोट आपरेशन के आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु न्यू मॉडल क्रेश रेटेड मीटर
- एफ) ग्रिड मिडलवेर एवं अप्लिकेशन्स
- जी) ई - कृषि मंडी प्रणाली
- एच) एससीए कम्प्लाइन्स सहित मल्टी मोड, मल्टी चैनल सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो
- आई) इलेमेन्टल एनालिसिस के लिये नाभिकीय सोर्स को प्रयोग करते हुए कोयला एवं सीमेंट क्षेत्र के लिये गाजस का विकास
- जे) फेसड आउट डीईसी आल्फा को इटानियम एचवी पी यूनिक्स मैक्रो कंट्रोलर सहित टीआरयू 64 लैनक्स प्रणाली के साथ बदलना
- के) एयर बॉर्न स्टाबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म
- एल) मल्टी मोड राडार के लिये एंटीना प्रणाली
- एम) शिप बॉर्न अप्लिकेशन्स के लिये 4 एक्सिस स्टाबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म

- एन) बेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री (वीएलबीआई) के लिये तकनालोजी डेमान्स्ट्रेशन

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

	(रुपये करोड़ों में)	
	2007-08	2006-07
पूँजी	0.56	1.53
आवर्ती	23.84	37.29
कुल	24.40	38.82
टर्नओवर में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय की प्रतिशतता	2.44%	3.86%

औद्योगिकी आत्मसातीकरण अंगीकरण एवं नवोन्मेश

1. प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, अंगीकरण एवं नवोन्मेश के प्रति किये गये प्रयास संक्षेप में :

- ए) ड्युअल बैंड एंटीना प्रणाली के विकास के कारण संचार एवं सरविलिएन्स मानीटरिंग अप्लिकेशन्स के लिये एक ही एंटीना इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे लागत एवं जगह की बचत की जा रही है ।
- बी) यूजर डिफाइन्ड अप्लिकेशन्स के लिये देशी तौर पर विकसित किये गये स्मार्टकार्ड आपरेटिंग प्रणाली को कस्टमाइज्ड किया जा सकता है ।
- सी) आडियो इनक्रिप्शन यूनिट को देशीकरण करने के प्रयास जारी है जिसे थेल्स से प्राप्त किया गया ।
- डी) एएमआर सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर एक नवीनतम उत्पाद है और इसमें निर्यात की संभावनाएँ अधिक है । आकजेम, यूके से उत्पाद प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ और मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट्स डैरेक्टिव यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फेसिलिटी प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ ।
- ई) नाभिकीय सोर्स को इस्तेमाल करते हुए गाजस के डिज़ाइन में अनुभव प्राप्त किया गया इसे इस्पात, परिवहन एवं कोयला क्षेत्र में अजमाया गया ।
- एफ) भापअके से यूएसबी इंटरफेस टेक्नालोजी सहित एमसीए को अबसार्ब किया गया ।

2. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप लाभों की प्राप्ति उदाहरणार्थ उत्पाद में सुधार लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापना आदि ।

- ए) आईएसओ गुणवत्ता प्रणाली सहित अनुपालन में वृद्धि
- बी) एएमआर सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक इनेर्जी मीटर में गुणवत्ता सुधार तथा कम लागत पर विनिर्माण करने से विदेशी विपणन की संभावनाएँ बढ़ गई है ।

- d) Digital Radio upgrade has resulted in import substitution and has a good potential market for secured communication for MoD
- e) Development of new types of radiation monitors has resulted in substantial reduction in cabling in nuclear power plants and remote bi-directional communication with units
- f) Secured orders worth Rs 27 Cr for Speech Secrecy Equipment from DNAS, Ministry of Defence
- g) Successful development and installation of 32M DSN antenna system at Bangalore ready for Chandrayaan project
- h) The Enterprise Information Security development has resulted in building the capabilities to Design, Procure, Implement and Manage dedicated Information Security Systems

3. Future plan of action

- a) Remote I/O for Industrial Automation Controllers
- b) Use of Software Engineering Tools for Verification and Validation of Software
- c) Development of Prepaid, Post paid, Power monitoring, Controlling meter, Cut off meter etc., from Central monitoring station based on AMR technology
- d) Under Vehicle Scanning System for customized requirements
- e) New model Crash rated meter to meet the requirements of Remote operation, Integration with security systems
- f) Grid Middleware and Applications
- g) e-Krishi Mandi Systems
- h) Development of multi mode, multi-channel Software Defined Radio with SCA compliance
- i) Development of Gauges for Coal and Cement Sectors using Nuclear source for Elemental Analysis.
- j) Replacement of phased out DEC Alpha with TRU 64 Linux system with Itanium HP Unix micro controllers.
- k) Air borne stabilization platform
- l) Antenna system for Multi Mode Radars
- m) 4 Axis stabilization platforms for ship borne application

- n) Technology demonstration for Very Long Baseline Interferometry (VLBI)

4. Expenditure on R&D

	(Rs.Crore)	
	2007-08	2006-07
Capital	0.56	1.53
Recurring	23.84	37.29
Total	24.40	38.82
Total R&D expenditure as percentage of total turnover	2.44%	3.86%

Technology absorption, adaptation and innovation

1. Efforts in brief made towards technology absorption, adaptation and innovation

- a) Development of dual band antenna system leading to use of a single antenna both for communication purposes and for surveillance monitoring applications, resulting in cost and space savings
- b) Indigenously developed Smart Card Operating System can be ported and customized for user-defined applications
- c) Efforts made to indigenize Audio Encryption Unit, which is being procured from M/s. Thales.
- d) Electronic Energy Meter with AMR facility is an innovative product, has vast export potential. Received Product Certification from Ofgem, UK and Manufacturing & Testing Facilities Certification from Measuring Instruments Directive, Europe.
- e) Experience gained in the design of Gauges using nuclear sources is adapted to Steel, Transport and Coal sectors.
- f) Absorbed MCA with USB interface technology from BARC.

2. Benefits derived as a result of the above efforts, e.g. product improvement, cost reduction, import substitution etc.

- a) Enhanced compliance with ISO quality systems
- b) With improved quality and low cost of manufacturing the Electronic Energy Meters with AMR facility have a potential market abroad.

- सी) अंडर विहैकिल स्कैनिंग प्रणाली, लागत कमी तथा आयात प्रतिस्थापना प्रणाली है।
- डी) एससीओएसटीए कमप्लेन्ट कार्ड के स्वदेशी रूपांतर से लागत में कमी करने में सहायक सिद्ध होगी।
- ई) थिकनेस गाजस आयात प्रतिस्थापन एवं लागत कमी उत्पाद है।

- एफ) वे-इन-मोशन उपकरण एक आयात प्रतिस्थापन एवं लागत कमी उत्पाद है।
- जी) क्रेिश रेटेड एक्टीव बोर्ड एक आयात प्रतिस्थापन उत्पाद है जो कम लागत और आसान रखरखाव सहित है।

3. आयात तकनालोजी के मामले में (वित्त वर्ष से आरंभ करते हुए विगत 5 वर्षों के दौरान आयातीत)

क्र.सं.	नाम एवं कोलाबरेटर	किस उत्पाद के लिये	आयात का वर्ष	आयातीत तकनालोजी	क्या तकनालोजी को पूरी तरह आत्मसात किया	यदि नहीं, तो कारण
1.	ग्रिनटेक कम्यूनिकेशन्स सिस्टम्स साउथ आफ्रिका	एचएफ सॉफ्टवेयर आधारित ट्रांसमिसीवर	2004-05	100 डब्ल्यूएचएफ टीएक्स/आरएक्स मॉडल, टीआर 2400, ट्रांसमिसीवर	नहीं	एसकेडी स्तर तकनालोजी आत्मसात करने का कार्य चल रहा है।

सी. विदेशी विनिमय का अर्जन एवं

निर्यातों से संबंधित क्रियाकलाप, निर्यातों को बढ़ाने के लिये किय गये प्रयास, उत्पादों और सेवाओं के लिये नये निर्यात मार्केटों का विकास तथा निर्यात योजनाएँ :-

वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने 3.09 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों (तीसरी पार्टी सहित) निर्यात किया, जिसमें यूएसए को एससीआर स्विचस, बंगलादेश को थिकनेस गॉज स्पेर्स, यूके को मोबाइल वोटर एनरोलमेंट, बंगलादेश को एससीएपी पैनल, ईराक एवं बंगलादेश को सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल है।

वर्ष 2007-08 में यूएस ग्राहक, मेसर्स जीई को 11000 (लगभग) हैब्रिड एससीआर स्विचस के आदेश को कंपनी ने पूरा किया है। गुणवत्ता से खुश होकर ग्राहक ने वर्ष 2008-09 के लिये नये आदेश जारी किये है।

नवीन रूप से विकसित किये गये मोबाइल वोटर एनरोलमेंट किट के लिये विभिन्न यूरोपियन एवं आफ्रिकन देशों से पूछताछ प्राप्त किया गया है। इस उत्पाद की वजह से दुनिया के निर्वाचन आयोगों, राष्ट्रीय पहचान कार्ड परियोजनाएँ, सरकारी कल्याण योजनाएँ, जनगणना योजनाओं द्वारा कंपनी से पूछताछ की जा रही है।

पड़ोसी देश जैसे मालदीव्स, श्रीलंका एवं बंगलादेश तथा दक्षिण आफ्रिका देशों को ईवीएम निर्यात करने संबंधी कार्यकलाप में बढ़ोतरी हुई है।

भूतान ने वर्ष 2008 मार्च में अपने यहाँ सम्पन्न प्रथम राष्ट्रीय चुनावों में 4000 से अधिक इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों को इस्तेमाल किया है। वर्ष 2008 के चुनावों में नेपाल ने अपने कुछ चुनाव क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर 200 ईवीएम तथा 600 कंपनी के बैलेट यूनिट को इस्तेमाल किया।

कंपनी ने अपने व्यापार सहयोगी द्वारा यूके को परीक्षण के आधार पर एएमआर मीटर्स निर्यात किया है और आनेवाले वर्षों में यू.के./यूरोप से थोक आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है।

कुल विदेशी विनिमय का उपयोग एवं अर्जन

	(रुपये करोड़ों में)	
	2007-08	2006-07
विदेशी विनिमय का उपयोग	206.18	199.69
विदेशी विनिमय का अर्जन	0.15	5.91

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हैदराबाद
दिनांक 29.09.2008

- c) Under Vehicle Scanning System is a Cost Reduction and import Substitution product
- d) Indigenous adaptation of SCOSTA complaint cards would help in the cost reduction.
- e) Thickness Gauges are Import substitution and cost reduction products
- f) Weigh-in-Motion Equipment is an Import substitution and cost reduction product
- g) Crash rated Active Bollard is an import substitution product with benefits of low cost and easy maintenance

3. In case of imported technology (imported during last 5 years reckoned from beginning of financial year)

S. No.	Name and Address of the collaborator	For which product	Year of Import	Technology imported	Has tech. been fully absorbed	If not, reasons thereof
1	Grintek Communication Systems, South Africa	HF software based Transceiver	2004-05	100W HF Tx/Rx Model TR2400 Transceiver	No	SKD level technology absorption is in progress

C. Foreign exchange earnings and outgo:

Activities relating to exports; initiatives taken to increase exports; development of new export markets for products and services and export plans:

During the year 2007-08, the Company exported (including third party exports) Rs.3.09 crore worth of its products, which include SCR Switches to USA, Thickness Gauge Spares to Bangladesh, Mobile Voter Enrollment to UK, SCAP Panel to Bangladesh, Security Systems to Iraq and Bangladesh.

The company has executed repeat orders for 11,000(approxly) Hybrid SCR Switches from a highly demanding US customer, M/s GE for 2007-08. Satisfied with the quality, same customer already released new orders for 2008-09.

For the newly developed Mobile Voter Enrolment Kit enquiries have been received from various European and African countries. This product enhanced the company's range of offerings the world over to Election Commissions, Census operations, National Identity Card Projects, Govt welfare schemes, etc.

Export promotion activities are on for EVMs to the neighbouring countries like Maldives, Srilanka, and Bangladesh, besides the African countries.

Bhutan has deployed more than 4,000 EVMs of the company in their first national elections held in March, 2008. Nepal also used on a pilot basis in a few constituencies, 200 EVMs and 600 Ballot Units of the company, during their 2008 elections.

The company exported on a trial basis AMR Meters to UK through its business partner and is expecting bulk orders from UK / Europe in the coming years.

Total foreign exchange used and earned

	(Rs. crore)	
	2007-08	2006-07
Foreign exchange used	206.18	199.69
Foreign exchange earned	0.15	5.91

For and on behalf of the Board of Directors

K S Rajasekhara Rao
Chairman & Managing Director

Hyderabad
29.09.2008

शेयरधारियों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - II

निगमीय अभिशासन

कंपनी ने अपने सभी परिचालनों में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत ई सी आई एल एक सरकारी कंपनी है। वर्तमान में कंपनी की पूरी प्रदत्त पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है जिसमें उनके नामिनीज द्वारा रखे गये 3 शेयर शामिल हैं। निदेशक मंडल में इस समय कुल 11 निदेशकगण हैं : अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक, 3 पूर्ण कालिक निदेशकगण और 7 गैर - कार्यपालक निदेशकगण। मंडल की नियमित बैठकें होती हैं और कंपनी की सही दिशा एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान मंडल की 5 बैठकें हुईं जो दिनांक 15-05-2007, 24-07-2007, 26-09-2007, 28-12-2007 एवं 26-03-2008 को संपन्न हुईं। निदेशकगणों का गठन, वित्तीय वर्ष के दौरान संपन्न मंडल बैठकें तथा अंतिम वार्षिक सामान्य बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार हैं :

31-3-2008 तक नाम व स्थिति	मंडल की बैठकें		26-9-2007 को सम्पन्न गत वार्षिक सामान्य	अन्य निदेशकताओं की संख्या बैठक में उपस्थिति
	कार्यकाल के	उपस्थिति		
पूर्णकालिक निदेशकगण				
श्री के.एस. राजशेखर राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हाँ	शून्य
श्री एस. हनुमंतराव निदेशक (कार्मिक) (1-4-07 से नियुक्त)	5	5	हाँ	शून्य
श्री यू. विष्णुमूर्ति निदेशक (वित्त) (9-5-07) से नियुक्त	5	5	हाँ	शून्य
श्री जी.एन.वी. सत्यनारायण निदेशक (तकनीकी) (31-8-07) तक	2	2	-	शून्य
श्री वाई.एस. मैय्या निदेशक (तकनीकी) (1-9-07) से नियुक्त	3	3	हाँ	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशकगण				
श्री व्ही.पी. राजा (18-10-2007 तक)	3	3	हाँ	2
श्री उमेशचन्द्र	5	5	हाँ	शून्य
डॉ.बी.एन. सुरेश	5	3	-	शून्य
डॉ.एम.जे. जराबी	5	4	हाँ	3
ले.ज.एस.पी. श्री कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी	5	3	--	1
डॉ.आर. श्रीहरि राव (12-04-2007 से नियुक्त)	5	4	--	शून्य
श्री वी.आर. सदाशिवम (19-07-2007 से नियुक्त)	4	2	हाँ	4
सुश्री रेवती अय्यर (18-10-2007 से नियुक्त)	2	2	-	2

ANNEXURE-II TO DIRECTORS' REPORT TO SHAREHOLDERS

Corporate Governance

The Company continued to take several measures to enhance the openness and transparency of all its operations.

Board of Directors

In terms of Sec 617 of the Companies Act, 1956, ECIL is a Government Company. Presently, the entire paid up capital of the Company is held by the President of India, including 3 shares held by his nominees.

The Board, as on date, comprises of eleven Directors - Chairman & Managing Director, three Whole-time

Directors and seven Non-Executive Directors. The Board meets at regular intervals and is responsible for the proper direction and management of the Company.

During the financial year ended 31.03.2008, five Board Meetings were held on 15.05.2007, 24.07.2007, 26.09.2007, 28.12.2007 and 26.03.2008. The composition of the Directors, their attendance at the Board Meetings during the financial year and at the last Annual General Meeting is as follows:

Name & Position as on 31.3.2008	Board Meetings		Attendance at last AGM held on 26.09.2007	No. of other Directorships
	Held during the tenure	Attended		
Whole-Time Directors				
Shri K S Rajasekhara Rao, Chairman & Managing Director	5	5	Yes	Nil
Shri S Hanumantha Rao, Director (Personnel) (appointed from 1.4.07)	5	5	Yes	Nil
Shri U Vishnumurthy, Director(Finance) (appointed from 9.5.07)	5	5	Yes	Nil
Shri G N V Satyanarayana Director(Technical) (up to 31.8.07)	2	2	-	Nil
Shri Shri Y S Mayya, Director(Technical) (appointed from 1.9.07)	3	3	Yes	Nil
Non-Executive Directors				
Shri V P Raja (up to 18.10.07)	3	3	Yes	2
Shri Umesh Chandra	5	5	Yes	Nil
Dr. B N Suresh	5	3	-	Nil
Dr. M J Zarabi	5	4	Yes	3
Lt.Gen. S P Sree Kumar, PVSM, AVSM, ADC	5	3	-	1
Dr. R Sreehari Rao (appointed from 12.04.07)	5	4	-	Nil
Shri V R Sadasivam (appointed from 19.07.07)	4	2	Yes	4
Ms. Revathy Iyer (appointed from 18.10.07)	2	2	-	2

पूर्णकालिक निदेशकगणों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस समय सभी अंशकालिक निदेशकगण सरकारी अधिकारी हैं या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हैं और इसीलिए वे बैठकों में उपस्थित होने पर पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। यद्यपि, डॉ. जराबी जो एक स्वतन्त्र निदेशक है, उन्हें प्रत्येक बैठक की उपस्थिति के लिये 3,000 रुपये भुगतान किये जाते हैं।

लेखा परीक्षा समिति

मार्च, 2001 में मंडल द्वारा 3 सदस्यीय लेखा परीक्षा समिति गठित की गयी जिसमें 2 गैर- कार्यपालक निदेशकगण और 1 पूर्णकालिक निदेशक हैं। समिति के अधिकार एवं कार्य के संबंध में मंडल ने सुझाव दिया कि सेबी द्वारा निर्धारित लिस्टिंग करार के 49 खंड के प्रावधानों को माने जो लिस्टेड कंपनीज को लागू होते हैं।

वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में 2 गैर-कार्यपालक निदेशकगण हैं वे श्री वीआर सदाशिवन और श्री उमेश चंद्र और पूर्णकालिक निदेशक (तकनीकी) श्री वाई एस मैय्या। श्री श्री उमेश चंद्र इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान कुल 4 बैठकें हुई 24-07-2007, 26-09-2007, 11-12-2007 एवं 26-03-2008। समिति ने वार्षिक वित्तीय तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा की। समिति ने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें तथा अचल संपत्ति के सत्यापन की भी समीक्षा की। वार्षिक वित्तीय विवरण का समिति ने अवलोकन किया और वित्तीय रिकार्ड और साथ ही साथ लागत लेखा रिकार्ड नियम के अंतर्गत आनेवाले डाटा के अनुरक्षण में प्रणाली की वृद्धि करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों से परामर्श किया।

निवेश समिति

मंडल ने 17-12-2003 को एक निवेश समिति का गठन किया और इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), महा प्रबंधक (लेखा) एवं निगमीय योजना एवं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रभाग से एक - एक प्रतिनिधि सदस्य हैं। यह समिति डी पी ई के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिशेष निधि को राष्ट्रीय बैंक एवं अनुसूचित बैंकों में अधिकतम तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक रेट के आधार पर निवेश करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करेगी।

निगमीय प्रबंधन समिति

निगमीय स्तर पर निगमीय प्रबंधन समिति एक महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करनेवाली समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं प्रभागों के प्रमुख इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की नियमित रूप से बैठकें होती हैं और यह समिति कंपनी से संबंधित मुख्य नीतियों पर विचार विमर्श करती है जिसमें कंपनी का कार्यनिष्पादन भी शामिल है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष व महा सचिव एवं अधिकारी संघ के अध्यक्ष व सचिव को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है।

प्रभागीय उत्पादन समितियां

प्रबंधन में कर्मचारों की प्रतिभागिता की योजना के अंतर्गत प्रभागीय उत्पादन समितियां गठित की गईं। संबंधित प्रभाग के प्रमुख इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्यगणों को उत्पादन शालाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री योजना, कार्मिक एवं वित्त एवं लेखा वर्ग से किया जाता है। समय-समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिस में उत्पादन लक्ष्य में, बिक्री एवं विविध देनदार, आदेश पुस्तिका की स्थिति से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है।

शीर्षस्थ समिति

प्रबंधन में कर्मचारों की प्रतिभागिता की परियोजना के अंतर्गत शीर्षस्थ समिति गठित की गयी है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस शीर्षस्थ समिति के अध्यक्ष हैं और बोर्ड के कार्यात्मक निदेशक, कार्यपालक निदेशक, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं महा सचिव और अधिकारी संघ के अध्यक्ष व सचिव आदि इस समिति के सदस्य हैं। समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं और इन बैठकों में उत्पादन एवं निष्पादन में वृद्धि तथा अन्य मुख्य नीति परक विषयों पर चर्चा की जाती है। कंपनी में शांति पूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करने और बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने में इस समिति की बैठकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

साधारण सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली 3 वार्षिक साधारण बैठकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2004-05	11.07.2005	1400 बजे	पंजीकृत कार्यालय :
2005-06	27.07.2006	1400 बजे	ईसीआईएल डाक घर,
2006-07	26.09.2007	1400 बजे	हैदराबाद - 500 062

कंपनी ने मेसर्स के.के. राव एन्ड असोसियेट्स कंपनी सचिवगण से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो वार्षिक लेखा का अंग बनता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हैदराबाद
29.09.2008

The remuneration of whole-time Directors is fixed by the Government of India. At present, all the part-time Directors except Dr Zarabi, are Government officials or officials from other PSUs and therefore are not paid sitting fee for the meetings attended. However, Dr Zarabi, who is an Independent Director, is paid Rs.3,000 as sitting fee per attendance.

Audit Committee

A three-member Audit Committee was constituted by the Board in March, 2001 comprising of two non-Executive Directors and a whole-time Director. With regard to terms of reference, powers and functions of the Committee, the Board suggested that the provisions in Clause 49 of listing agreement prescribed by SEBI as applicable to listed Companies are to be followed as a guideline.

The Audit Committee presently comprises of two Non-Executive Directors, Shri Umesh Chandra, Shri V R Sadasivam and one whole-time Director (Technical) of the Company, Shri Y S Mayya. Shri Umesh Chandra is the Chairman of the Committee. During the year, four meetings of the Committee were held on 24.07.2007, 26.09.2007, 11.12.2007 and 26.03.2008. The Audit Committee reviewed the implementation of Accounting Standards and Audit Programmes. The Committee reviewed the Internal Audit Reports and also the report on the Fixed Assets Physical Verification. The Committee perused the Annual Financial Statements and interacted with the Statutory Auditors for improvement in the system for maintaining financial records as well as the data under Cost Accounts Record Rules.

Investments Committee

The Board constituted an Investment Committee on 17.12.2003 consisting of Chairman & Managing Director, Director (Finance), General Manager (Accounts) and a representative from Corporate Planning and Projects Monitoring Division, to consider the proposals for investment of surplus funds in nationalised banks or sound rated scheduled banks at the highest and competitive rates as per DPE guidelines.

Corporate Management Committee

The Corporate Management Committee is a high level policy making body, headed by the Chairman & Managing Director. The Committee consists of all Functional Directors, Executive Directors, General Managers and Heads of Divisions. The committee meets

regularly and deliberates on the major policy issues including performance of the Company. The President and General Secretary of ECEU and President and Secretary of ECOA are the special invitees.

Divisional Production Committees

The Divisional Production Committees are constituted under the Scheme of Workers' Participation in Management. The Head of Division concerned is Chairman for the Committee and members are drawn from Production shops, Quality Control, Materials Planning, Personnel and Finance & Accounts Groups. The meetings are convened periodically to discuss working plans, to realize the production targets, sales targets and sundry debts, order booking status etc.

Apex Committee

The Apex Committee is constituted under the Scheme of Workers' Participation in Management. The Committee is headed by the Chairman & Managing Director and other members include Functional Directors on the Board, Executive Directors, President and General Secretary of ECEU, and President and Secretary of ECOA. The Committee meets periodically and deliberates on the issues concerning improvement of production and performance and other major policy issues for smooth functioning and maintaining harmonious industrial relations in the company and make suitable recommendations.

General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings of the Company are given below:

Year	Date	Time	Venue
2004-05	11.07.2005	14.00 hours	Registered Office
2005-06	27.07.2006	14.00 hours	ECIL Post Office,
2006-07	26.09.2007	14.00 hours	Hyderabad 500 062

For and on behalf of the Board of Directors

K S Rajasekhara Rao

Chairman & Managing Director

Hyderabad
29.09.2008

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

लेखा का आधार

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा भारत में, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुसार ऐतिहासिक लागत कनवेन्शन के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किये गए और प्रस्तुत किये गए।

ए. राजस्व की मान्यता:

निम्नलिखित मामलों में (कर एवं शुल्क को मिलाकर) बिक्री स्थापित की गई है और अकूअल के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है :

- i) ए) एफओआर डेस्टिनेशन संविधानों के मामले में, लेखे की अवधि में ही माल यदि अपने गंतव्य स्थान को उचित समय में पहुँचने की संभावना हो।
- बी) सभी मामलों में जब मालों को खरीददार को पहुँचाने के लिए वाहक के सुपुर्द किया गया हो यद्यपि कंपनी द्वारा ही परिवहन और बीमा कार्य किये गए हो।
- सी) काम्पोसाइट ठेके संबंध में, प्राक्कलन के आधार पर सेवाएँ मुहैया कराने के पश्चात ठेका मूल्य के अनुसार राजस्व को मान्यता देने के लिए, जहाँ पर सेवाएँ तथा आपूर्तियों के लिए अलग से शुल्क नहीं है।
- डी) साफ्टवेयर के लिए/पावतियों के पूरे होने पर/स्वीकार्यता जहाँ पर ठेके में उपलब्ध प्रत्येक प्रणाली/पैकेज के लिए अलग अलग मूल्य प्रदान कराना है जो तकनीकी अनुमान पर आधारित है और जहाँ पर ऐसे अलग अलग मूल्य उपलब्ध नहीं है।
- ई) यदि बिकरी मूल्य पर अंतिम निर्णय लंबित हो तो, संभवित मूल्य के आधार पर राजस्व की मान्यता दी जाती है। जहाँ पर सब यूनिटों के बेचे गए ब्रेकअप मूल्य का प्रावधान नहीं किया गया, इसका एस्टिमेट किया गया।
- ii) बोनडेड स्टोर्स को स्थानांतर किये गए माल (रक्षा के लिए) का फील्ड टेस्टिंग किया जाना है।
- iii) यदि ठेका दिया गया हो तो ग्राहक द्वारा पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति होने पर भी ग्राहक के अनुरोध पर कंपनी के संरक्षण में माल रख लिया जाता है।
- iv) पेचीदा उपस्कर/प्रणालियों के टर्नकी/काम्पोजिट ठेके के मामले में, जहाँ पर पूरा करने के लिए समय चक्र 12 महीनों से ज्यादा है, इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित तकनीकी समिति द्वारा यथा अनुमोदित काम पूरा होने की प्रतिशतता के आधार पर प्रत्याशित घाटे के लिए प्रावधान रखते हुए राजस्व मान्य किया जाता है।
- ए) विशेष रूप से सामग्री बनाई गई/ प्राप्त की गई तथा
- बी) दी गई सेवाएँ सीधे तौर से परिसंपत्ति के निर्माण के संबंध में है।

बी. आंतरिक पूंजीकरण और अंतर-वर्ग अंतरण

- i) आंतरिक पूंजीकरण : आंतरिक उपभोग के लिये विनिर्मित उपस्करों का लागत पर पूंजीकृत किया गया है।
- ii) अंतर-वर्ग अंतरण : सहमत अंतरण मूल्य के आधार पर अंतर वर्ग या अंतरावर्ग अंतरण किया जाता है। यद्यपि, वर्ष के अंत में उपयोग में लाये बिना बचे हुए मालसूचियों में पड़े हुए ऐसे मदों का लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

सी. मालसूची :

- i) कच्ची सामग्रियाँ, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटक भार औसतन लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं। कच्ची सामग्री के लिये प्रावधान किया गया जो तीन वर्षों से उपयोग नहीं किये गये। अन्य के संबंध में, अप्रचलन के कारण भविष्य में इस्तेमाल के लिये विचार नहीं किये जानेवाले उन मदों के आधार पर प्रावधान किया गया।
- ii) विभिन्न वर्गों में चालू कार्य में उत्पादों को 'फैक्टरी लागत' या "उगाही योग्य निवल मूल्य" दोनों में से जो भी कम हो, उसके अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। तकनीकी अनुमान के आधार पर मूल्यांकन काम जारी है।
- iii) तैयार मालों को 'फैक्टरी लागत' या "उगाही योग्य निवलमूल्य" दोनों में से जो भी कम हो, उसके अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

डी. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं आस्तियों का अवमूल्यन

ऐतिहासिक लागत पर स्थाई परिसंपत्तियाँ, निवल सेनवेट/ वेत यदि कोई हो तो

- i) सीधी रेखा पद्धति के आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।
- ii) वर्ष के दौरान की गयी वृद्धियों/ विलोपनों के लिये मासिक यथानुपात आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।
- iii) यदि 01.04.2003 मद की लागत 10,000 रुपये के समान या उस से कम हो तो, अधिग्रहण / उपयोग के संपूर्ण वर्ष में आस्तियों की लागत को मूल्यहास किया जाता है तथा उस मद के लिये निवल ब्लाक में एक रुपया प्रतिधारित किया जाता है।
- iv) निम्न मामले को छोड़कर कंपनी द्वारा अपनायी गयी अवमूल्यन की दरें कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के अनुसार ही हैं।
- ए) कंप्यूटर शिक्षा प्रभाग द्वारा प्राप्त कंप्यूटर प्रणालियों का अधिग्रहण किया गया है जो 1.4.2001 से 50% की दर से मूल्यहास किये जाते हैं।
- बी) किराये पर भेजी गयी प्रणालियों या प्रदर्शन के लिए या फैक्टरी के बाहर उपयोग के लिए भेजी गयी प्रणालियों जो 01.04.2001 से 50% दर पर अवमूल्यन की जाएंगी।
- सी) इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा प्रभाग द्वारा (i) संयंत्र एवं मशीनरी एवं (ii) इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण एवं मापन उपस्कर के अंतर्गत अधिगृहीत परिसम्पत्तियाँ जो

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: BASIS OF ACCOUNTING :

The financial statements are prepared and presented under the historical cost convention, in accordance with generally accepted accounting principles in India and the provisions of the Companies Act, 1956.

A. RECOGNITION OF REVENUE:

Sales (including Taxes and Duties) are set up and revenue is recognized on accrual basis inter-alia in any of the following cases:

- i) a) In case of FOR Destination contracts, if there is a reasonable expectation of the goods reaching the destination within the accounting period.
- b) In all other cases, when the goods are handed over to the carrier for transmission to the buyer, even if the transport and insurance are undertaken by the company.
- c) In respect of composite contracts, involving supply and services, where separate fee for such services is not specified and supplies are completed, to recognize the revenue as per the contract value, after providing for services on an estimated basis.
- d) For services/software against completion of milestones/acceptance/acknowledgement, where break up values for each system/package are available in the contract or based on the technical estimates where such break up values are not available.
- e) If the sale price is pending finalization, revenue is recognized on the basis of price expected to be realized. Where break up prices of sub-units sold are not provided for, the same are estimated.
- ii) On transfer of items (for Defence) to the bonded stores awaiting field-testings.
- iii) On completion of customer's prior inspection and acceptance in case the contract so provides, even if the goods are retained in the custody of the Company at the request of the customer.
- iv) In case of turnkey/composite contracts of complex equipment/systems, where the normal cycle time for completion is more than 12 months, subject to provision of anticipated losses, revenue is recognised (excluding taxes and duties) based on percentage completion, as certified by a Technical Committee, including
 - a) materials specially made/procured; and
 - b) services rendered as are directly related to the construction of an asset.

B. INTERNAL CAPITALISATION AND INTER-GROUP TRANSFERS:

- i) **INTERNAL CAPITALISATION:**
Equipment manufactured for internal use is capitalised at cost.
- ii) **INTER-GROUP TRANSFERS:**
Inter and Intra group transfers are made at agreed transfer price. However, unutilised stock of such items at the year end lying as inventory is valued at cost.

C. INVENTORY:

- i) Raw materials, Stores & Spares and Components are valued at weighted average cost. Provision is made for raw materials not moved for more than 3 years which may not be required.
In respect of all Others, provision is made on a case-to-case basis for those items which are not considered for future use on account of obsolescence.
- ii) Work-in-progress of products/projects is valued at "factory cost" or "net realizable value" whichever is lower. Valuation of Work-in-progress is based on technical estimates.
- iii) Finished goods are valued at "factory cost" or "net realisable value" whichever is lower.

D. FIXED ASSETS & DEPRECIATION OF ASSETS:

Fixed Assets are stated at historical cost, net of CENVAT/VAT, if any.

- i) Depreciation is charged on straight-line method.
- ii) Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for the additions/deletions during the year.
- iii) Cost of assets is depreciated in full in the year of acquisition/use, if the cost of an item is less than or equal to Rs.10,000/- with effect from 01.04.2003 and Re.1/- is retained in the Net Block for that item.
- iv) The rates of depreciation adopted by the company are as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956, excepting in the case of
 - a) Computer Systems acquired by Computer Education Division which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2001.
 - b) Systems sent on hire or for demonstration or for use outside the factory which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2001
 - c) Assets acquired by Electronic Manufacturing Services Division under the heads of (i) Plant and Machinery and (ii) Electronic Testing and Measuring Equipment which are depreciated at a rate of 50% with effect from 01.04.2003 and

01.04.2003 से 50% की दर से मूल्यहास किये जाते हैं तथा

डी) परियोजनाएँ / साइट पर निर्माण, भंडार, इलेक्ट्रिकल स्थापनाएँ तथा अन्य कार्य 01.04.2003 से ठेके की अवधि के अनुरूप मूल्यहास किये जाते हैं।

व) परिसंपत्तियों का इम्पैरमेंट : प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक के अंत में कैरीइंग परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है कि क्या इम्पैरमेंट का संकेत है या नहीं। यदि कैरीइंग राशि से प्राक्कलन रिकवरेबल राशि कम हो तो इम्पैरमेंट को मान्यता दी जाती है।

ई. पूर्वावधि समायोजन:

गत वर्ष के आय / व्ययों से संबंधित 1,00,000/- रुपये या अधिक की राशि की मदों को पूर्वावधि समायोजनों की तरह माना जाता है।

एफ. पूर्वदत्त और बकाया पड़े आम / व्यय :

आय / व्ययों से संबंधित 1,00,000/- रुपयों या उससे अधिक की राशि की मदों को, मामले के अनुसार पूर्वदत्त / बकाया पड़ी देयता की तरह माना जाता है।

जी. तकनीकी जानकारी

तकनीकी शुल्क, सॉफ्टवेयर कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि पर किया गया व्यय राजस्व पर चार्ज्ड आफ किया गया।

एच. विलंब शुल्क और घाट शुल्क

सभी आयातों पर चाहे वे पूंजीगत हो या अन्यथा उन पर हुए विलंब शुल्क और/या घाट शुल्कों को राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

आई. विनिमय भिन्नता

तुलन पत्र की तारीख को बकाया पड़ी नियत आस्तियों (जो अग्रवर्ती ठेके द्वारा आवरित है उनको छोड़कर) के वित्तीयन के लिये रखे सभी विदेशी मुद्रा लेनदेनों / विदेशी मुद्रा ऋणों सहित शेष राशियों को उस दिन प्रचलित विनिमय दर से परिवर्तित किया जाता है। ऐसी विनिमय भिन्नताएँ एएस-11 के अनुसार लेखों में जाती हैं।

जे. सरकारी अनुदान

विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान संबंधित आस्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में बताये जाते हैं और राजस्व संबद्ध अनुदानों को जिसमें राशियाँ खर्च की गयीं, उनके संबंधित व्यय खातों से कटौती की जाती हैं।

के. अनुसंधान एवं विकास व्यय

जब अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किया गया तब इस व्यय को प्रभारित किया गया। यद्यपि स्थायी परिसंपत्तियों पर किये गये व्यय को पूंजीकृत किया गया।

एल. अशोद्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

केवल ऐसे ऋणों, जो ठेके के शर्तों के अनुसार वसूली के लिये देय नहीं हैं या प्रबंधन द्वारा मामलावार समीक्षा की जाने पर यह माना है कि वे ऋण वसूली योग्य हैं, को छोड़कर एक साल से अधिक अवधि के लिये बचे हुए ऋणों के लिये अशोद्य तथा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जायेगा।

एम. कर्मचारियों का लाभ

- वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों की उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण की देयताओं के लिये प्रावधान किया गया।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति को राजस्व पर चार्ज्ड आफ किया गया।

एन. उधार लागत

योग्यता प्राप्त परिसंपत्तियाँ, जो उपभोग करने के लिये जिस महीने में तैयार हैं, तब तक पूंजीगत किये जाते हैं, के अधिग्रहण, निर्माण एवं उत्पादन से उधार लागत सीधे संबंध लगाते हैं। अन्य उधार लागत जिस अवधि में व्यय किये गये हैं उस अवधि में व्यय के रूप में मान्य हैं।

ओ. आस्थगित कर

परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार के बीच वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनार्थ रखाव राशि तुलन पत्र तारीख को सभी अस्थायी समय परिवर्तनों पर देयता पद्धति अपनाते हुए आस्थगित आयकर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मापन, उन कर दरों के अनुसार जिस अवधि में परिसंपत्तियों की उगाही होती है या देयता निश्चित होती है, वित्तीय विवरण के अनुमोदन की तारीख तक अपनाये हुए कर दरों के आधार पर, (एवं कर नियमों) किया जाता है।

पी. निवेश

अस्थायी के अलावा मूल्य में लागत रहित कोई भी हास पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

क्यू. वारंटीस के लिए प्रावधान

बिक्री के वर्ष में ग्राहकों को बेची गयी सामग्री के संबंध में ठेके संबंधी दायित्व के लिए वारंटी प्रावधान तैयार करना।

आर. पट्टे

ए) आपरेटिंग पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का पूंजीकृत करना। इस तरह से पट्टे की वजह से उत्पन्न हुई राशि को आय के रूप में मान्यता देय। पट्टे एवं उप पट्टों के संबंध में पट्टा किराया प्राप्ति एवं देय को लाभ और हानि खाते में उपचन आधार पर आय और व्यय के रूप में मान्यता दी गई।

बी) फैनान्स पट्टे दी गई परिसंपत्तियाँ सामान्य बिक्री मूल्य/फेयर मूल्य/निवल वर्तमान मूल्य पर बिक्री के रूप में मान्यता दी गई। पट्टे अवधि पर फैनान्स आय को मान्यता दी गई। व्यय किये गये वर्ष में इनिशियल डायरेक्ट कास्ट को व्यय किया गया। वित्तीय पट्टे तथा बाद में उप पट्टे पर दिये गए परिसंपत्तियों के संबंध में, वित्तीय पट्टे के लिए लेखानीति लागू है।

एस. निर्णीत हर्जाना

कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाना के लिए दावों को स्वीकृति पर मान्यता दी गई। शेष दावों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया।

- d) Structures, Erections, Warehouses, Electrical installations and other similar enabling works at Projects/ Sites are depreciated considering the tenure of the contract with effect from 01.04.2003.
- v) Impairment of Assets: As at the end of each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is assessed as to whether there is any indication of impairment. If the estimated recoverable amount is found less than its carrying amount, the impairment loss is recognised and assets are written down to their recoverable amount.

E. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior period adjustments are those adjustments, which are Rs.1,00,000/- and above in each case, arising out of errors and omissions made in the earlier years.

F. PREPAID AND OUTSTANDING INCOME/ EXPENSES:

Items of income/expenses amounting to Rs.1,00,000/- and above in each case are accounted as Prepaid/Outstanding liability as the case may be.

G. TECHNICAL KNOW HOW:

Expenditure on Technical Know how fees, Software, Training of Personnel etc., are charged off to revenue on incurrence.

H. DEMURRAGES AND WHARFAGES:

Expenditure on demurrages and/or wharfages on all imports, whether capital or otherwise, is charged to revenue.

I. EXCHANGE VARIATION:

All foreign currency transactions/balances including foreign currency loans for financing fixed assets (other than those covered by forward contract) outstanding on the date of Balance Sheet are converted at the rate of exchange prevailing on that date. Such exchange differences are treated in the accounts in accordance with AS-11.

J. GOVERNMENT GRANTS:

Govt. Grants related to specific fixed assets are shown as a deduction from the gross value of the assets concerned and those related to Revenue are deducted from the relevant expense accounts in the year in which the amounts are spent.

K. RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENDITURE:

Research and development expenditure is charged to expenditure when incurred. Expenditure incurred on fixed assets is however capitalised.

L. PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBTS:

Provision for bad and doubtful debts is made for the debts outstanding for more than one year, excepting those which are contractually not due as per the terms of the contract or those which are considered realisable based on a case to case review by the management.

M. EMPLOYEE BENEFITS:

- i) Provisions for gratuity and leave encashment liability to employees are made on the basis of actuarial valuation as at the year end.
- ii) Compensation under Voluntary Retirement Scheme is charged off to revenue on incurrence.

N. BORROWING COSTS:

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised till the month in which the asset is ready to use as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which these are incurred.

O. DEFERRED TAXES:

Deferred Income Tax is provided using the liability method on all temporary timing differences at the Balance Sheet date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that expected to apply to the period when the asset is realised or the liability settled, based on tax rates (and the tax laws) that have been enacted upto the date of approval of the financial statements.

P. INVESTMENTS:

Long term investments are valued at cost less any diminution in value that is other than temporary.

Q. PROVISION FOR WARRANTIES:

Warranty provision for contractual obligations in respect of goods sold to customers is set up on the basis of trend based estimates and is provided in the year of sale.

R. LEASES:

- a) Assets given on operating lease are capitalized. The related lease income is recognized as income, over the lease period, on accrual basis. In respect of lease and sub-lease arrangement, the lease rental received and payable are recognized as income and expenditure respectively in the Profit & Loss Account on accrual basis.
- b) Assets given on finance lease are recognized as sale at normal sale price/fair value/Net Present Value. Finance income is recognized over the lease period. Initial direct costs are expensed in the year of incurrence. In respect of assets taken on finance lease and subsequently sub-leased, the Accounting Policy for finance lease, as stated is applicable.

S. LIQUIDATED DAMAGES:

Claims for liquidated damages against the Company are recognised on accrual.

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2008 को स्थित तुलन-पत्र

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची	31.03.2008 तक	31.03.2007 तक
I. नियोजित निधियाँ			
1. शेयरधारियों की निधियाँ			
ए) शेयर पूँजी	ए	16337.12	15488.12
बी) शेयर मनि लंबित आबंटन		0.00	849.00
सी) आरक्षित और अधिशेष	बी	39662.54	30070.60
		55999.66	46407.72
2. रक्षित ऋण	सी	11329.83	0.00
3. अनारक्षित ऋण	डी	6364.14	0.00
		73693.63	46407.72
कुल (I)			
II. निधियों का उपयोग			
1. नियत आस्तियाँ	ई		
ए) सकल अवरुद्ध		20361.05	19858.25
बी) घटाएँ : मूल्यहास		13129.11	12376.50
सी) निवल अवरुद्ध		7231.94	7481.75
डी) मार्गस्थ नियत आस्तियाँ और चालू कार्य पूँजी	एफ	587.11	205.65
		7819.05	7687.40
2. निवेश	जी	164.64	164.64
3. आस्थगित कर (निवल आस्ति)		2388.44	1338.11
4. ऋणों, अग्रिमों एवं चालू आस्तियाँ			
ए) चालू आस्तियाँ			
ए) माल सूचियाँ	एच	6884.13	6855.84
बी) फुटकर देनदार	आई	127003.59	98870.90
सी) नकदी व बैंक में शेष राशियाँ	जे	26794.23	24511.14
बी) ऋण व अग्रिम राशियाँ	के	24617.17	14517.46
		185299.12	144755.34
5. घटायें : चालू देयताएँ व प्रावधान	एल		
ए) चालू देयताएँ		96370.02	88799.40
बी) प्रावधान		25607.60	18738.37
		63321.50	37217.57
6. निवल चालू आस्तियाँ (4) - (5)		63321.50	37217.57
		73693.63	46407.72
कुल (II)			
III. लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ			
	क्यू		

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियाँ 'ए' से 'क्यू' तक लेखों का अंग बनती हैं।
कृते एवं बोर्ड की ओर से।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लक्ष्मीनिवास शर्मा
भागीदार
एम. नं.014244

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 19.08.2008

ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2008

(Rupees in Lakhs)

	Schedule	As at 31.03.2008	As at 31.03.2007
I. SOURCES OF FUNDS			
1. Shareholders' Funds			
a) Capital	A	16337.12	15488.12
b) Share Money Pending Allotment		0.00	849.00
c) Reserves and Surplus	B	39662.54	55999.66
			30070.60
2. Secured Loans	C	11329.83	0.00
3. Unsecured Loans	D	6364.14	0.00
Total (I)		73693.63	46407.72
II. APPLICATION OF FUNDS			
1. Fixed Assets	E		
a) Gross Block		20361.05	19858.25
b) Less : Depreciation		13129.11	12376.50
c) Net Block		7231.94	7481.75
d) Fixed Assets-in-transit & Capital Work-in-Progress	F	587.11	205.65
2. Investments	G	164.64	164.64
3. Deferred Tax (Net Asset)		2388.44	1338.11
4. Current Assets, Loans and Advances			
A) Current Assets			
a) Inventories	H	6884.13	6855.84
b) Sundry Debtors	I	127003.59	98870.90
c) Cash and Bank balances	J	26794.23	24511.14
B) Loans and Advances	K	24617.17	14517.46
		185299.12	144755.34
5. Less: Current Liabilities and Provisions	L		
a) Current Liabilities		96370.02	88799.40
b) Provisions		25607.60	18738.37
6. Net Current Assets (4) - (5)		63321.50	37217.57
Total (II)		73693.63	46407.72
III. NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS			
	Q		

Accounting Policies, Schedules A to Q form part of the Accounts
For and on behalf of the Board

As per our report of even date attached
for LAXMINIWAS & JAIN
Chartered Accountants



U VISHNUMURTHY
Director (Finance)



K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director



LAXMINIWAS SHARMA
Partner
M.No.014244

Place : Hyderabad
Date : 19.08.2008

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2008 तक का लाभ तथा हानि लेखा

(रुपये लाखों में)

	अनुसूची	2007-08	2006-07
I. आय			
विक्रय		80557.65	86341.88
सेवाएं		19336.57	13891.96
पट्टा किराया		270.68	356.31
टर्न ओवर (सकल)		100164.90	100590.15
घटायें : उत्पाद शुल्क		2348.94	4883.16
सेवा कर		1358.63	1124.97
विक्री कर		2270.94	2791.41
टर्नओवर (निवल)		94186.39	91790.61
अन्य आय	एम	4595.43	3355.19
डब्ल्यू आई पी एवं एफ जी के स्टॉक में उपचय(+)/डिक्रीशन(-)	एन-1	98781.82	95145.80
		-611.99	-596.77
कुल I		98169.83	94549.03
II. व्यय			
उपभुक्त सामग्री	एन-2	43153.11	47446.78
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ	एन-3	24236.31	19295.07
निर्माण, प्रशासन एवं अन्य व्यय	एन-4	5562.72	5619.48
विक्रय व्यय	एन-5	3247.42	3619.12
अनुसंधान एवं विकास		2139.69	3199.57
कुल II		78339.25	79180.02
कम: परियोजनाओं एवं अन्य लेखों को अंतरण	ओ	3574.80	5332.76
III. निवल व्यय		74764.45	73847.26
IV. ब्याज एवं मूल्य हास के पहले लाभ	(I-III)	23405.38	20701.77
ब्याज	एन-6	1883.03	622.08
मूल्य हास		1318.82	1203.29
V. वर्ष के लिए लाभ		20203.53	18876.40
(पूर्वावधि/ असाधारण समायोजन के पहले)			
जोड़ें / घटायें पूर्व अवधि में (शुद्ध)	पी	-68.13	39.38
VI. कर के पहले लाभ		20135.40	18915.78
घटायें : कराधान के लिये प्रावधान	- वर्ष के लिये	7695.00	6957.29
	- पिछले वर्षों के लिये	-29.93	-209.79
आस्थगित कर परिसंपत्ति (+)/आस्थगित कर देयता (-)		1050.33	763.99
घटायें : अनुषंगी लाभ कर के लिये प्रावधान		106.00	95.23
VII. कर के बाद लाभ		13414.66	12837.04
जोड़ें : गत वर्ष से आगे ले आया गया शेष		28770.60	20857.62
VIII. अप्रोप्रियेशन के लिये लाभ		42185.26	33694.66
घटायें : प्रस्तावित लाभांश	3267.42	3097.62	
घटायें : प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर	555.30	526.44	
घटायें : सामान्य आरक्षित को स्थानांतर	1350.00	1300.00	4924.06
IX. तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		37012.54	28770.60
प्रति शेयर पर अर्जन	- मूल	821.12	828.83
	- पतला	821.12	821.33

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियाँ 'ए' से 'क्यू' तक लेखों का अंग बनती हैं।
कृते एवं बोर्ड की ओर से।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लक्ष्मीनिवास शर्मा
भागीदार
एम. नं.014244

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 19.08.2008

ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2008

(Rupees in Lakhs)

	Schedule	2007-08	2006-07
I. INCOME			
Sales		80557.65	86341.88
Services		19336.57	13891.96
Lease Rentals		270.68	356.31
Turnover (Gross)		100164.90	100590.15
Less: Excise Duty		2348.94	4883.16
Service Tax		1358.63	1124.97
Sales Tax		2270.94	2791.41
Turnover (Net)		94186.39	91790.61
Other Income	M	4595.43	3355.19
		98781.82	95145.80
Accretion(+)/Decretion(-) in stocks of WIP & FG	N-'1'	-611.99	-596.77
Total I		98169.83	94549.03
II. EXPENDITURE			
Materials Consumed	N-'2'	43153.11	47446.78
Employee Remuneration and Benefits	N-'3'	24236.31	19295.07
Manufacturing, Admn. and Other Expenses	N-'4'	5562.72	5619.48
Selling Expenses	N-'5'	3247.42	3619.12
Research and Development		2139.69	3199.57
Total II		78339.25	79180.02
Less: Transfer to Projects and Other Accounts	O	3574.80	5332.76
III. NET EXPENDITURE	Total III	74764.45	73847.26
IV. PROFIT BEFORE INTEREST & DEPRECIATION	(I-III)	23405.38	20701.77
Interest	N-'6'	1883.03	622.08
Depreciation		1318.82	1203.29
V. PROFIT FOR THE YEAR		20203.53	18876.40
(Before prior period / extraordinary adjustment)			
Add/(Less) Prior Period Items(Net)	P	-68.13	39.38
VI. PROFIT BEFORE TAX		20135.40	18915.78
Less: Provision for Taxation - For the Year		7695.00	6957.29
- For earlier Years		-29.93	-209.79
Deferred tax asset(+)/Deferred tax liability(-)		1050.33	763.99
Less: Provision for Fringe Benefit Tax		106.00	95.23
VII. PROFIT AFTER TAX		13414.66	12837.04
Add: Balance Brought forward from previous year		28770.60	20857.62
VIII. PROFIT FOR APPROPRIATIONS		42185.26	33694.66
Less: Proposed Dividend	3267.42		3097.62
Less: Dividend Tax on Proposed Dividend	555.30		526.44
Less: Transfer to General Reserve	1350.00	5172.72	1300.00
IX. BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET		37012.54	28770.60
EARNINGS PER SHARE(Rs)	- BASIC	821.12	828.83
	- DILUTED	821.12	821.33

Accounting Policies, Schedules A to Q form part of the Accounts
For and on behalf of the Board

As per our report of even date attached

for LAXMINIWAS & JAIN

Chartered Accountants

U VISHNUMURTHY
Director (Finance)

K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director

LAXMINIWAS SHARMA
Partner
M.No.014244

Place : Hyderabad
Date : 19.08.2008

अनुसूची “ए” शेयर पूंजी SCHEDULE “A” SHARE CAPITAL

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

31.03.2008

31.03.2007

प्राधिकृत पूंजी

AUTHORISED CAPITAL

1,000/- रुपये प्रत्येक मूल्य के 20,00,000/- इक्विटी शेयर(गत वर्ष 20,00,000/-)
20,00,000(Previous year 20,00,000) Equity Shares of Rs.1000 each

20000.00

20000.00

जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी

ISSUED, SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL

रु. 1,000 प्रत्येक का 16,33,712 इक्विटी शेयर पूर्ण रूप से प्रदत्त ।
(गत वर्ष 15,48,812) इक्विटी शेयर

16,33,712 (Previous Year 15,48,812) Equity Shares
of Rs.1000 each fully paid up

16337.12

15488.12

कुल

Total

16337.12

15488.12

अनुसूची “बी” आरक्षिति एवं अधिशेष

SCHEDULE “B” RESERVES AND SURPLUS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

31.03.2008

31.03.2007

1. सामान्य आरक्षिति :

GENERAL RESERVE :

गत तुलन पत्र के अनुसार

As per Last Balance Sheet

1300.00

0.00

वर्ष के दौरान जोड़े गये

Additions during the Year

1350.00

2650.00

1300.00

1300.00

2. लाभ तथा हानि लेखों में शेष

Balance in Profit and Loss Account

37012.54

28770.60

कुल

Total

39662.54

30070.60

अनुसूची 'सी' रक्षित ऋण SCHEDULE "C" SECURED LOANS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
अनुसूचित बैंकों से From Scheduled Banks:		
(ए) नकद उधार उपचित एवं प्राप्य ब्याज (a) Cash Credit #	3700.00	0.00
Interest accrued and due	28.85	0.00
(बी) सावधि जमा के विरुद्ध उपचित एवं प्राप्य ब्याज (b) Against Fixed Deposits	7592.85	0.00
Interest accrued and due	8.13	0.00
कुल Total	11329.83	0.00

- # कच्चे माल की गिरवी, भंडार एवं कलपुर्जे, कार्य प्रगति, तैयार माल, बुक ऋण, स्थिर आस्तियाँ तथा भूमि तथा भवनों पर इक्विटेबल मार्टिगेज, एक ही समय में कन्सोर्टियम सदस्य बैंकों को रैंकिंग करना आदि से सेक्यूर किया गया।
- # Secured by first charge by way of hypothecation of Raw Materials, Stores and Sapres, Work-in-Progress, Finished Stock, Book Debts, Fixed Assets and Equitable Mortgage on Land & Buildings, ranking pari passu amongst the consortium member banks.

अनुसूची 'डी' अनारक्षित ऋण SCHEDULE "D" UNSECURED LOANS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
अन्य (अल्पकालीन) OTHERS (SHORT TERM)		
अनुसूचित बैंकों से From Scheduled Banks	6300.00	0.00
उपचित एवं प्राप्य ब्याज Interest Accrued and due	64.14	0.00
कुल Total	6364.14	0.00

अनुसूची “ई” स्थिर परिसम्पत्तियाँ SCHEDULE “E” FIXED ASSETS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

क्र.सं. S No	परिसंपत्ति का नाम Name of the Asset	लागत पर सकल अवरोद्ध Gross Block At Cost				मूल्य हास Depreciation				निवल अवरोद्ध Net Block	
		01.04.2007 वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान 31.03.2008 को स्थित	जोड़ व समायोजन & Adj. During the Year	कटौती व समायोजन & Adj. During the Year	कुल कुल As At 31.03.2008	31.03.2007 तक upto 31.03.2007	वर्ष के लिए For the year	गत वर्षों में कटौती व वर्ष के दौरान समायोजन Previous Years Deductions & Adj. During the Year	31.03.2008 Total upto 31.03.2008	31.03.2008 को स्थित As At 31.03.2008	31.03.2007 को स्थित As At 31.03.2007
1.	भूमि (पूर्ण स्वामित्व) Land (Freehold)	79.37	-	-	79.37	-	-	-	-	79.37	79.37
2.	भूमि विकास Development of Land	13.22	-	-	13.22	13.22	-	-	13.22	-	-
3.	सड़कें, पुल और नाले Roads, Bridges & Culverts	64.12	0.59	-	64.71	23.26	0.98	-	24.24	40.47	40.86
4.	फैक्टरी भवन Factory Buildings	1576.21	13.65	-	1589.86	1135.79	37.63	-	1173.42	416.44	440.42
5.	प्रशासनिक व अन्य भवन Administration & other Buildings	918.64	22.68	-	941.32	328.32	15.53	-	343.85	597.47	590.32
6.	अनुसंधान और विकास संयंत्र मशीनरी Research & Development - Plant Machinery	200.76	23.94	19.73	204.97	142.81	9.48	-	152.29	52.68	57.95
7.	संयंत्र और मशीनरी Plant & Machinery	3010.13	53.05	36.32	3026.86	2222.09	74.25	36.30	2260.04	766.82	788.04
8.	इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण और मापन उपस्कर Electronic Testing & Measuring Equipment	8634.00	551.98	476.71	8709.27	5258.38	328.34	409.29	5177.43	3531.84	3375.62
9.	ग्राहकों को किराये पर दी गयी कंप्यूटर प्रणालियाँ Computer Systems Hired out to Customers	1505.23	94.55	0.90	1598.88	684.89	638.14	0.90	1322.13	276.75	820.34
10.	वातानुकूल और एअर कूलर्स/ रेफ्रिजरेटर्स Air conditioners & Air coolers/Refrigerators	233.52	28.87	3.62	258.77	144.36	12.84	3.39	153.81	104.96	89.16
11.	जल आपूर्ति और मल-निकास Water supply & Sewerage	52.52	-	-	52.52	38.91	1.17	-	40.08	-	13.61
12.	बिजली संस्थापना और उपस्कर Electrical Installation & Equipment	448.68	76.43	3.63	521.48	268.31	14.02	3.30	279.03	242.45	180.37
13.	गाड़ियाँ Vehicles	56.12	11.87	0.04	67.95	37.00	3.61	0.04	40.57	27.38	19.12
14.	फर्निचर, फिटिंग्स और अन्य उपस्कर Furniture, Fittings & Other Equipment	2937.78	287.01	123.57	3101.22	1978.15	187.35	120.61	2044.89	1056.33	959.63
15.	पुस्तकालय Library	68.48	2.70	-	71.18	62.82	2.03	-	64.85	6.33	5.66
16.	परियोजना/साईट के पास शेड, फिक्चर्स एवं निर्माण/संरचना Sheds, Fixtures and Structures/ Erections at Projects/Sites	59.47	-	-	59.47	38.19	1.07	-	39.26	20.21	21.28
	कुल TOTAL	19858.25	1167.32	664.52	20361.05	12376.50	1326.44	573.83	13129.11	7231.94	7481.75
	गत वर्ष PREVIOUS YEAR	19761.36	1912.95	1816.06	19858.25	12818.64	1205.75	1647.89	12376.50	7481.75	6942.72

टिप्पण : अनुसूची - “ई” (जारी...)

- 1 जहाँ प्राप्त आस्ति(यों) की लागत तत्काल सुनिश्चित नहीं की जा सकती और जहाँ अंतर वास्तविक मूल्यांकन से 0.15 लाख रुपयों मा 15% से बढ़ जाता हो वहाँ आनेवाले वर्षों में समायोजन की शर्त के अनंतिम मूल्यांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। इस पद्धति के अपनाये जाने के कारण लाभ में 0.21 लाख रुपयों की कमी हुई। (गत वर्ष के लिए 0.98 लाख रुपये)
- 2 ए) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र सं. 5/10(5)/2000-पीएसयू / खंड 3/61 दिनांक 10-1-2002 द्वारा हैदराबाद स्थित फैक्टरी जिस जमीन पर है (लगभग 278 एकड़) उस जमीन का स्वामित्व कंपनी को अंतरण (निःशुल्क) करने के लिए भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन सूचित किया है। आगे कुल जमीन 278 एकड़ में से 06-01-2006 के पत्र द्वारा बिना लागत के ईसीआईएल को जमीन के स्वामित्व को स्थानान्तरण करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अनुरूप प.ऊ.वि. द्वारा 229.01 एकड़ जमीन “डीड आफ ग्रांट” द्वारा सौंपी गई। शेष 49 एकड़ के लिए स्थानान्तरण की प्रक्रिया चल रही है।
 बी) मौला-अली में कंपनी द्वारा 1982-83 में आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त 0.533 एकड़ भूमि के स्वामित्व दस्तावेज कंपनी के पक्ष में अभी निष्पादित किये जाने हैं।
 सी) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने पत्र सं. 5/10(5)/2000-पीएसयू/खण्ड 3/61 दिनांक 10.01.2002 द्वारा मुंबई स्थित आंचलिक कार्यालय (लगभग 2773.50 वर्ग गज) का स्वामित्व कंपनी को अंतरण (निःशुल्क) करने के लिए भारत राष्ट्रपति के अनुमोदन सूचित किया है। उक्त अनुमोदन को प्रभावी बनाने संबंधी अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।
 डी) निम्न लिखित शर्तों के अनुसार 20 वर्षों की अवधि के लिए आंचलिक कार्यालय, मुंबई के एक भाग में निचला तल एवं प्रथम तल 12,820 वर्ग फीट जगह को मेसर्स इंडियन रेअर एर्थस लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम को पट्टे पर देने के लिए ईसीआईएल ने निम्न शर्तों पर पट्टनामा निष्पादित किया है:- i) 1069.20 लाख रुपयों के लिए दिये गये जगह का प्रतिभूति जमा ii) वार्षिक किराया 1070 रुपये प्रति वर्ष
 ई) वर्ष 1998-99 में प्रति वर्ष एक रुपये पट्टा किराया पर परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मौला-अली स्थित सर्वे नंबर 303 में कुशाईगुडा पुलिस थाना भवन सहित 1.7 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गयी।
3. सरकारी अनुदानों से हासिल अडिशनस एवं समायोजनों जो 51.84 लाख रुपये है जिसे कटौतियाँ एवं समायोजन के स्तंभ के अंतर्गत दर्शाया गया है, वह 51.84 लाख रुपये हैं।
4. अचल संपत्ति जो कुछ उपयोग में नहीं है और अप्रचलित है उसे अपंजीकृत किया गया है। ऐसे संपत्तियों के लाभ हानि लेखे में निवल वर्तमान पुस्तक मूल्य में डेबिट किया गया है वह 577.76 लाख सकल मूल्य के विरुद्ध 19.71 लाख है।

NOTES TO SCHEDULE - “E”

1. Where the cost of the asset(s) acquired is not readily ascertainable, accounting is done on provisional valuation subject to adjustments in subsequent years in value where the variation exceeds Rs.0.15 lakhs or 15% of the actual valuation whichever is higher. The decrease in profit on account of this method is Rs. 0.21 lakhs for the year (Previous year Rs. 0.98 lakhs).
- 2 a) The Department of Atomic Energy (DAE) vide their letter no: 5/10(5)/2000-PSU/Vol. III/61 dated 10.01.2002 conveyed the approval of the President of India for transfer of ownership to the Company (free of cost) of the land on which the factory is located at Hyderabad (about 278 acres). Further, out of 278 Acres of Land, a “Deed Of Grant” for the land admeasuring 229.01 Acres is executed by DAE in accordance with President Of India’s approval for transfer of ownership of land to ECIL at free of cost through letter dated 06.01.2006. For the remaining Land admeasuring about 49 Acres, the matter for transfer is under process.
 b) Title Deed in favour of the Company is yet to be executed for the freehold land admeasuring 0.533 Acres at Moula-Ali acquired by the Company from Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, Hyderabad in 1982-83.
 c) The Department of Atomic Energy (DAE) vide their letter no: 5/10(5)/2000-PSU/Vol. III/61 dated 10.01.2002 conveyed the approval of the President of India for transfer of ownership to the Company (free of cost) Zonal office located in Mumbai (about 2773.50 sq.yards). The actions required for giving effect to the above approval are under process.
 d) ECIL had executed Deeds of Lease with M/s Indian Rare Earths Limited, a Govt. Of India Undertaking, for leasing out a part of Zonal office building at Mumbai, admeasuring 12,820 Sq. Ft in Ground Floor & First Floor for a period of 20 years under the following payment conditions (i) Security Deposit of leased premises for Rs.1069.20 Lakhs and (ii) Annual Rent of Rs.1070/- per annum.
 e) An area of 1.7 acres of land along with building occupied by Kushaiguda Police Station in survey No.303, Moula - Ali, belonging to DAE was leased to the Govt. of AP in the year 1998-99 at lease rent of Re.1/- per annum.
3. Assets acquired out of Government Grants are shown in additions & adjustments amounting to Rs. 51.84 lakhs and under deductions and adjustments Rs.51.84 lakhs.
4. Certain Fixed Assets which are not in-use and Obsolete are de-capitalized. The net present book value debited to Profit and Loss account of such assets are Rs. 19.71 lakhs as against gross value of Rs. 577.76 lakhs.

अनुसूची 'एफ' मार्गस्थ नियत आस्तियाँ और पूँजीगत चालू कार्य

SCHEDULE "F" FIXED ASSETS-IN-TRANSIT AND CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

(रुपये लाखों में)

(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
1. मार्गस्थ पूँजीगत उपस्कर Capital Equipment-in-Transit	415.27	146.62
2. पूँजीगत चालू कार्य Capital Work-in-progress	136.99	32.86
3. पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम - प्लैंट व मशीनरी Advances against Capital Expenditure-Plant and Machinery	34.85	26.17
कुल Total	587.11	205.65

अनुसूची 'जी' निवेश (लागत पर)

SCHEDULE "G" INVESTMENTS (AT COST)

(रुपये लाखों में)

(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
भाव न बताये गये (व्यापार से हटकर) दीर्घावधि UNQUOTED (OTHER THAN TRADE) - LONG TERM		
शेयरों में IN SHARES		
1. ईसीआईएल एम्प्लॉयज कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 250 शेयर । 250 shares of Rs.10/- each fully paid up in ECIL Employees' Consumer Co-operative Society Limited	0.02	0.02
2. मेसर्स ईसीआईएल - रैपिस्कन लिमिटेड में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 14,70,000 ईक्विटी शेयर जिसमें 7,35,000 बोनस शेयर भी सम्मिलित हैं । 14,70,000 equity shares inclusive of Bonus shares 7,35,000 of Rs. 10/- each fully paid up in M/s. ECIL - Rapiscan Ltd.	73.50	73.50
3. मेसर्स ए.पी. गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 10 रुपये प्रत्येक के मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 4,60,960 ईक्विटी शेयर जिनमें बोनस शेयर 1,92,960 शामिल हैं । 4,60,960 equity shares inclusive of Bonus shares 1,92,960 of Rs.10/- each fully paid up in M/s. Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited, Hyderabad.	26.80	26.80
4. आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद में 10 रुपये प्रत्येक के 2,68,000 के ईक्विटी शेयर के 24 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से पूर्ण रूप से प्रदत्त किया गया है । 2,68,000 equity shares of Rs.10/- each, in Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited, Hyderabad at Rs.24/- per share, fully paid up	64.32	64.32
कुल Total	164.64	164.64

अनुसूची ‘एच’ मालसूचियाँ
SCHEDULE “H” INVENTORIES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

31.03.2008

31.03.2007

प्रबन्धन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किये गये अनुसार
As valued and certified by the management

ए) तैयार स्टॉक		
a) Finished Stock	689.92	634.65
बी) चालू कार्य		
b) Work-in-Progress	2572.46	3233.87
सी) रद्दी माल		
c) Scrap	13.71	19.56
डी) कच्ची सामग्रियाँ, असेम्बलीज व संघटक		
d) Raw Materials, Assemblies and Components	1954.73	1878.65
ई) भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और पैकिंग सामग्रियाँ		
e) Stores & Spares and Packing Materials	280.73	241.76
एफ) औजारों का स्टॉक		
f) Stock of Tools	21.93	23.25
जी) मार्गस्थ सामग्रियाँ		
g) Materials-in-Transit	1350.65	824.10
कुल Total	6884.13	6855.84

अनुसूची “आई” फुटकर देनदार SCHEDULE “I” SUNDRY DEBTORS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

31.03.2008

31.03.2007

ए) छः महीनों से अधिक अवधि तक बकाया पड़े कर्ज :

A) DEBTS OUTSTANDING MORE THAN SIX MONTHS :

प्रतिभूति रहित :

Unsecured :

i) वसूली योग्य माने गये

Considered good

15226.15

14136.31

ii) संदिग्ध माने गये

Considered doubtful

2529.88

2438.17

कुल (ए)

Total (A)

17756.03

16574.48

बी) अन्य कर्ज : #

B) OTHER DEBTS :

प्रतिभूति रहित :

Unsecured :

वसूली योग्य माने गये

Considered good

111777.44

84734.59

कुल (बी)

Total (B)

111777.44

84734.59

कुल (ए) + (बी)

Total (A) + (B)

129533.47

101309.07

घटायें : संदिग्ध माने गये कर्जों के लिये प्रावधान

Less: Provision for debts considered doubtful

2529.88

2438.17

कुल

Total

127003.59

98870.90

एस-7 कन्स्ट्रक्शन कांट्राक्ट्स के अंतर्गत दीर्घावधि परियोजना के संबंध में 77164.47 लाख रुपये (गत वर्ष 52555.88 लाख रुपये) आय को अद्यतन रूप में मान्यता दी गई परंतु ग्राहकों को बिल नहीं किया गया ।

Includes Rs.77164.47 lakhs (Previous year Rs. 52555.88 lakhs) towards Income recognised up to date in respect of Long Term Project under AS-7 ‘Construction Contracts’ but not billed to customers.

अनुसूची “जे” रोकड तथा बैंक शेष SCHEDULE “J” CASH AND BANK BALANCES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
1. नगद शेष राशि		
CASH BALANCE		
ए) हाथ में नगद		
a) Cash on hand	5.04	5.50
बी) अधिकारियों के पास अग्रदाय नगद		
b) Imprest Cash with Officers	0.45	0.52
सी) मार्गस्थ/तैयार चेक		
c) Cheques on hand/in-transit	1967.62	2596.46
डी) उपलब्ध स्टैम्प		
d) Stamps on hand	0.08	0.06
	1973.19	2602.54
2. अनुसूचित बैंकों के पास बैंक में शेष राशि		
BANK BALANCES WITH SCHEDULED BANKS		
ए) चालू खाते		
a) Current Accounts	302.12	1882.41
बी) वसूली खाते		
b) Collection Accounts	2062.59	3775.21
सी) मार्गस्थ प्रेषित राशियाँ		
c) Remittances-in-transit	6.33	0.99
डी) मियादी जमा (इसमें सम्मिलित 20450 लाख रुपये (गत वर्ष 8850 लाख) है और बीजी, एलसी, ओडी एवं ऋण के मार्जिन मनी की ओर चिह्नित किया गया)		
d) Fixed Deposits	22450.00	16249.99
[includes Rs.20450 lakhs (Previous year Rs.8850 lakhs) marked towards margin money of BGs, LCs, OD and Loan]	24821.04	21908.60
कुल		
Total	26794.23	24511.14

अनुसूची 'के' ऋण और अग्रिम राशियाँ SCHEDULE 'K' LOANS & ADVANCES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
1. वसूली योग्य मानी गयीं अग्रिम राशियाँ जिनके प्रति कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है : ADVANCES CONSIDERED GOOD IN RESPECT OF WHICH THE COMPANY IS FULLY SECURED: वाहनों के दृष्टिबंधन पर स्टाफ को दी गयीं अग्रिम राशियाँ Advances to staff against hypothecation of vehicles	135.42	191.30
2. असुरक्षित अग्रिम राशियाँ - शोध्य मानी गयीं परंतु उनके संबंध में कंपनी के पास पार्टियों की निजी प्रतिभूति के सिवाय कुछ नहीं है : ADVANCES UNSECURED - CONSIDERED GOOD IN RESPECT OF WHICH THE COMPANY HOLDS NO SECURITY OTHER THAN THE PARTY'S PERSONAL SECURITY:		
ए) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम a) Advances to employees	273.95	284.13
बी) माल और सेवाओं के लिये आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये अग्रिम b) Advances to suppliers for goods and services	2696.60	1754.17
सी) उपार्जित ब्याज एवं अन्य c) Accrued Interest and Others	1244.71	331.85
डी) अन्य अग्रिम राशियाँ d) Other Advances	466.96	567.78
ई) ग्राहकों और अन्यो के दावे e) Claims with Customers and Others	288.20	418.75
एफ) जमा राशियाँ f) Deposits	1438.06	573.07
जी) स्रोत पर काटा गया आयकर g) Tax deducted at source	1439.52	1035.12
एच) पूर्व प्रदत्त व्यय h) Prepaid expenses	53.66	50.10
आई) सीमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि के पास बची शेष राशियाँ आदि i) Balances with customs, Port Trust, Central Excise, etc.	1024.40	388.10
जे) अग्रिम कर (आयकर प्राधिकारी) j) Advance Tax (IT)	15555.69	24481.75
		8923.09
		14326.16
3. संदिग्ध माने गये अग्रिम ADVANCES CONSIDERED DOUBTFUL	276.59	237.15
घटायें : संदिग्ध माने गये अग्रिमों के लिये प्रावधान Less: Provision for advances considered doubtful	276.59	0.00
		237.15
		0.00
कुल Total	24617.17	14517.46

अनुसूची “एल” चालू देयताएँ और प्रावधान SCHEDULE “L” CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	31.03.2008	31.03.2007
1. चालू देयताएँ CURRENT LIABILITIES		
ए) मालों, मशीनरी तथा अन्यो के लिये फुटकर लेनदार a) Sundry Creditors for goods, machinery etc.	16204.35	17726.75
बी) फुटकर लेनदार - एसएसआई एकक b) Sundry Creditors - MSME	8.38	156.70
सी) बैंकों से खरीदारों का क्रेडिट c) Buyers' Credit from Banks	0.00	1009.66
डी) व्ययों के लिए फुटकर लेनदार d) Sundry Creditors for expenses	18391.27	34604.00
ई) ग्राहकों से लिये गये अग्रिम e) Advances from customers	50411.32	49848.50
एफ) सरकारी सहायता अनुदान की राशि f) Government Grants-in-Aid	2928.29	1201.86
जी) जमा राशियाँ g) Deposits	560.15	484.68
एच) परिसर के पट्टे के लिए प्रतिभूति जमा राशि h) Security Deposit for Lease of Premises	1069.20	1069.20
आई) अन्य देयताएँ i) Other liabilities	6797.06	5413.10
कुल-1 Total - 1	96370.02	88799.40
2. प्रावधान PROVISIONS		
आयकर के लिए For Income Tax	16530.34	10490.33
अनुषंगी लाभ कर के लिए For Fringe Benefit Tax	293.46	186.98
प्रस्तावित लाभांश के लिए For proposed Dividend	3267.42	3097.62
प्रस्तावित लाभांश पर कर के लिए For Tax on proposed Dividend	555.30	526.44
तैयार माल के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिये For Excise Duty on Closing stock of Finished Goods	110.81	415.90
उपदान के लिये For Gratuity	301.48	358.67
अर्जित छुट्टी के नगदीकरण के लिए For Earned Leave Encashment	2095.76	1898.00
वारंटी प्रभार के लिए For Warranty Charges	2453.03	1764.43
कुल-2 Total - 2	25607.60	18738.37
कुल (1+2) Total (1+2)	121977.62	107537.77

अनुसूची “एम” अन्य आय
SCHEDULE “M” OTHER INCOME

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. निम्न पर ब्याज INTEREST ON		
ए) स्टाफ को दिये गये अग्रिमों पर		
a) Staff advances	9.79	13.22
बी) बिजली जमा राशियाँ (एपीएसईबी)		
b) Electricity Deposits (APSEB)	2.86	2.86
सी) विशेष जमा राशि प्राप्तियाँ मूल स्रोत पर कटौती की गयी कर 421.68 लाख रुपये (गत वर्ष 359.44 लाख रुपये)		
c) Term Deposit Receipts [Tax deducted at source Rs.421.68 lakhs (Previous Year Rs.359.44 lakh)]	2502.07	1589.85
डी) अन्य		
d) Others	0.31	13.24
	2515.03	1619.17
2. अधिशेष भण्डारों का विक्रय SALE OF SURPLUS STORES	0.00	5.53
3. नियत आस्तियों की बिक्री पर लाभ PROFIT ON SALE OF FIXED ASSETS	6.27	4.45
4. अन्य OTHERS		
ए) किराये		
a) Rent	8.54	10.03
बी) रद्दी की बिक्री		
b) Sale of scrap	28.79	92.65
सी) बीमा दावे		
c) Insurance Claims	7.81	56.06
डी) सीमा शुल्क दावे		
d) Customs Duty claims	0.87	0.19
ई) प्रावधानों की वापसी		
e) Provisions withdrawn	1297.60	1060.86
एफ) दावा नहीं की गयीं देयताएँ पीछे लिखी गयीं		
f) Unclaimed liabilities written back	2.21	14.78
जी) विनिमय दर परिवर्तन		
g) Exchange Rate Variation	91.39	0.00
एच) विविध :		
h) Miscellaneous	592.82	454.72
	2030.03	1689.29
5. जॉइंट वेन्चर कंपनी (ईसीआईएल-रैपिस्कन लिमिटेड) से लाभांश DIVIDEND FROM JOINT VENTURE COMPANY (ECIL-Rapiscan Ltd.)	44.10	36.75
कुल Total	4595.43	3355.19

अनुसूची “एन-1”

चालू कार्य एवं तैयार माल के स्टॉकों में अभिवृद्धि (+)/ कमी (-)

SCHEDULE N-“1”

ACCRETION(+)/DECRETION(-) IN STOCKS OF WORK-IN-PROGRESS AND FINISHED GOODS

(रुपये लाखों में)

(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
अंतिम माल		
CLOSING STOCKS		
i) तैयार माल		
Finished Stock	689.92	634.65
ii) चालू कार्य		
Work-in-progress	2572.46	3233.87
iii) रद्दी		
Scrap	13.71	19.56
	3276.09	3888.08
घटाएँ : आरंभिक माल		
LESS: OPENING STOCKS		
i) तैयार माल		
Finished Stock	634.65	648.76
ii) चालू कार्य		
Work-in-progress	3233.87	3799.20
iii) रद्दी		
Scrap	19.56	36.89
	3888.08	4484.85
अभिवृद्धि (+) / कमी (-)		
Accretion(+)/Decretion(-)	-611.99	-596.77

अनुसूची 'एन-2' उपभुक्त सामग्री SCHEDULE N-"2" MATERIALS CONSUMED

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. कच्ची सामग्रियों, असेम्बलीज एवं संघटकों का उपभोग CONSUMPTION OF RAW MATERIALS, ASSEMBLIES AND COMPONENTS		
आरंभिक माल Opening Stock	1878.65	1616.21
जोड़ें : विक्रय (विक्रय और समायोजन के बाद) Add: Purchases(after sales and adjustments)	41627.55	45742.60
जोड़ें : विभागीय अंतरण - उत्पादन Add: Departmental transfers - Production	560.73 44066.93	1236.60 48595.41
घटायें : लोप के लिये प्रावधान Less: Provision for obsolescence	30.88	0.00
बट्टे खाते डालना Write off	146.33	0.00
कर से मुक्ति Derations	0.00	31.68
	43889.72	48563.73
घटायें : अंतिम माल Less: Closing Stock	1954.73 41934.99	1878.65 46685.08
2. निम्न का उपभोग CONSUMPTION OF		
ए) भंडार और अतिरिक्त पुर्जें a) Stores and Spares	464.04	53.68
बी) पैकिंग सामग्रियाँ b) Packing materials	112.94	110.81
सी) औजार c) Tools	17.95	16.10
	594.93	180.59
3. बेचे गये/उपभुक्त पुर्जों और उपसाधनों की लागत COST OF ACCESSORIES & SPARES SOLD/CONSUMED	623.19	581.11
कुल Total	43153.11	47446.78

अनुसूची “एन-3” कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

SCHEDULE N-“3” EMPLOYEES’ REMUNERATION AND BENEFITS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. कर्मचारियों को वेतन, मजदूरियाँ और अन्य लाभ		
SALARIES, WAGES AND OTHER BENEFITS TO EMPLOYEES *		
ए) वेतन, मजदूरियाँ और बोनस		
a) Salaries, Wages and Bonus	21391.34	15190.78
बी) प्रशासनिक प्रभारों सहित भविष्य निधि में योगदान		
b) Contribution to Provident Fund including administrative charges	1452.94	1317.13
सी) उपदान निधि में योगदान		
c) Contribution to Gratuity Fund	371.61	425.76
डी) सेवांत हितलाभ (स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना)		
d) Terminal Benefits (Voluntary Retirement Scheme)	0.00	1371.16
ई) कल्याण व्यय		
e) Welfare expenses	1020.42	990.24
कुल		
Total	24236.31	19295.07
* शामिल हैं :		
includes:		
A) अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के पारिश्रमिक		
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR’S REMUNERATION		
वेतन		
Salary	6.08	4.33
भविष्य निधि में अंशदान		
Contribution to PF	0.72	0.30
अन्य लाभ		
Other Benefits	2.67	3.20
कुल (ए)		
TOTAL (A)	9.47	7.83
B) निदेशकगण के पारिश्रमिक		
DIRECTORS’ REMUNERATION		
वेतन		
Salary	16.96	14.72
भविष्य निधि में अंशदान		
Contribution to PF	1.53	1.62
पेंशन एवं अन्य लाभ		
Pension and Other Benefits	10.45	13.57
कुल (बी)		
TOTAL (B)	28.94	29.91
कुल (ए + बी)		
TOTAL (A+B)	38.41	37.74

अनुसूची “एन-4” विनिर्माण, प्रशासन एवं अन्य व्यय

SCHEDULE N-“4” MANUFACTURING, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

(रुपये लाखों में)

(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. बिजली और ईंधन Power and Fuel	273.49	264.94
2. जल प्रभार Water Charges	132.96	139.50
3. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs & Maintenance		
ए) भवन a) Buildings	227.56	97.77
बी) संयंत्र एवं मशीनरी b) Plant & Machinery	179.54	52.73
सी) अन्य c) Others	111.09	147.00
4. किराया Rent	144.65	120.89
5. पौरकर और कर Rates and Taxes	313.23	205.09
6. बीमा Insurance	94.52	106.17
7. मुद्रण व लेखन सामग्री Printing & Stationery	83.31	78.61
8. डाक, तार, टेलिफोन और टेलिक्स Postage, Telegram, Telephones & Telex	147.00	137.85
9. विज्ञापन Advertisement	56.11	11.50
10. यात्रा और सवारी व्यय Travelling and Conveyance expenses	1001.31	953.27
11. वाहन व्यय Vehicle expenses	164.00	148.34
12. निदेशकों के शुल्क और यात्रा व्यय Directors' fees and travelling expenses	4.53	1.14
13. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय लेखा परीक्षकों के रूप में : Auditors' fees and expenses As Auditors:		
ए) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क a) Statutory Audit fee		
-चालू वर्ष - Current year	6.00	4.00
-गत वर्ष - Previous year	2.00	0.00
बी) व्यय b) Expenses	3.02	1.19

अनुसूची “एन-4” विनिर्माण, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी....)

SCHEDULE N-“4” MANUFACTURING, ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES (Contd....)

(रुपये लाखों में)

(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
14. विविध व्यय		
Other Expenses		
i) विनिमय दर परिवर्तन		
Exchange Rate Variation	0.00	4.62
ii) बैंक प्रभार		
Bank Charges	8.58	9.90
iii) बैंक प्रतिभूतियों पर कमीशन		
Commission on Bank Guarantees	35.21	35.16
iv) अतिथि गृह व्यय		
Guest House expenses	10.73	16.25
v) मनोरंजन व्यय		
Entertainment expenses	7.43	10.95
vi) व्यवसायी और परामर्शी प्रभार		
Professional and Consultancy charges	385.31	346.57
vii) पट्टा भाड़े		
Lease Rentals	156.30	227.83
viii) पुस्तके एवं पत्र-पत्रिकाएँ		
Books and Periodicals	4.09	11.66
ix) फ्रैन्चाइसीस को भुगतान		
Payment to Franchisees	954.32	899.61
x) विविध		
Miscellaneous	778.90	2340.87
15. i) कर मुक्ति		
Derations	0.00	112.20
ii) बट्टे खाते डाले गए आर.एम., एस.एस., स्पेर्स आदि		
Write off of RM, SS, Spares etc.	161.35	0.00
iii) अन्य बट्टे खाते डाले गए		
Other write offs	28.24	189.59
16. स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय		
Staff training expenses	23.45	14.44
17. तकनीकी जानकारी		
Technical Know-how	0.00	14.81
18. चंदे		
Donations	0.00	0.05
19. प्रावधान		
Provisions:		
संदिग्ध अग्रिम		
Doubtful Advances	33.26	51.82
अप्रयत्न सामग्री		
Material Obsolescence	31.23	64.49
कुल		
Total	5562.72	5619.48

अनुसूची “एन-5” बिक्री व्यय

SCHEDULE N-“5” SELLING EXPENSES

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. विज्ञापन - वाणिज्यिक Advertisement - Commercial	19.66	14.94
2. बिक्री व्यय Selling expenses	1352.82	1199.08
3. रायल्टियाँ Royalties	0.22	32.14
4. बिक्री एजेंटों को कमीशन Commission to Selling Agents	70.13	104.48
5. संदिग्ध राशियों के लिये प्रावधान - फुटकर देनदार Provision for amounts considered doubtful - Sundry debtors	263.57	230.71
6. निर्णीत हर्जाना Liquidated damages	862.47	1401.05
7. नावसूल राशियाँ Irrecoverable amounts:		
- बड़े खाते डाली गई अशोध्य ऋण Bad Debts written off	560.78	635.75
- आहरित दावे Claims withdrawn	117.77	0.97
कुल Total	678.55	636.72
	3247.42	3619.12

अनुसूची “एन-6” ब्याज
SCHEDULE N-“6” INTEREST

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. रोकड जमा लेखा Cash Credit Account	3.50	11.72
2. नियत जमाओं के विरुद्ध ऋण Loans against Fixed Deposits / Others	1182.36	155.22
3. आयकर पर ब्याज Interest on Income Tax	553.05	338.19
4. पेशगियाँ एव अन्य पर ब्याज Interest on Advances and Others	144.12	116.95
कुल Total	1883.03	622.08

अनुसूची “ओ” परियोजना और अन्य लेखों को अंतरण

SCHEDULE “O” TRANSFERS TO PROJECTS AND OTHER ACCOUNTS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
1. वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर व्यय Expenditure on Scientific Research and Development		
- आंतरिक - In House	2139.69	3199.55
- अनुदान - Grants-in-Aid	244.71	529.67
2. पूँजी उपयोग के लिए आंतरिक कार्य Internal Jobs for Capital use	3.93	18.78
3. मरम्मत और अनुरक्षण - आंतरिक Repairs and Maintenance - Internal	52.81	82.56
4. अतिथि-गृह व्यय Guest House Expenses	9.66	7.96
5. बीमा - क्रय Insurance - Purchases	8.10	6.07
6. फालतू पुर्जे Spare Parts	2.30	0.00
7. विभागीय स्थानान्तरण - उत्पादन Departmental Transfers - Production	511.33	1194.26
8. सेवा कर इनपुट क्रेडिट Service Tax Input Credit	602.27	293.91
कुल Total	3574.80	5332.76

अनुसूची 'पी' पूर्वावधि समायोजन
SCHEDULE "P" PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

(रुपये लाखों में)
(Rupees in Lakhs)

	2007-08	2006-07
आय		
INCOME		
विक्रय एवं सेवाएँ		
1. Sales & Services	-650.80 #	37.80
अन्य प्राप्तियाँ		
2. Other Receipts	0.00	-3.74
कुल-I		
Total - I	-650.80	34.06
व्यय		
EXPENDITURE		
1. सामग्री का उपभोग		
Materials Consumed	-472.57 #	-11.75
2. प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय		
Administrative & Selling Expenses	-58.65	3.96
3. मूल्यहास		
Depreciation	7.62	2.47
4. कर एवं शुल्क		
Taxes & Duties	-59.07 #	0.00
कुल-II		
Total - II	-582.67	-5.32
कुल-(I-II)		
Total - (I - II)	-68.13	39.38

दो ई गवर्नेन्स परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति के दिनांक में परिवर्तन के कारण कटौती शामिल है।

includes reduction on account of change in acceptance dates in respect of two e-governance projects

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ

1. प्रकटीकरण से मुक्ति :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग-2 के यथा संशोधित निम्न प्रावधानों सहित प्रकटीकरण अनुपालन से कंपनी को कंपनी कार्य के दिनांक 15-04-2008 के पत्रांक 46/87/2007-सी एल-3 के अनुसार मुक्ति दी गयी :

पैरा	ब्यौरा
3(i)(ए)	प्रत्येक दर्जे के माल एवं उसकी मात्रा के संबंध में बिक्री संबंधी विवरण
3(ii)(ए)(1)&(2), 3(ii)(डी)	माल का प्रारंभिक एवं समापन स्टॉक, कच्ची सामग्री का क्रय, विक्रय एवं खपत उसके मात्रात्मक विवरण और अर्पित सेवाओं से सकल आय के साथ
4सी	विनिर्मित प्रत्येक दर्जे के माल के संबंध में उत्पादन की लाईसेंस क्षमता, प्रस्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के संबंध में विवरण
4डी(ए)	कच्ची सामग्री, संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूंजित माल के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान लागत बीमा भाड़ा आधार पर आकलित आयतों का मूल्य
4डी(सी)	आयातित एवं स्वदेशी कच्ची सामग्री, संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जों की खपत का मूल्य और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

2. लेखांकन नीतियों में बदलाव के कारण लेखे पर प्रभाव :

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीतियों में कुछ बदलाव किये गए वे हैं, लेखा मानकों पर ए (i) (ई) ए (iv), मालसूचियाँ “सी” पूर्वावधि समायोजन “ई” पूर्वप्रदत्त एवं बकाया आय/व्यय “एफ” तकनीकी जानकारी “जी” कर्मचारी हित “एम” एवं निर्धारित हर्जाना “एस” सामग्री का प्रभाव निम्नवत है:-

ए) मालसूचियाँ :- संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार अप्रचलन के लिए 31.23 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया और 161.35 लाख रुपये बढ़े खाते डाले गए। नीति में बदलाव करने के कारण कर से पहले लाभ में 83.63 लाख की कमी हुई।

बी) निर्धारित हर्जाना : नीति के बदलाव के कारण कर से पहले लाभ में 682.30 लाख की कमी हुई।

सी) पूर्वावधि समायोजना :- नीति में बदलाव के कारण वर्ष के लिए लाभ में 0.63 लाख रुपयों की हुई।

डी) पूर्वप्रदत्त एवं बकाया आय /व्यय : नीति में बदलाव के कारण वर्ष के लिए लाभ में 0.55 लाख रुपयों की कमी हुई।

3. लेखांकन मानकों का अनुपालन (ए एस)

(कंपनी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार)

ए) निर्माण ठेका (लेखांकन मानक - 7):

ए) लेखांकन नीति सं. ए (iv) की शर्तों के अनुसार इस प्रयोजनार्थ गठित तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणित पूरे हुए काम की प्रतिशतता के आधार पर एएस-7 के अनुसार (निर्माण ठेके) निर्माण राजस्व रु.51154.94 लाख (गत वर्ष 36198.37 लाख रुपये) को मान्यता दी गई जो निम्न पद्धति पर आधारित है :-

i) ठेके के अनुमानित कुल लागत पर 31-03-2008 तक वास्तविक लागतों के अनुपात पर 5690.08 लाख रुपये।

ii) ठेका कार्य का फिजिकल अनुपात पर 45464.86 लाख रुपये कार्य पूरा होने पर प्रतिशतता जिसमें संबंधित कार्य भी शामिल है।

ए) एक अनुबंध के लिए 2980 लाख रुपये आबंटित किये गए जो सीधे बिजली परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित है जिसे ए एस-7 के (ए एस -7 के क्लास के अनुसार) अर्थ के अंतर्गत निर्माण ठेके के रूप में माना गया है और इसी तरह की प्रकृति के ठेकों में आई सी ए आई के विशेषज्ञ सलाहकार समिति की भी यही राय है। वर्ष के दौरान इस ठेके पर मान्यता प्राप्त राजस्व 532.67 लाख रुपये हैं।

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS

1 EXEMPTION FROM DISCLOSURE:

Exemption was granted by Ministry of Company Affairs vide Letter.No.46/86/2008-CL-III dated 15.04.2008 to the Company from disclosure compliance of the following provisions contained in part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 as amended:

PARA	PARTICULARS
3(i)(a)	Details regarding Sales in respect of each class of goods with quantities thereof.
3(ii)(a) (1)&(2), 3(ii)(d)	Value of opening and closing stocks of goods, purchases, sales and consumption of raw materials with value and quantitative break up and Gross Income from services rendered.
4C	Details regarding licensed capacity, installed capacity and actual production in respect of each class of goods manufactured.
4D(a)	Value of imports calculated on CIF basis by the Company during the financial year in respect of raw materials, components and spare parts and capital goods.
4D(c)	Value of imported and indigenous Raw materials, components and spares consumed and percentage of each to the total consumption.

2 IMPACT ON ACCOUNTS DUE TO CHANGES IN THE ACCOUNTING POLICIES :

Certain changes have been made in the Accounting Policies on Revenue Recognition i.e., A (i)(e) & A(iv), Inventories "C", Prior period adjustments "E", Prepaid and Outstanding Income/Expenses "F", Technical Know-how "G", Employee Benefits "M" and Liquidated Damages "S" and the material impact thereof is given below :

- Inventories: In accordance with the revised accounting policy, an amount of Rs. 31.23 lakhs has been provided towards obsolescence and Rs. 161.35 lakhs has been written off. Change in policy has resulted in decrease in PBT by Rs. 83.63 lakhs.
- Liquidated Damages: Change in policy has resulted in decrease in PBT by Rs. 682.30 lakhs.
- Prior period adjustments: Change of policy has resulted in decrease in Profit for the year by Rs. 0.63 lakhs.
- Prepaid and Outstanding Income/Expenses : Change of policy has resulted in decrease in Profit for the year by Rs. 0.55 lakhs

3 COMPLIANCE TO ACCOUNTING STANDARDS (AS) (Pursuant to Sec 211 of the Companies Act)

A) CONSTRUCTION CONTRACTS (AS -7) :

- In terms of Accounting Policy No. A(iv) Contract Revenue of Rs. 51154.94 lakhs (previous year Rs.36198.37 lakhs) is recognized as per AS-7 (Construction Contracts), based on the percentage of completion of works, as certified by a technical committee, by the following methods
 - Rs.5690.08 lakhs on the ratio of actual costs incurred up to 31.03.2008, to the estimated total cost of the contract.
 - Rs.45464.86 lakhs on the percentage completion of the physical proportion of the contract work, including related services.
- A Contract for Rs.2980 lakhs towards rendering the services which are directly related to the setting up of Power Project has been treated as Construction Contracts within the meaning of AS-7 (as per clause 4 of AS-7) and also opined by the Expert Advisory Committee of ICAI in the contracts of similar nature. The revenue recognized on this contract is Rs. 532.67 lakhs during the year.

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

बी) जैसे कि परियोजना समाप्ति अवधि की समीक्षा की गई और ग्राहक द्वारा परियोजना को 18 महीनों में परिवर्तित किया गया और ठेके के अंतर्गत राजस्व को लेखांकन नीति के ए (iv) के अनुसार मान्यता दी गई। वर्ष के दौरान इस ठेके पर मान्यता प्राप्त राजस्व 39.37 लाख रुपये हैं।

सी) सिंगल वर्क पैकेज के अंतर्गत ग्राहक द्वारा पांच ठेके पर बाताचीत हुई, प्राप्त किया गया और पुष्टि की गई जैसे कि बिजली संयंत्रों को सेटअप कर डिजाइन, आपूर्ति संस्थापन, विभिन्न सुविधाओं का प्रारंभ व आदि को ए एस-7 के अर्थ के अंतर्गत निर्माण ठेकों की तरह माने जाते जैसे कि यह टर्न की परियोजनाए है और तदनुसार 315.28 लाख रुपये राजस्व को मान्यता दी गई।

बी) 31-03-2008 तक लागत ठेका और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि कम)	रु.135520.87 लाख
सी) प्राप्त अग्रिम (निवल)	रु.43864.35 लाख
डी) ग्राहकों से देय सकल राशि	रु.77164.47 लाख
ई) ग्राहकों को देय सकल राशि	शून्य
एफ) रिटेन्शन्स (यदि कोई हो)	शून्य

बी) कर्मचारी हित (ए एस - 15)

ए) छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई निधि नहीं है, प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक में एक्चूरियल मूल्यांकन पर मान्यता दी गई। वर्ष 2007-08 के दौरान अल्पावधि छुट्टी नकदीकरण के लिए 260.31 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया जो आनेवाले 12 महीनों के दौरान संभावित छुट्टी नकदीकरण करनेवालों के लिए है।

बी) ग्रेच्युटी एक अनफ न्डेड डिफाइन्ड बेनिफिट योजना है जो योग्य कर्मचारी संगठन से अलग होने पर देय है। जीवन बीमा के कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी कम लाइफ अस्युरेस स्कीम के महाम से कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि द्वारा प्रबंध किया जाता है। वर्तमान सेवा लागत तथा डिफाइन्ड आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य के आधार पर कंपनी वार्षिक योगदान देती है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को इस्तेमाल करते हुए देयता का निर्धारण किया जाता है।

ग्रेच्युटी के संबंध में बीमांकक द्वारा दिये गए लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र में निवल देयता को मान्यता दी गई वह निम्नवत् है:-

i) 31-03-2008 तक डिफाइन्ड बेनिफिट आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य का अथ शेष तथा इति शेष का मिलान जो निम्नवत् है:-

(रु. लाखों में)

I. बेनिफिट आब्लिगेशन में परिवर्तन:-	
प्रारंभ में आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य	8843.17
ए) ब्याज लागत	663.24
बी) वर्तमान सेवा लागत	110.58
सी) प्रदत्त लाभ	416.59
डी) एक्चूरियल (लाभ) / हानि	292.34
अवधि के अंत तक आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य	9492.74

SCHEDULE “Q” – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

- b) As the project completion period was reviewed and changed to 18 months in respect of a Project by the customer, the revenue under the contract was recognized as per A (iv) of the Accounting Policy. The revenue recognized on this contract is Rs. 39.37 lakhs during the year.
- c) Five contracts negotiated, secured and confirmed by the customer, under a ‘Single Work Package’ as all the activities are inter related for design, supply, installation, commissioning of various facilities for setting up of power plants have been treated as construction contracts within the meaning of AS-7 being turnkey project and revenue to the tune of Rs.315.28 lakhs has been accordingly recognized.

b) Contract costs incurred and recognized profits (Less Recognized losses) up to 31.03.2008	Rs. 135520.87 lakhs
c) Advances received (Net)	Rs. 43864.35 lakhs
d) Gross amount due from customers	Rs. 77164.47 lakhs
e) Gross amount due to customers	NIL
f) Retentions, if any	NIL

B) EMPLOYEE BENEFITS- (AS-15):

- a) The obligation for leave encashment, unfunded is recognized by the actuarial valuation at each Balance Sheet date. During the year 2007-08, provision of Rs. 260.31 lakhs has been made towards Short Term Leave Encashment Liability being the undiscounted value of expected availment of leave during the next 12 months.
- b) Gratuity is a funded Defined Benefit Plan payable to the qualifying employees on separation. It is managed by Employees Gratuity Fund through Employees Group Gratuity cum Life Assurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India. Company makes annual contribution to the Fund based on the present value of the Defined obligation and the related current service costs which are measured on actuarial valuation carried out on Balance Sheet date. The liability has been assessed using Projected Unit Credit Method.

The net liability recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet as furnished by the Actuary in respect of Gratuity is given below :

- i) Reconciliation of opening and closing balances of the present value of the defined benefit obligation as at the year ended 31.03.2008 are as follows :

(Rs. in lakhs)

I. Change in Benefit obligation :	
Present value of obligation as at the beginning	8843.17
a) Interest Cost	663.24
b) Current Service Cost	110.58
c) Benefits paid	416.59
d) Actuarial (gain) / loss	292.34
Present value of obligation at the end of the period	9492.74

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

II. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8396.07
ए) योजना परिसंपत्ति पर संभावित रिटर्न	796.18
बी) अंशदान	415.60
सी) प्रदत्त लाभ	416.59
डी) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ/हानि	शून्य
अवधि के अंत तक योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	9191.26
योजना परिसंपत्ति पर आब्लिगेशन की अधिकता	301.48
III. लाभ/हानि लेखों के विवरण में व्यय की मान्यता	
ए) वर्तमान सेवा लागत	110.58
बी) ब्याज लागत	663.24
सी) योजना परिसंपत्ति पर संभावित रिटर्न	796.18
डी) अवधि में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ/हानि)	292.34
लाभ हानि लेखों के विवरण में व्यय की मान्यता	269.98
IV. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ	
ए) अवधि के अंत तक आब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य	9492.74
बी) अवधि के अंत तक योजना परिसंपत्तियों का स्वच्छ मूल्य	9191.26
सी) वित्त पोषण की स्थिति	(301.48)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	301.48
V. 31 मार्च 2008 पर योजना संपत्तियों की प्रमुख श्रेणी	
	शून्य
VI. प्रमुख अवधारणाएँ	
ए) छूट की दर	7.50%
बी) वेतन वृद्धि दर	6.25%

- ii) 31-03-2008 तक पूर्व कर्मचारियों के अल्प कालीन देयता के संबंध में उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया, यह 61.30 लाख रुपये (गत वर्ष 57.39 लाख रुपये) वर्तमान देनदारियों की प्रावधानों में शामिल किया गया।
- iii) मटेरियालिटी को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रेच्युटी 88.43 लाख रुपयों के कारण ट्रन्सीशन दायित्व को रेखांकित किया गया।

सी) सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए एस-17)

यह कंपनी मुख्य रूप से नाभिकीय, अंतरिक्ष एवं रक्षा सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण एवं आपूर्ति के कार्य में जुड़ी हुई है। कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची के अंतर्गत वार्षिक लेखों में मात्रात्मक विवरण का प्रकटीकरण के लिए कंपनी कार्य विभाग द्वारा छूट दी गयी है। इसीलिए ए एस-17 के अंतर्गत अपेक्षित सेगमेंट सूची प्रकट नहीं की गई। यद्यपी, इस तरह का अप्रकटीकरण से वित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा।

डी) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18)

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

श्री के. एस. राजशेखर राव

श्री एस. हनुमंत राव

श्री यू. विष्णुमूर्ति

श्री जी.एन.वी. सत्यनारायणा

श्री वै. एस. मय्या

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (कार्मिक)

निदेशक (वित्त)

निदेशक (तकनीकी) 31-08-2007 तक

निदेशक (तकनीकी) 01-09-2007 से

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

II. Change in Fair value of plan assets	
Fair value of plan assets at the beginning of the year	8396.07
a) Expected return on plan assets	796.18
b) Contributions	415.60
c) Benefits paid	416.59
d) Actuarial gain/loss on plan assets	NIL
Fair value of plan assets at the end of the period	9191.26
Excess of obligation over Plan Assets	301.48
III. Expenses recognized in the statement of Profit & Loss A/C	
a) Current service Cost	110.58
b) Interest Cost	663.24
c) Expected return on Plan Assets	796.18
d) Net Actuarial (gain/loss) recognized in the period	292.34
Expenses recognized in the statement of Profit & Loss A/C	269.98
IV. Amounts recognized in the Balance Sheet	
a) Present value of obligation as the end of the period	9492.74
b) Fair value of Plan Assets at the end of the period	9191.26
c) Funded Status	(301.48)
Liability recognized in Balance Sheet	301.48
V. Major Category of plan assets as at 31st March, 2008	NIL
VI. Principal Assumptions	
a) Discounting Rate	7.50%
b) Salary Escalation rate	6.25%

- ii) Short term liability in respect of ex-employees as on 31.03.2008 not included above, amounting to Rs. 61.30 lakhs (previous year Rs. 57.39 lakhs) has been included in Current Liabilities and Provisions.
- iii) Keeping materiality in view, Transition liability on account of Gratuity of Rs. 88.43 lakhs has been accounted during the year 2007-08.

C) SEGMENT REPORTING (AS-17) :

The Company is engaged mainly in manufacture and supply of electronic products to Nuclear, Space and Defence Services. The company has been granted exemption, by Ministry of Company Affairs, from publication in the annual accounts of the quantitative particulars under Schedule VI to the Companies Act, 1956. Hence segment information required under Accounting Standard 17 are not disclosed. However, such non-disclosure has no financial effect.

D) RELATED PARTY DISCLOSURE (AS-18):

- i) Key Management Personnel :

Shri K S Rajasekhara Rao	Chairman & Managing Director
Shri S Hanumantha Rao	Director (P)
Shri U Vishnumurthy	Director (F)
Shri G N V Satyanarayana	Director (T) (upto 31.08.2007)
Shri Y S Mayya	Director (T) (from 01.09.2007)

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को मेहनताना 38.41 लाख रुपये (अनुसूची एन-3) गत वर्ष 37.74 लाख रुपये)

- ii) ईसीआईएल-रेपिस्कान का एक साझा कंपनी (जेवीसी) है जिस में ईसीआईएल का शेयर 49% है। वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी निर्णय लेने में जेवीसी पर ईसीआईएल का कोई प्रभाव नहीं है।

लेन देन का ब्यौरा :

(रु. लाखों में)

विवरण	2007-08	2006-07
माल क्रय	86.15	1327.78
माल की बिक्री	1152.77	1079.21
साझा कंपनी को की गई सेवा	104.78	102.42
एजेन्सी प्रबंधन (मानवशक्ति)	272.02	शून्य
साझा कंपनी को देय	1286.76	1320.77
साझा कंपनी से प्राप्त राशियाँ	889.96	870.50
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	4.88	शून्य
बढ़ेखाते डाले गए ऋण	शून्य	3.38

ई) कमाई प्रति शेअर (एएस-20)

31-3-2008 को समाप्त वर्ष के लिये एएस-20 के अनुसार कमाई प्रति शेयर निम्नप्रकार गणना की गई :

लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (लाख रुपये)	13414.66
1-4-2007 को ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या (संख्या)	
(मई 2007 में आबंटित किये गये शेयर भी शामिल है जिसके लिये फरवरी 07 को राशि प्राप्त की गई)	1633712
प्रत्येक शेयर डैल्यूटेड आय की गणना के लिये ईक्विटी शेयरों की भारित औसतन संख्या	1633712
ईक्विटी शेयर का सामान्य मूल्य	रु. 1000/-
कमाई प्रति शेयर (मूल एवं पतला)	रु. 821.12

एफ) आय पर करों के लिये लेखांकन (एएस-22)

- i) एएस-22 के अनुरूप 31-03-2008 को कंपनी ने 2388.44 लाख रुपये शुद्ध संचित आस्थगित कर परिसंपत्ति रिकार्ड किया है (गत वर्ष 1338.11 लाख रुपये)। आगे, चालू वर्ष से संबंधित 1050.33 लाख रुपये (गत वर्ष 763.99 लाख रुपये) शुद्ध आस्थगित कर देयता वर्ष 2007-08 के लाभ व हानि लेखों में मान्यता प्राप्त की गयी है।
- ii) समय अंतराल की वजह से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं में सम्मिलित हैं :

(रुपये लाखों में)

विवरण	आस्थगित कर			
	31.03.2008 को		31.03.2007 को	
	परिसंपत्तियाँ	देयताएँ	परिसंपत्तियाँ	देयताएँ
मूल्यहास		3514.48		3888.34
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	1414.64		1984.84	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम के लिये प्रावधान	1042.05		1155.65	
वेतन संशोधन बकाया	3690.41		1063.80	
43 बी अन्य डिसअलवेन्सस	3993.68		3620.34	
अन्य	400.59		39.10	
कुल	10541.37	3514.48	7863.73	3888.34

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

Remuneration to Key Management Personnel – Rs. 38.41 lakhs (Refer Schedule N-3) (Previous year Rs.37.74 lakhs).

- ii) ECIL- Rapiscan Limited is a Joint Venture Company (JV) in which the share holding interest of ECIL is 49%. ECIL has limited influence over the JV in making operating decisions.

Details of transactions :

(Rs. in lakhs)

Particulars	2007-08	2006-07
Purchase of Goods	86.15	1327.78
Sale of goods	1152.77	1079.21
Services rendered to JVC	104.78	102.42
Services received from JVC	1256.74	86.43
Agency arrangements (manpower)	272.02	NIL
Amounts payable to JVC	1286.76	1320.77
Amounts receivable from JVC	889.96	870.50
Provision for Bad & Doubtful debts	4.88	NIL
Write Off of Debts	NIL	3.38

E) EARNINGS PER SHARE (AS-20):

Earnings per share as per AS-20 are calculated as shown below for the year-ended 31.03.2008.

Net Profit after tax as per Profit and Loss Account (Rs. in Lakhs)	13414.66
Weighted Number of equity shares as on 01.04.2007 (Nos.) (including shares allotted in May, 2007 for which amount was received in February, 07)	1633712
Weighted average number of equity shares for calculation of earnings per share (Nos)	1633712
Nominal value of equity share	Rs.1000/-
Earnings per share (Basic & Diluted)	Rs. 821.12

F) ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22):

- i) Pursuant to AS-22, the Company had recorded a net cumulative deferred tax asset of Rs.2388.44 lakhs as on 31.03.2008 (previous year Rs.1338.11 lakhs), recognizing a net deferred tax asset of Rs.1050.33 lakhs (previous year Rs.763.99 lakhs) in the Profit and Loss Account for the year 2007-08.

- ii) Major components of deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences are:

(Rs. in lakhs)

Particulars	DEFERRED TAX			
	AS ON 31.03.2008		AS ON 31.03.2007	
	Assets	Liabilities	Assets	Liabilities
Depreciation		3514.48		3888.34
Voluntary Retirement Scheme	1414.64		1984.84	
Provision for Doubtful Debts and Advances	1042.05		1155.65	
Wage Revision Arrears	3690.41		1063.80	
43B Disallowances	3993.68		3620.34	
Others	400.59		39.10	
TOTAL	10541.37	3514.48	7863.73	3888.34

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

जी) एएस-29 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण, प्रावधान, प्रासंगिक देयताएँ एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियाँ :

एएस-7 के अंतर्गत कवर किये गये दीर्घ कालीन परियोजनाओं को छोड़कर वारंटी पर व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:

(रुपये लाखों में)

विवरण	उत्पाद बिक्री पर	एएस-7 के अंतर्गत ठेके पर
1.4.2007 तक अथ शेष	281.67	1482.67
वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	152.91	1003.94
इस्तेमाल की गई राशि (प्रावधान के विरुद्ध इनकरड एवं चार्जड)	5.88	355.19
अप्रयुक्त राशि रिवर्सड	107.19	-
31.3.2008 तक अंत शेष	321.60	2131.42

एच) वर्ष के दौरान प्राप्त की गई आयातित सामग्री की लागत रिकार्ड करने के लिये व्यावहारिक बाधाओं के कारण, भुगतान की तारीख पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दर को ही लेनदेन की तारीख मानी जाती है। पिछले वर्षों के जैसा ही एएस-(II) के अनुसार वर्षान्त के शेष को पुनः मूल्यांकित किया गया। यद्यपि, वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रहा।

4 पट्टा कारबार (ए एस-19)

- i) दिनांक 31.03.2008 को कंपनी की कोई परिसंपत्ति नहीं है जो अपने उपयोगार्थ पट्टे पर ली गई हो। ग्राहकों के अनुरोध पर पट्टा करार के अंतर्गत कतिपय परिसंपत्तियाँ प्राप्त की गयी हैं तथा उप-पट्टा करार के अंतर्गत संबंधित ग्राहकों को उप-पट्टे पर दी गयी हैं। ग्राहकों से प्राप्त 270.68 लाख रुपये पट्टा किराया आय तथा वर्ष 2007-2008 के लिये 156.30 लाख रुपये पट्टा वित्तीय कंपनियों को पट्टा किराया भुगतान लाभ तथा हानि खाते में क्रमशः आय एवं व्यय के रूप में दिखाया गया तथा क्रमशः “पट्टा किराये से आय” एवं “पट्टा किराया भुगतान” दर्शाया गया।

238.51 लाख रुपयों की प्राप्तियों (गत वर्ष 386.82 लाख रुपये) के विरुद्ध कम्प्यूटर प्रणालियों को पट्टे पर लिये जाकर ग्राहकों को पुनः पट्टे पर दिये जाने के संबंध में 350.97 लाख रुपये (गत वर्ष 546.53 लाख रुपये) का भावी पट्टा किराया दायित्व है।

31.3.2008 को भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	
i)	एक वर्ष से ज्यादा नहीं	75.42
ii)	एक वर्ष से ज्यादा लेकिन 5 वर्षों से ज्यादा नहीं	163.09
iii)	5 वर्षों से ज्यादा	शून्य

अवधि के लिए पूर्ण कंटेजेन्ट्स रेंट को आय के रूप में मान्यता दी गई शून्य

- ii) वर्ष बीओएमटी मॉडल के अंतर्गत निष्पादित ठेके से संबंधित सेवा आय को पिछले वर्ष की तरह ही हिसाब में लिया गया। ग्राहक से प्राप्य तिमाही सेवा आय तथा कनसोरटियम भागीदार को व्यय का भुगतान जो निम्नवत् है :-

(रुपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	पट्टा किराया सेवा आय (प्राप्य योग्य)	पट्टा किराया व्यय (देय योग्य)
i)	एक वर्ष के बाद नहीं	876.40	646.88
ii)	एक वर्ष के बाद तथा 5 वर्षों से पहले नहीं	657.30	485.01
iii)	पाँच वर्षों के बाद	शून्य	शून्य

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

G) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS –(AS-29):

The details of provision made towards the expenditure on warranty are as under :

(Rs. in lakhs)

Particulars	On product sales	On contracts under AS-7
Opening Balance as on 01.04.2007	281.76	1482.67
Provisions made during the year	152.91	1003.94
Amounts used (i.e, incurred and charged against provision)	5.88	355.19
Unused amounts reversed	107.19	—
Closing balance as on 31.03.2008	321.60	2131.42

- H) Due to practical constraints, the foreign exchange rate prevailing on the date of payment is considered as transaction date for recording the cost of imported materials procured during the year. Also the year end balances have been revalued as per the AS-11 as in the past years. However, there is no significant impact on the financial results for the year.

4 LEASE TRANSACTIONS (AS-19)

- i) The Company does not have any assets as on 31.03.2008, which are taken on lease for its own use. At the instance of the customers, computer systems have been acquired under lease agreements and are sub-leased to the respective customers under separate sub lease agreements. The lease rental income of Rs.270.68 lakhs received from the customers and lease rental payments of Rs.156.30 lakhs for the year 2007-08 to the lease financing companies are accounted for as Income and Expenditure respectively in the Profit & Loss Account and included under the heads "Income from Lease Rentals" and "Lease Rental Payments" respectively.

Future lease rental obligation in respect of computer systems taken on lease and sub-leased to customers is Rs.238.51 lakhs (Previous year Rs.386.82 lakhs), as against receivables of Rs.350.97 lakhs (previous year Rs.546.53 lakhs).

The quantum of future minimum lease payments as at 31.03.2008 is furnished below:

(Rs. in lakhs)

Sl.No	Particulars	
i)	Not later than one year	75.42
ii)	Later than one year and not later than 5 years	163.09
iii)	Later than five years	NIL

The total contingent rents recognized as income for the period is NIL

- ii) Service income in respect of a contract executed under BOMT Model has been accounted in line with the previous year. The quarterly service income receivable from customer and corresponding expenditure payable to consortium partner are as follows :

(Rs. in lakhs)

Sl.No	Particulars	Service income (Receivable)	Expenditure (Payable)
i)	Not later than 1 year	876.40	646.88
ii)	Later than 1 year and not later than 5 years	657.30	485.01
iii)	Later than five years	NIL	NIL

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

5 सीईएनवीएटी/वीएटी

सीईएनवीएटी तथा वीएटी के बारे में लागू होनेवाली पद्धति जो भारतीय लेखापाल संस्थान द्वारा सुझाव दी गयी व्यावहारिक प्रतिबन्धों की दृष्टि से सख्ती से नहीं अपनाई जा सकी। फिर भी आईसीएआई मार्गदर्शन नोट के सख्ती अनुपालन में लेखा प्रविष्टियाँ प्रभावित नहीं हुई।

6 सहायता अनुदान

31-03-2008 को व्यय न किया गया सरकारी सहायता अनुदान 2928.29 लाख रुपये (गत वर्ष 1201.86 लाख रुपये) चालू देयताएँ एवं प्रावधान - अनुसूची - ‘एल’ के अंतर्गत निम्न समायोजन के पश्चात् :

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के अंत 31.03.2008	वर्ष के अंत 31.03.2007
i)	कुल वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2053.74	456.00
	कम - पिछले वर्ष के व्यय के विरुद्ध समायोजन	53.74	0.00
	निवल समायोजित रसीदें	2000.00	456.00
ii)	वर्ष के दौरान वापसी	12.14	23.00
iii)	वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से खर्च किया :		
	ए) राजस्व मर्दे	244.72	527.76
	बी) पूंजीगत मर्दे	51.84	113.11
iv)	वर्ष के दौरान खर्च न किया गया शेष राशि के रूप में व्याज (साख) का आबंटन	35.13	29.10

7 मालसूचियाँ

i) मालसूचियों में सम्मिलित है :-

ए) उप ठेकेदारों के पास 6.37 लाख रुपये (गत वर्ष 8.51 लाख रुपये) तथा

बी) 5.90 लाख रुपये (गत वर्ष 13.11 लाख रुपये) मूल्य की तैयार माल जो प्रदर्शनी/अनुमोदन/प्रदर्शन के लिए भेजी गई।

ii) चालू कार्य एवं तैयार माल के मूल्य में कटौती :-

वर्ष के दौरान चालू कार्य एवं तैयार माल के मूल्य में कटौती के विरुद्ध अबसालसेन्स 87.73 लाख रुपये रहा (गत वर्ष 134.26 लाख रुपये)

8 ग्राहकों के अनुरोध पर 1619.38 लाख रुपये मूल्य का माल रोका गया जो सुपुर्दगी की स्थिति में हैं। आगे ग्राहकों के अनुरोध पर पहले वर्षों में 31-03-2008 तक 6372.86 लाख रुपये (गत वर्ष 7324.15 लाख रुपये) मूल्य का माल रोका गया जो प्रेषण के लिए तैयार है।

9 ग्राहक जैसे सरकारी विभाग/एजेन्सियों को एफ ओ आर के आधार पर 31 मार्च 2008 से पहले तक 736.64 लाख रुपये मूल्य के प्रेषणों को ए एस-9 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता दी गई।

10 लंबित अंतिम कार्य आदेश प्रति के एल ओ आई के आधार पर पिछले अनुभव के आधार पर वर्ष के दौरान निम्नलिखित राजस्वों को मान्यता दी गई।

i) ग्राहक से 3545 लाख रुपयों के कुल मूल्य के 827.55 लाख रुपये एल ओ आई के आधार पर प्राप्त हुए उसे मान्यता दी गई यह मानिट्रिंग डिस्प्ले सिस्टम डिजाइन, आपूर्ति, इंटीग्रेशन, स्थापना आरंभ करने के लिए है। परस्पर सहमति जताई गई तथा एल ओ आई में दी गई मूल्य पर राजस्व को मान्यता दी गई।

SCHEDULE “Q” – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

5 VAT

Treatment of VAT with reference to income and expenditure in Profit & Loss Account as suggested by ICAI could not be followed in view of practical constraints. However, there is no financial impact on the results for the year.

6 GRANTS-IN-AID

Unspent balance of Government Grants-in-Aid Rs.2928.29 lakhs as on 31.03.2008 (Previous year Rs.1201.86 lakhs) under Current Liabilities and Provisions – Schedule – L is after consideration of the following adjustments:

(Rs. in Lakhs)

Sl. No	Particulars	Year ended 31.03.2008	Year ended 31.03.2007
i)	Total receipts during the year	2053.74	456.00
	Less: Adjustments against previous year's expenditure	53.74	0.00
	Net adjusted receipts	2000.00	456.00
ii)	Refund during the year	12.14	23.00
iii)	Actually utilized during the year towards:		
a)	Revenue Items	244.72	527.76
b)	Capital Items	51.84	113.11
iv)	Allocation of Interest (Credit) towards unspent balance of Grants during the year.	35.13	29.10

7 INVENTORIES

i) Inventory includes

- a) Material with sub contractors amounting to Rs.6.37 lakhs (previous year Rs.8.51 lakhs) and
- b) Finished goods amounting to Rs.5.90 lakhs (previous year Rs.13.11 lakhs) sent on Exhibition / Approval / Demonstration.

ii) Reduction in value of Work-in-progress and Finished Goods:

Reduction in value of Work-in-progress and finished goods towards obsolescence has been Rs.87.73 lakhs during the year. (Previous year Rs.134.26 lakhs).

8 Sales for the year include goods which are in deliverable condition and are retained at the instance of the customers for an amount of Rs.1619.38 lakhs. Further, goods retained in earlier years at the request of the customers worth Rs.6372.86 lakhs (Previous year Rs.7324.15 lakhs) are also awaiting dispatch as on 31.03.2008.

9 Revenue has been recognized under AS-9 in respect of dispatches, to the tune of Rs.736.64 lakhs made on or before 31st March, 2008 on FOR Destination basis to customers mostly Government Departments / Agencies.

10 During the year the following revenues were recognized, based on past experience, on LOI basis pending receipt of final Work Order:

- (i) Rs. 827.55 lakhs has been recognized on the basis of LOI received from a customer for a total value of Rs. 3545 lakhs for design, supply, integration, and installation & commissioning of Monitoring Display System with firm commitment. The revenue has been recognized on the prices mutually agreed and given in LOI.

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

- ii) इंटीग्रेटेड सुरक्षा प्रणाली के लिए कुल 900 लाख रुपये प्राप्त हुए जिसमें एल ओ आई के आधार पर 141.15 लाख रुपयों को मान्यता प्रदान की गई।
- iii) रक्षा मंत्रालय/डी एल आर एल से साइट तैयारी के कार्यकलापों के लिए 2500 लाख रुपये प्राप्त जिस में एल ओ आई के आधार पर 1112 लाख रुपयों को मान्यता प्रदान की गई।
- 11 कांपोजाइट संविदा के संबंध में वर्ष के दौरान 286.50 लाख रुपयों (प्रेषित किये गए माल का मूल्य) के राजस्व को आय के रूप में मान्यता दी गई। ग्राहक द्वारा साइट कार्य पूरा नहीं होने के कारण शेष ठेके का निष्पादन पूरा नहीं हो सका। जैसे कि प्रभाग का यह उत्पाद मानक होने के कारण सामग्री अस्वीकृति का सवाल ही नहीं उठता।
- 12 8,670 रुपये (कर एवं शुल्क को छोड़कर) प्रत्येक यूनिट के हिसाब से भारतीय निर्वाचन आयोग को ईवीएम आपूर्ति से संबंधित राजस्व की मान्यता दी गई, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग के मूल्य पुनरीक्षण समिति द्वारा मूल्य की सिफारिश करना लंबित है।
- 13 88 रुपये के दर से प्रत्येक कार्ड संबंधी एम एन आई सी परियोजना पर राजस्व की मान्यता दी गई जबकि ग्राहक द्वारा मूल्य निर्धारण करना शेष है (रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया का कार्यक्रम)
- 14 एफ ए टी के लिए 1415.92 लाख रुपयों की सामग्री आपूर्ति कर्ताओं के पास तैयार की जा रही है इसे 2005-06 में रूढ़िवादी लागत के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी गई। जैसाकि 2007-08 में एफ ए टी को मंजूर किया गया था। चालू वर्ष में शेष 270.51 लाख रुपयों को राजस्व के रूप में मान्यता दी गई।
- 15 बैंक से ब्योरे के अभाव में लेखों में 113 लाख रुपयों के अज्ञात क्रेडिट को बैंक विवरण में नहीं लिया गया। यद्यपि, बैंक रिकनसिलिएशन विवरण में इसे दर्शाया गया। इन क्रेडिटों का भी वर्ष के वित्तीय परिणामों पर कोई असर नहीं रहा।
- 16 कंपनी ने ठेके में देरी पर निर्णीत हर्जाना का प्रावधान किया जो अक्रूअल आधार पर राजस्व को मान्यता दी गई। राजस्व के साथ मेलखाए सिद्धांत के अंतर्गत निष्पादित नहीं किये गए ठेके के हिस्से पर निर्णीत हर्जाना का प्रावधान नहीं रखा गया।
- 17 मेसर्स इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीस लिमिटेड से प्राप्त विविध देनदार 31-03-2008 तक 2953.26 लाख रुपये है (गत वर्ष 3059.85 लाख रुपये) जबकि यह एक ऋण एकक है। कंपनी को पूरा दिखा है कि राशि का प्राप्ति होगी इसीलिए कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 18 01-01-2007 से लागू होने वाले वेतन संशोधन के लिए वेतन तथा मजदूरी 2626.61 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया।
- 19 वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) के लिए अनिर्धारित टर्नओवर पर 115.84 लाख रुपयों का डिफरेंसियल वाणिज्य कर कंपनी पर भार हो सकता था इसीलिए देयताओं के संबंध में कोई प्रावधान जरूरी नहीं समझा गया। क्यों कि कर प्रपत्रों को एकत्रित करने कंपनी को पूरा विश्वास है।
- 20 वर्ष के दौरान उत्पादन/सुपुर्दगी के शेड्यूल को दृष्टि में रखते हुए सीधे कामगारों का आंतरिक प्रभाग में स्थानान्तर करना पड़ा। इस से कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 21 एम एस टी डी परियोजना के लिए डेफर्ड क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने ईसीआईएल रेपिस्कान लिमिटेड (जे वी कंपनी) को 876.81 लाख रुपये देय है यह फु टकार लेन्डार में शामिल है। जेवी कंपनी के साथ किये गए करार के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया के मेवर में मालबन्धन के जरिये उतनी ही राशि ईसीआईएल सेक्यूरिटी के रूप में आफर करेगी जिससे कि प्रोक्क्यूमेंट और सुपुर्दगी वित्तीय के लिए टर्म सुविधा प्राप्त कर सकें। इस बैंक के फेवर में पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

SCHEDULE “Q” – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

- (ii) Rs. 141.15 lakhs has been recognized on LOI for a total value of Rs. 900 Lakhs received for Integrated Security System.
- (iii) Rs. 1112 Lakhs has been recognized on LOI received for Site Preparation activities for Rs. 2500 Lakhs from Ministry of Defence / DLRL.
- 11** In the case of a composite contract, revenue to the extent of Rs. 286.50 lakhs (the value of goods dispatched) has been recognized as income during the year. The performance of the balance contract could not be completed as the site work by the customer is yet to be completed. Since this is a standard product of the Division there is no uncertainty regarding acceptance of the material.
- 12** Revenue has been recognized on the supplies of EVMs to Election Commission of India at Rs. 8670 per unit (excluding taxes & duties), pending recommendation of the price by Price Review Committee of Election Commission of India.
- 13** Revenue has been recognized on MNIC Project @ Rs. 88 per card on provisional basis, pending finalization of the price by the customer (Office of the Registrar General of India).
- 14** A sum of Rs.1415.92 lakhs being the cost of material ready for FAT at supplier’s end was recognized as revenue in 2005-2006 on a conservative basis at cost. As the FAT was cleared in 2007-2008, the balance of Rs.270.51 lakhs was recognized as revenue in the current year.
- 15** Unidentified Credits of Rs.113 lakhs in Bank Statements have not been considered in the accounts for want of details to that effect from the Bank. However, the same are shown in Bank Reconciliation statements. These Credits also have no impact on the financial results for the year.
- 16** The Company has made provision for Liquidated Damages on delayed contracts to the extent of revenue recognized on accrual basis. Liquidated Damages on the unexecuted portion of the contract is not provided under the principle of matching costs with revenue.
- 17** Sundry Debtors as on 31.03.2008 include Rs.2953.26 lakhs (previous year Rs. 3059.85 lakhs) towards amounts receivable from M/s. Indian Telephone Industries Limited, a sick unit. The Company is confident of recovering the amount and hence no provision is considered necessary.
- 18** Salaries and wages for the year include Rs. 2626.61 lakhs towards revision of wages which is due from 01.01.2007 on the basis of estimates.
- 19** No provision is considered necessary in respect of the liability that may devolve on the Company on differential sales tax of Rs. 115.84 lakhs on the unassessed turnover for the year 2007-08 (upto December, 2007) as the Company is confident of collecting the tax forms.
- 20** During the year there has been inter division transfer of direct labour in view of the urgency of production/ delivery schedule. This is based on actual work done and has no impact on the profitability of the Company.
- 21** Sundry Creditors include Rs. 876.81 lakhs payable to ECIL Rapiscan Ltd., (JV Company) under deferred credit terms towards procurement of materials for MSTD Project. As per the agreement with JVC, ECIL will offer the same as security, by way of hypothecation, in favour of State Bank of Hyderabad, from whom JV secured term facility for financing the procurement and delivery to ECIL. Registration of the charge in favour of this Bank is in the process.

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

22 अन्य :-

- i) एपी जी पी सी एल के शायरों में निवेश करने के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण से प्राप्त ब्याज रहित जमा राशि 128.64 लाख रुपये चालू देयताओं एवं प्रावधानों (अनुसूची एल) के अंतर्गत दर्शाये गए है।

इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2003 के अंतर्गत एपी ट्रान्स्को बिलिंग चार्जस के लिए मांग कर रहा है, इसके अनुरूप 10-06-2003 से 01-03-2008 की अवधि के लिए उपभुक्त यूनिटों को दृष्टि में रखते हुए 149.26 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया (गत वर्ष 145.91 लाख रुपये)।

- ii) आकस्मिक देयताएँ

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2008 को	31-03-2007 तक
ए)	साख पत्र	2615.64	9151.53
बी)	बैंक गारंटियाँ	8882.15	8786.68
सी)	सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के पक्ष में निगमीय गैरंटियाँ	18078.92	27899.53
डी)	क्षतिपूर्ति बंध पत्र	21762.00	26110.99
ई)	कर्मचारियों की ओर से गैरंटी	0.35	0.78
एफ)	न्यायालय/अधिनिर्णय के मुकदमें	54.75	144.08
जी)	सरकारी प्राधिकारियों से मांग और कंपनी के विरुद्ध दायर किये गए अपील तथा टेक्सेशन मामलों के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया	7435.19	6840.74
एच)	आकाशवाणी का लाईसेंस शुल्क	शून्य	248.33
आई)	वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 के अंतर्गत वार्षिक टर्नओवर का 0.1% देय है।	541.37	441.21
जे)	चन्द	1059.77	113.36

- iii)

(रुपये लाखों में)

पूँजी खाते में पूरे न किये गए ठोकों की अनुमति राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं (निवल अग्रिम)	1365.47	1225.51
--	---------	---------

- iv) विदेशी विनिमय में व्यय (प्रावधान शामिल नहीं)

(रुपये लाखों में)

विवरण	2007-08	2006-07
विदेशी यात्रा	109.39	109.99
कुल	109.39	109.99

- v) निर्यातों द्वारा अर्जन (निर्याति समझे गए है)

(रुपये लाखों में)

विवरण	2007-08	2006-07
निर्यात उत्पाद	309.26	674.69
कुल	309.26	674.69

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

22 OTHERS:

- i Rs. 128.64 lakhs received from Nuclear Fuel Complex by way of interest free deposit for Investment in the shares of APGPCL is shown under Current Liabilities and Provisions (Schedule L).

In pursuance of the demand for wheeling charges from APTRANSCO under Electricity Act, 2003, an amount of Rs. 149.26 lakhs (previous year Rs.145.91 lakhs) is provided in the books considering the number of units consumed for the period 10.06.2003 to 31.03.2008.

- ii Contingent liabilities:

(Rs. in lakhs)

Sl.No	PARTICULARS	As at 31.03.2008	As at 31.03.2007
a)	Letters of Credit	2615.64	9151.53
b)	Bank Guarantees	8882.15	8786.68
c)	Corporate Guarantees favouring Govt. Depts. / PSUs	18078.92	27899.53
d)	Indemnity Bonds	21762.00	26110.99
e)	Guarantee on behalf of employees	0.35	0.78
f)	Court/Arbitration cases	54.75	144.08
g)	Demands from Government authorities and appeals filed against the Company not provided for in respect of taxation matters.	7435.19	6840.74
h)	Licence fees to All India Radio	NIL	248.33
i)	Cess payable under Section 441 A of the Companies Act, 1956 at 0.1% of the Annual Turnover from 2002-03 to 2007-08	541.37	441.21
j)	Others	1059.77	113.36

- iii

(Rs. in lakhs)

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)	1365.47	1225.51
--	----------------	---------

- iv Expenditure in Foreign Currency (excluding provision)

(Rs. in lakhs)

PARTICULARS	2007-08	2006-07
Foreign Travel	109.39	109.99
TOTAL	109.39	109.99

- v Export Earnings: (including Deemed Exports)

(Rs. in lakhs)

PARTICULARS	2007-08	2006-07
Exports – Products	309.26	674.69
TOTAL	309.26	674.69

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

- vi) फुटकर लेनदारों में 8.38 लाख रुपये सम्मिलित है जो माइक्रो एन्टरप्राइस एवं लघु उद्योगों को देय है और उनके एमएसएमडी स्टेटस पर आधारित है। 31-03-2008 तक मैक्रो एवं लघु उद्योगों से संबंधित प्रकटन निम्नप्रकार है :-

(रुपये लाखों में)

ए) लेखा वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता भुगतान न की गई को प्रिंसपल राशि	8.38
बी) लेखा वर्ष के अंत तक किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष ब्याज देय	शून्य
सी) लेखा वर्ष के अंतर्गत अपाइन्टेड दिनांक के बाद भुगतान सहित एमएसएमडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार ब्याज की राशि का भुगतान	शून्य
डी) भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (भुगतान किया गया परंतु वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद) परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित ब्याज को समाहित किया गया	शून्य
ई) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अकूड तथा शेष भुगतान किये गए ब्याज राशि	शून्य
एफ) सकसीडिंग वर्षों में भी शेष देय ब्याज राशि जो छोटे एन्टरप्राइज को देय है	शून्य

- vii) फुटकर देनदारों, क्रेडिटर्स, अग्रिम प्राप्त/भुगतान को पृष्टि पत्र भेजे गए परंतु चन पृष्टियाँ प्राप्त हुई और तदनुसार कार्रवाई की गई।

- viii) चालू वर्ष के वर्गीकरण को पृष्टि करने गत वर्ष के आंकड़े जहाँ भी आवश्यक माना गया था तो पुनः वर्गीकृत किये गए या तो उनको पुनः ढाला गया।

- 23 30-06-2008 को संपन्न हुई निदेशक मंडल की बैठक में 31-03-2008 को समाप्त तुलना पत्र तथा लाभ और हानि लेखे को अनुमोदित किया गया और इसे दिनांक 30-06-2008 के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किया गया।

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

- vi Sundry Creditors include an amount of Rs.8.38 lakhs being the outstanding dues to Micro Enterprises and Small Enterprises to the extent of responses received from such undertakings as to their MSMED status. The disclosures relating to Micro and Small Enterprises as on 31.03.2008 is given below :

(Rs. in lakhs)

a) The principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	8.38
b) The interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	NIL
c) The amount of interest paid in terms of Section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amount of payment made beyond the appointed day during the accounting year	NIL
d) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	NIL
e) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	NIL
f) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise	NIL

- vii Letters were sent for confirmation of balances to Sundry Debtors, Creditors, Advance received / paid and a few confirmations have been received and have been dealt with accordingly.
- viii Figures relating to previous year are either suitably regrouped or recast wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

23 The Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ending 31.03.2008 approved by the Board of Directors in its meeting held on 30.06.2008 have been revised based on the Auditor's report dated 30.06.2008.

अनुसूची “क्यू” - लेखों के अंगरूप और अनुबद्ध टिप्पणियाँ (जारी....)

24 तुलन पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य व्यापार रेखा-चित्र

(अधिसूचना संख्या जीएसआर 388 (ई) दिनांक 15-05-1995 के अनुसार)

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या 01149 दिनांक 11-04-1967 - आन्ध्र प्रदेश राज्य कोड : 01 तुलन पत्र तिथि : 31 मार्च, 2008

II. वर्ष के दौरान लगायी गयी पूंजी (राशियाँ लाख रुपयों में)

सार्वजनिक इश्यू	--	आधिकार इश्यू	--
बोनस इश्यू	--	प्राइवेट प्लेसमेंट	--
		(भारत के राष्ट्रपति)	849.00

III. जुटाव की स्थिति और निधियों का नियोजन (राशि लाखों में)

कुल देयताएँ	195671.25	कुल आस्तियाँ	195671.25
निधियों के स्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	16337.12	प्रारक्षित और अधिशेष	39662.54
शेयर पूंजी द्रव्य अनिर्णित आबंटन	0.00	प्रतिभूति रहित ऋण	--
प्रतिभूति सहित ऋण	11329.83	आस्थगित कर देयता (निवल)	--
निधियों का उपयोग			
निवल नियत आस्तियाँ	7819.05	निवेश	164.64
निवल चालू आस्तियाँ	63321.50	फुटकर व्यय	0.00
संचयी हानियाँ	--	आस्थगित कर (आस्ति) (निवल)	2388.44

IV. कंपनी का निष्पादन (राशि लाख रुपयों में) :

कुल व्यापार एवं अन्य आय	104760.33	कुल व्यय	84624.93
+/- कर से पूर्व लाभ/हानि	20135.40	कर के बाद लाभ/हानि	13414.66
प्रति शेयर आय रुपयों में मूल	821.12	लाभांश दर	20
प्रति शेयर आय रुपयों में पतला			

V. कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के व्यापक नाम (आर्थिक अर्थों के अनुसार) :

शीर्षक संख्या	एचएस कोड	आईटीसी (एचएस) कोड	उत्पाद वर्णन
84.71			रियल टाइम के लिए कंप्यूटर आधारित सेवा, , विशिष्ट और व्यापारिक उपयोग, सॉफ्टवेयर और परामर्शी सेवाएँ, अतिरिक्त पुर्जों और रखरखाव सेवाएँ और पर्सनल कंप्यूटर ।
84.73	8471.20	847120.09	
84.69			
84.71			
85.25			महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रेडियो संचार प्रणाली, एचएफ/वीएचएफ/यूएचएफ रिसीवरों और ट्रांसमिटरों, सैटलाइट टीवी रिसीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । विशेष एमडब्ल्यू संघटकों जैसे वीसीओ, आईसोलेटर्स, सर्क्यूलेटर्स, पीएलओएस स्विचेस, ऑम्प्लिफायर्स, फिल्टर्स आदि हैं।
85.28			अभिकल्पना, विकास, गढ़ान, उत्पादन, आपूर्ति और संस्थापना के लिये विभिन्न प्रकार के एंटीना प्रणालियाँ।
84.01			
84.70			औद्योगिक और विश्लेषक उपकरण, सुरक्षा प्रणालियाँ-सीसीटीवी फायर अलार्म और एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स, विशेष प्रणालियाँ और फाईबर ऑप्टिक आधारित प्रणालियाँ।
85.32			
85.33			
85.41	9022.19		हाईब्रिड माइक्रो सर्किट्स, टैटलम कैपेसिटर्स, सेमी कंडक्टर संघटक. प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स, तकनीकी सिरेमीक संघटक और पोटेंशियोमीटर्स ।
90.30			
90.31			
90.32	9022.31	902221.00 854310.09 903289.04	बिजली संयंत्र के लिये ई ए एस टी पैकेज, सर्वो प्रणालियों, इलेक्ट्रो-मेकेनिकल प्रणालियों और औद्योगिक नियंत्रणों, डाटा एंकिजेशन प्रणालियाँ, टेली-सुपरवाइजरी प्रणालियाँ, नियंत्रण और उपकरणोंकरण उपस्करों।
85.43			
84.72			
90.22			

लेखागत नीतियाँ, अनुसूचियाँ ‘ए’ से ‘क्यू’ तक लेखों का अंग बनती हैं ।
कृते एवं बोर्ड की ओर से ।

हमारी इसी तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लक्ष्मीनिवास शर्मा
भागीदार
एम. नं.014244

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 19.08.2008

SCHEDULE "Q" – NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd...)

24 BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

(As per notification No.GSR 388(E), dated 15.05.1995)

I. Registration Details

Registration No.01149, Dt.11.04.1967-AP State Code: 01 Balance Sheet Date: 31st March, 2008

II. Capital raised during the year (Amount in Rs. in Lakhs)

Public Issue	—	Rights Issue	—
Bonus Issue	—	Private Placement (President of India)	849.00

III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Lakhs)

Total Liabilities	195671.25	Total Assets	195671.25
Sources of Funds:			
Paid-up Capital	16337.12	Reserves & Surplus	39662.54
Share Money Pending Allotment	0.00	Unsecured Loans	6364.14
Secured Loans	11329.83	Deferred Tax Liability (Net)	—
Application of Funds:			
Net Fixed Assets	7819.05	Investments	164.64
Net Current Assets	63321.50	Misc. Expenditure	0.00
Accumulated Losses	—	Deferred Tax Asset (Net)	2388.44

IV. Performance of Company (Amount in Rs. Lakhs)

Turnover and Other Income	104760.33	Total Expenditure	84624.93
+/- Profit/Loss Before Tax	20135.40	Profit/Loss After Tax	13414.66
Earning Per Share in Rupees-Basic & Diluted	821.12	Dividend rate %	20

V. Generic Names of Principal Products/Services of the Company (as per monetary terms):

Heading No.	H.S. Code	I.T.C(H.S) Code	Product Description
84.71 84.73 84.69 84.71	8471.20	847120.09	Computer based System for Real time, Specific and Business Applications, Software and Consultancy Services, Spares and Maintenance Services and Personal Computers.
85.25 85.28			Radio Communication Systems to cater to Strategic Sectors comprising HF/VHF/UHF Receivers and Transceivers, Satellite TV receiver only and special MW components such as VCO, Isolators, Circulators, PLOs, Switches, Amplifiers, Filters, etc. Design, Development, Fabrication, Production, supply & erection of a variety of Antenna Systems.
84.01 84.70 85.32 85.33 85.41	9022.19		Industrial and Analytical Instruments, Security Systems comprising CCTV Fire Alarm and X-ray Baggage Inspection Systems, Electronic Energy Meters, Special Systems and Fiber Optic based systems.
90.30 90.31 90.32			Hybrid micro-circuits, Tantalum Capacitors, Semiconductor Components, Printed Circuit Boards, Technical Ceramic Components and Potentiometers.
	9022.31	902221.00 854310.09 903289.04	EAST Packages for Thermal Power Plants, Data Acquisition systems, Tele supervisory systems, Control and Instrumentation equipment, Servo Systems, Electro mechanical systems and Industrial Controls.
85.43 84.72 90.22			

Accounting Policies, Schedules A to Q form part of the Accounts
For and on behalf of the Board

As per our report of even date attached
for LAXMINIWAS & JAIN
Chartered Accountants


U VISHNUMURTHY
Director (Finance)


K S RAJASEKHARA RAO
Chairman & Managing Director


LAXMINIWAS SHARMA
Partner
M.No.014244

Place : Hyderabad
Date : 19.08.2008

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (रुपये लाखों में)

(रुपये लाखों में)

	2007-2008	2006-2007
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर के पहले निवल लाभ/हानि एवं असाधारण मदें	20135.40	18915.78
निम्न के लिए समायोजन :		
मूल्यहास	1326.44	1205.74
विदेशी मुद्रा	-91.39	4.62
विविध व्यय	0.00	14.81
ब्याज	1883.03	622.08
प्राप्त लाभांश	-44.10	-36.75
नियत आस्तियों को बेचने पर लाभ/हानि	-6.27	-4.45
आस्तियों का अपूँजीकरण /बढ़े खाते डाले गये	20.13	54.91
अल्पावधि जमा आवतियों पर प्राप्त ब्याज	-2502.07	-1589.85
चालू पूँजी परिवर्तनों के पहले प्रचालन लाभ	20721.17	19186.89
मालसूचियों में वृद्धि/कमी	-28.29	826.12
फुटकर देनदारों में वृद्धि/कमी	-28132.69	-19402.22
चालू देयताओं में वृद्धि/कमी	-2903.09	294.46
प्रावधानों में वृद्धि/कमी	5720.07	8259.17
ऋणों एवं पेशगियों में वृद्धि/कमी	524.08	1103.54
प्रचालनों से उत्पन्न नकद	-4098.75	10267.96
भुगतान किया तकनीकी जानकारी शुल्क	0.00	-11.81
भुगतान किया सीधी कर	-8123.54	-4059.52
प्राप्त किया गया अनुदान	2053.74	456.00
वापस किया अनुदान	-12.14	-23.00
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं अन्यो के प्रति अनुदान का उपभोग	-244.72	-581.51
असाधारण मदों के पहले नकदी प्रवाह	-10425.41	6048.12
असाधारण मदें	—	—
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	-10425.41	6048.12
बी. निवेश प्रचालनों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों का क्रय (51.84 लाख रुपयों के अनुदान से सम्मिलित)	-1167.32	-1912.95
नियत आस्तियों की बिक्री	24.99	4.60
कंपनियों का अधिग्रहण	—	—
मार्गस्थ नियत आस्तियाँ एवं पूँजी कार्य प्रगति में	-381.46	485.94
निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त राशि	—	—
प्राप्त ब्याज	1397.39	1277.42
प्राप्त लाभांश	44.10	36.75
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	-82.30	-108.24
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूँजी की जारी से वृद्धि	0.00	849.00
बैंकों से सावधि ऋण से वृद्धि	17592.85	—
वित्तपट्टा देयताओं की पुनः अदायगी	—	—
प्रदत्त लाभांश	-1177.99	-254.79
ब्याज एकस्पेन्स	-3097.62	-845.33
प्रदत्त लाभांश कर	-526.44	-118.56
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद	12790.80	-369.68
नकद एवं नकद तुल्यमान में शुद्ध वृद्धि	2283.09	5570.20
नकद एवं नकद तुल्यमान (अथ नकद शेष)	24511.14	18940.94
नकद एवं नकद तुल्यमान (इति नकद शेष)	26794.23	24511.14

टिप्पण : ब्याज, लाभांश, निवेश/नियत आस्तियों का क्रय एवं बिक्री तथा करों को छोड़कर जो नकद के वास्तविक चलन के आधार पर विचार किये गये हैं, आस्तियों एवं देयताओं में संबंधित समायोजन के साथ अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत उपर्युक्त विवरण तैयार किया गया है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

हमारे सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन
सनदी लेखापाल

यू. विष्णुमूर्ति
निदेशक (वित्त)

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लक्ष्मीनिवास शर्मा
भागीदार
एम नं. 014244

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 19.08.2008

CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2008

(Rupees in Lakhs)


	2007-2008	2006-2007
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
NET PROFIT/LOSS BEFORE TAX & EXTRAORDINARY ITEMS	20135.40	18915.78
Adjustments for :		
Depreciation	1326.44	1205.74
Foreign Exchange	-91.39	4.62
Miscellaneous expenditure	0.00	14.81
Interest expense	1883.03	622.08
Dividends received	-44.10	-36.75
Profit/Loss on sale of fixed assets	-6.27	-4.45
W-off/decapitalisation of assets	20.13	54.91
Interest received on Short Term Deposit Receipts	-2502.07	-1589.85
Operating profit before Working Capital changes	20721.17	19186.89
Increase/Decrease Inventories	-28.29	826.12
Increase/Decrease Sundry debtors	-28132.69	-19402.22
Increase/Decrease Loans and advances	-2903.09	294.46
Increase/Decrease Current liabilities	5720.07	8259.17
Increase/Decrease Provisions	524.08	1103.54
Cash generated from operations	-4098.75	10267.96
Technical know-how	0.00	-11.81
Direct taxes paid	-8123.54	-4059.52
Grants received	2053.74	456.00
Grant returned	-12.14	-23.00
Grants utilisation towards VRS & others	-244.72	-581.51
Cash flow before extraordinary items	-10425.41	6048.12
Extraordinary items	—	—
Net cash from operating activities	-10425.41	6048.12
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of fixed assets(including from grant Rs.51.84 lakhs)	-1167.32	-1912.95
Sale of fixed assets	24.99	4.60
Acquisition of companies	—	—
Fixed assets in transit and capital work in progress	-381.46	485.94
Amt. received on maturity of Investments	—	—
Interest received	1397.39	1277.42
Dividend received	44.10	36.75
Net cash from investing activities	-82.30	-108.24
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from issue of Share Capital	0.00	849.00
Proceeds from term loan from Banks	17592.85	—
Repayment of finance lease liabilities	—	—
Interest expense	-1177.99	-254.79
Dividend paid	-3097.62	-845.33
Dividend tax paid	-526.44	-118.56
Net cash used in financing activities	12790.80	-369.68
Net increase in cash and cash equivalents	2283.09	5570.20
Cash and cash equivalents (Opening Balance)	24511.14	18940.94
Cash and cash equivalents (Closing Balance)	26794.23	24511.14

Note : The above statement has been prepared under indirect method except in case of interest, dividend, purchase and sale of investments/Fixed Assets and Taxes, which have been considered on the basis of actual movement of cash, with corresponding adjustments in Assets and Liabilities

For and on behalf of the Board


U VISHNUMURTHY
 Director (Finance)


K S RAJASEKHARA RAO
 Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached
for LAXMINIWAS & JAIN
 Chartered Accountants

LAXMINIWAS SHARMA
 Partner
 M.No.014244

Place : Hyderabad
 Date : 19.08.2008

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

सदस्य

इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड

हैदराबाद

हमने 31 मार्च, 2008 को संलग्न इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के तुलन पत्र एवं उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये और उसके साथ अनुबंधित लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

ए) यह रिपोर्ट लेखा परीक्षा के मद्देनजर हमारे दिनांक 30 जून 2008 के पहले रिपोर्ट को सुपरसीड करता है।

बी) हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। ये मानक अपेक्षित करते हैं कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करते हैं ताकि सभी द्रव्यात्मक विषयों में पहचानी हुई रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार क्या वित्तीय विवरण बनाये जाते हैं तथा द्रव्यात्मक कुछ विवरणों से मुक्त होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करें। लेखा परीक्षा में शामिल है, परीक्षण आधार पर परीक्षा करना, राशि के समर्थन में तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के साक्ष्य। लेखा परीक्षा में यह भी शामिल है कि समूचे वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रयोग किये गये लेखांकन सिद्धान्तों का तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए अपनी लेखा परीक्षा समुचित आधार बनती है।

सी) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसार कंपनी विधि मंडल द्वारा जारी विनिर्माण एवं अन्य कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार, हम उक्त आदेश के पैरे 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण अनुबंध में अनुलग्न करते हैं।

डी) उक्त पैरा ('सी') में निर्देश अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अलावा, निम्न मदों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

- i) वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन नीतियों में कुछ परिवर्तन किये हैं। अनुसूची 'क्यू' में नोट सं.2 का संदर्भ लें जिसके कारण कर से पहले लाभ में 767.11 लाख रुपये कम हुए।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध- 3

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी द्वारा उत्तर

AUDITORS' REPORT

Annexure-III to the Directors' Report

To
The Members of
Electronics Corporation of India Limited
Hyderabad.

Company's Replies

We have audited the attached Balance Sheet of Electronics Corporation of India Limited (The Company), Hyderabad, as at 31st March, 2008 and the related Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

A) *This report supercedes our earlier report dated 30th June, 2008 in view of revision of accounts.- Refer Note no. 23 in Schedule Q.*

B) We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

C) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government of India in terms of subsection 4A of Section 227 of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we annex hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

D) Further to our comments in the annexure referred to in paragraph (C) above, attention is invited to the following:

- (i) During the year the company has changed a few Accounting Policies, refer Note No.2 in Schedule 'Q', resulting in decrease of Profit Before Tax (PBT) by Rs 767.11 Lakhs.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उत्तर

- ii) ईवीएम की बिक्री के लिए 8670 रुपये मान्यता देने संबंधी अनुसूची “क्यू” में टिप्पणी संख्या 12 एवं 13 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जबकि प्रैज समीक्षा समिति ग्राहक द्वारा अंतिम मूल्य निर्धारण लंबित है ।
- iii) 01-01-2007 से देय वेतन संशोधन के लिये 2626.61 लाख रुपयों का अशाश्वत प्रावधान तथा जिसे वेतन तथा मजदूरी में मिलाने संबंधी तदर्थ प्रावधान अनुसूची “क्यू” के नोट सं. 18.
- iv) एपीजीपीसीएन में निवेश करने के उद्देश्य से एनएफसी से डिपाजिट प्राप्त करने संबंधी अनुसूची “पी” में टिप्पणी संख्या 22 (i) श्रेयों में तथा स्वामित्व से संबंधित एनएफसी तथा कंपनी के बीच मुद्दों पर लंबित सेटलमेंट, इस तरह की जमा राशि को “चालू देयताओं” के रूप में दर्शाना ।
- ई) वित्तीय विवरण 2007-08 पर हमारी टिप्पणीयाँ इस प्रकार है:-
- 1) 2005-06 मैक्टरी एक्सेप्टेन्स टेस्ट (एफएटी) बिक्री के अंतर्गत बुक किये गए बिक्री के संबंध में, लागत पर राजस्व की मान्यता दी गई और तदनुसार ऐसे बिक्री के 270.51 लाख रुपयों को चालू वर्ष की आय की तरह माना गया। अनुसूची क्यू के 14 नोट सं का संदर्श ले।
हमारी राय में एक वर्ष में लागत पर बिक्री की मान्यता और राय में एक वर्ष में लागत पर बिक्री की मान्यता और अगले वर्ष में करेस्पॉन्डिंग लाभ सामान्य स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार नहीं है जिस के कारण चालू वर्ष के राजस्व में तथा लाभ 270.51 लाख को ओवर स्टेटमेंट में दर्शाया गया।
 - 2) ए) राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति ए
ठेका मान्यता जिस में अकेले खडे सेवा अनुबंध शामिल है जहाँ पूर्ण एवं स्वीकृत के आन लाइन आधार पर

वर्ष 2007-08 के दौरान किये गये आपूर्तियों के लिये फर्म मूल्यों के आधार पर राजस्व को मान्यता दी गई । वर्ष 2006-07 के दौरान भारत चुनाव आयोग को किये गये आपूर्तियों के लिये राजस्व को मान्यता देने हेतु तात्कालिक मूल्यों को आधार बनाया गया जबकि यह मूल्य 2003-04 में ही तय किये गये । कंपनी को भारत चुनाव आयोग से पूरी राशि मिल गई है ।

प्रत्येक कार्ड के लिये 88 रुपयों की दर से मल्टी परपस नेशनल आईडिन्टिटी कार्ड परियोजना पर राजस्व को मान्यता दी गई जो ओआरजीआई द्वारा सूचित किया गया और मूल्य पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है और राशि मिल गई है ।

दिशानिर्देशों के अभाव में, प्राक्कलन के आधार पर प्रावधान किया गया।

संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणी स्वतः स्पष्ट है ।

वर्ष 2005-06 में कार्य की प्रगति एवं कमिटेड व्यय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी गई । जैसेकि 2007-08 में पूरा कार्य संपन्न हुआ इसीलिये वर्ष के दौरान शेष को मान्यता प्रदान की गई ।

दीर्घकालीन ठेके के लिये आय की मान्यता हेतु लेखांकन नीति (ए) लेखांकन मानक-7 के अनुरूप है ।

AUDITORS' REPORT

- (ii) Note No: 12 and 13 in Schedule 'Q' regarding Recognition of Revenue of Electronic Voting Machine at Rs.8670 per unit and Multipurpose National Identity Card Project @ Rs 88 per card pending recommendation of the final price by the Price Review Committee / customer.
- (iii) Note No: 18 in Schedule 'Q' regarding adhoc provision of Rs.2626.61 lakhs towards impending wage revision due from 01.01.2007 and inclusion of the same in salaries and wages.
- (iv) Note No: 22 (i) in Schedule 'Q' regarding Deposit of Rs 128.64 lakhs received from Nuclear Fuel Complex (NFC) for the purpose of Investment in Andhra Pradesh Gas Power Corporation Limited. Pending settlement of issues between NFC and the Company with reference to investment in shares and its ownership, the amount deposited has been exhibited under "Current Liabilities".

E) Our comments on the Financial Statements 2007-08 are as under:

- 1) In case of sales booked in 2005 – 06 Factory Acceptance Test (FAT) Sales, the revenue was recognized at cost and corresponding mark-up of such sales amounting to Rs 270.51 lakhs is taken as current year income. Refer Note no. 14 in schedule Q.

In our opinion recognizing sales at cost in one year and corresponding profit in the subsequent year is not in accordance with Generally Accepted Accounting Principles resulting in overstatement of current year revenue and profit by Rs 270.51 lakhs.

- 2) a) Accounting Policy A on "Revenue Recognition":

The Company has recognized the revenue under Accounting Standard (AS)-7 for the contract recognition including stand alone service contracts where the service

Company's Replies

Revenue has been recognised on the basis of firm prices for supplies during the year 2007-08. For supplies to Election Commission of India during 2006-07, provisional prices were adopted for revenue recognition which incidentally have been fixed in 2003-04. The Company has realized the full amount from Election Commission of India.

Revenue has been recognized on Multi purpose National Identity Card Project @ Rs. 88 per card as indicated by ORGI pending finalization of the price and the amount has been realized.

In the absence of guidelines, provision has been made on estimated basis.

The note referred to by the Statutory Auditors is factual and self-explanatory.

Revenue has been recognized in 2005-06 based on the demonstrable progress of work and committed expenditure. Since the entire work has been completed in 2007-08, the balance has been recognized during the year.

The Accounting Policy for recognition of income for long term contracts is in line with Accounting Standard-7.

Para 4(a) of Accounting Standard-7 provides for recognition of services directly related to the construction of the asset.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा प्रभार्य है इसके लिए कंपनी ने लेखा मानक-7 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता दी। अनुसूची क्यू में नोट सं. 3ए (ए)(ii) ए बी।

हमारी राय में उपरोक्त नीति के आधार पर जो एएस-7 का डीविजेशन है, राजस्व मान्यता की वजह धिक्री एवं देनदारों में 572.04 लाख का ओवर स्टेटमेंट, 328.48 लाख रुपयों का ओवर स्टेटमेंट कर से पहले लाभ में और 243.56 लाख रुपयों का मालसूचियों में अंडरस्टेटमेंट दर्ज किया गया।

बी) चन ठेकों में कंपनी ने एएस-7 निर्माण ठेके के अंतर्गत 2080.7 लाख रुपयों के राजस्व को मान्यता दी है जब कि कांन्ट्राक्ट कन्डीशन को एक्सचेन्ज तथा अन्य शर्तों पर सहमति नहीं हुई और चन मामलों में मूल्य संबंधी बातचित भी नहीं हुई। अनुसूची क्यू में नोट सं.10 का संदर्भ लें। कान्ट्राक्ट कन्सिडरेशन को ध्यान में रखते हुए एएस-7 के अंतर्गत लेखा मानक के अनुसार राजस्व को निर्धारित नहीं किया गया। एएस-7 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता देने के लिए तथा विस्वसनीय प्राक्कलन बनने के लिए एक ठेके की आवश्यकता है जो यह निर्धारित करें।

- i) संपत्ति के निर्माण से संबंधित दोनों पार्टियों के अधिकार
- ii) कानसिडरेशन की अदल बदली एवं
- iii) समझौते की शर्तें

पहले प्रोक्यूर करने के लिए कान्ट्राक्ट कनसिडरेशन के बगैर ग्राहकों से लेटर्स आफ इन्टेंट (एल ओ आई) जहाँ प्राप्त हुआ हो आदि राजस्व मान्यता के आधार पर नहीं हो सकते।

इस तरह का राजस्व मान्यता जिसमें लाभ शामिल है जबकि कनसिडरेशन निर्धारित नहीं है और उमीद भी नहीं है और एएस-7 के विरुद्ध है। इस तरह से हमारी राय में इस तरह की लेखे के कारण राजस्व एवं विविध देनदारियों में 2080.70 लाख रुपयों का ओवर स्टेटमेंट दर्ज किया गया और 488.24 लाख रुपयों की मालसूचि अंडरस्टेटमेंट तथा उसके म लस्वरूप कर से पहले लाभ में 1592.46 लाख रुपयों का ओवर स्टेटमेंट दर्ज किया गया।

कंपनी द्वारा उत्तर

संपत्ति के निर्माण से संबंधित सेवाओं की मान्यता संबंधी लेखा मानक-7 के पैरा 4(ए) में दर्शाया गया ।

संदर्भित सभी ठेके सामरिक उत्पादों के हैं और कंपनी इन परियोजनाओं में अच्छी प्रगति की है । सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये लेटर्स आफ इन्टेन्ट के आधार पर आय को मान्यता दी गई ।

रेडिएशन मानीटरिंग डिस्प्ले सिस्टम के इंटीग्रेशन आपूर्ति के लिये एलओआई प्राप्त की गई और कन्फर्मड क्रय आदेश प्राप्त हुए हैं और अन्यो के विषय में क्रय आदेशों की प्रतीक्षा है । रेडियेशन मानीटरिंग डिस्प्ले सिस्टम के संबंध में एलओआई में निश्चित वित्तीय प्रतिबद्धता है जिसमें वाणिज्यिक मद जैसे मूल्य सुपुर्दगी दिनांक आदि निहित है ।

AUDITORS' REPORT

becomes chargeable on line entry basis on completion and acceptance. Refer Note no. 3A(a)(ii) a,b in schedule Q.

In our opinion, recognizing revenue on the basis of above policy which is in deviation to AS-7 has resulted in overstatement of the revenue and debtors by Rs 572.04 lakhs, overstatement of PBT by Rs 328.48 lakhs and understatement of the inventory by Rs 243.56 lakhs.

- b) In few contracts, the Company recognized a revenue of Rs 2080.70 lakhs under AS-7 'Construction Contract' even though the contract consideration to be exchanged and other terms are not agreed to or finalized and in some cases even price negotiations have not taken place. Refer Note no. 10 in schedule Q. Considering the indicative/ expected/assumed contract consideration for the purposes of determining the Revenue under AS-7 is not envisaged in the Accounting Standard. For recognizing any revenue under AS-7 and for making reliable estimates there must be a contract which establishes
- I. each party's enforceable rights regarding the asset to be constructed:
 - II. the consideration to be exchanged: and
 - III. the manner and terms of settlement:

The 'Letters of Intent' (LOIs) wherever received from customers without contract consideration are for advance action of procurement and to maintain delivery/ completion dates which cannot be the basis for recognition of revenue.

Such recognition of revenue including the profit where the consideration itself is not determined is not proper and contrary to AS-7. Thus, in our opinion, this accounting has resulted in overstatement of revenue and sundry debtors by Rs 2080.70 lakhs and understatement of inventory by Rs 488.24 lakhs and consequently overstatement of the PBT by Rs. 1592.46 lakhs.

Company's Replies

All the contracts referred to relate to strategic products and the company has substantially progressed in these projects. The income has been recognized on the basis of Letters of Intent issued by Competent Authorities.

In respect of LOI received for supply integration etc of Radiation Monitoring Display System, the confirmed purchase orders have been received and in respect of others the purchase orders are awaited. In respect of Radiation Monitoring Display System, the LOI contains a firm financial commitment in addition to the commercial terms like prices, delivery dates etc.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सी) अनुसूची क्यू के नोट सं.3ए (ए)(ii) का संदर्भ में कंपनी ने विभिन्न अदेशों को मिला दिया और उसे एक परियोजना के रूप में मानलिया जबकि यह उलग पैकेजस के रूप में तथा अलग सुपुर्दगी दिनांक और एक वर्ष की कम अवधि की थी और एएस-7 के अंतर्गत 315.28 लाख रुपयों को राजस्व को मान्यता दी। हमारा राय में यह एएस-7 के प्रावधानों के विरुद्ध है। इस तरह के लेखे की वजह से 315.28 लाख रुपयों का राजस्व तथा विविध देनदार का ओवरस्टेटमेंट तथा 259.22 लाख रुपयों का मालसूची के अंडर स्टेटमेंट और परिणाम स्वरूप 56.06 लाख रुपयों को कर से पहले लाभ को ओवर स्टेटमेंट में दर्शाया गया।

डी) अनुसूची क्यू के नोट सं.9 राजस्व मान्यता संबंधी है जिसमें एफओआर डेस्टिनेशन तथा पूर्वकाल मापले शामिल हैं। राजस्व की मान्यता इस अनुमान पर दी गई की माल गंतव्य स्थान पर पहुँच गया होगा और स्वामित्व से संबंधित रिस्क तथा रिवाइ को वर्ष के पहले ग्राहकों पर छोड़ दिया गया, जिसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

हमारे विचार में इस तरह की मान्यता, राजस्व मान्यता पर लेखा मान्यता (एएस-9) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। हम सामग्री के मूल को क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है जो राजस्व मान्यता के मानदण्डों को पूरा नहीं कर रहा है और राजस्व मान्यता पर एएस-9 के अर्थ से मेल नहीं खाता और इसका वित्तीय विवरण पर प्रभाव क्या होगा।

ई) रिटेन्शन आधार पर बिक्री की मान्यता संबंधी अनुसूची क्यू के नोट सं.8 का संदर्भ ले जिसमें ग्राहक के अनुरोध पर रोका गया और कंपनी के अभिरक्षण में है। हमारी राय में यह लेखा मानक (एएस-9) के अनुरूप नहीं है जैसे कि ग्राहकों के पक्ष में रिस्क और रिवाइ पास नहीं किये गए और इसीलिए राजस्व तथा देनदार में 1473.9 (निवल बिक्री) लाख रुपयों की बढ़ोतरी हुई और मालसूचीयों में 1135.50 लाख रुपयों की कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप कर से पहले लाभ में 338.42 लाख रुपयों की वृद्धि हुई।

कंपनी द्वारा उत्तर

आदेशों को पूरा करने के लिये इंडिविड्युल दिनांक पर विचार नहीं किया जा सकता जबकि ग्राहक अपने दिनांक 27-02-07 के पत्र में सभी आदेशों को “सिंगल बर्क पैकेज” में माना है।

जैसेकि सिंगल बर्क पैकेज होने के कारण, एएस-7 निर्माण ठेके के अंतर्गत दीर्घकालीन निर्माण के हिसाब के लिए सभी पैकेजस के पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल अवधि जो 12 महीने से अधिक है।

राजस्व मान्यता के संबंध में कंपनी द्वारा मानी जा रही लेखा नीति आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा जारी किये गये विभिन्न मतों के अनुरूप है एफओआर डेस्टिनेशन ठेके से संबंधित आय की गणना करते समय और विशेषकर वर्षान्त के प्रेषण, ग्राहकों को सामग्री पहुँचाने के लिये रीजनेबल समय को सुनिश्चित किया गया।

सभी मर्दे ग्राहक विशेष थे और जहाँ जहाँ पूर्वनिरीक्षण क्लॉस लागू हैं तथा सुपुर्दगी के लिये तैयार है उसे निरीक्षण किया गया। इन्हें ग्राहकों के विशेष अनुरोध पर रोका गया। जबकि ग्राहक रिटेन्शन के लिये विशेष रूप से अनुरोध किया इसीलिये खरीदनेवाले पर ही जोखिम तथा रिवाइस अंतरण होते हैं। आगे, यह मर्दे विशेष आदेशों के कारण ही उत्पाद किये गये इसीलिये ग्राहक द्वारा माल न लेने के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं है। आज तक, कुल रिटेन्शन बिक्री से 3703 लाख रुपयों की राशि मूल्य की सामग्री का प्रेषण किया गया।

AUDITORS' REPORT

- c) **Refer Note no. 3A(a)(ii) c of schedule Q wherein, the company combined different orders and treated as one project though they are negotiated as separate orders with different delivery dates which individually are less than one year and recognized a revenue of Rs 315.28 lakhs under AS-7, which in our opinion, is contrary to the provisions of AS-7. This accounting has resulted in overstatement of revenue and sundry debtors by Rs 315.28 lakhs and understatement of inventory by Rs 259.22 lakhs and consequently resulted in overstatement of the PBT by Rs 56.06 lakhs.**
- d) **Refer Note no.9 of schedule Q regarding revenue recognition in FOR Destination and Ex-works cases. Particularly for the year end transactions, Revenue is recognized on the assumption that the goods would have reached the destination and/or the risk and rewards associated with ownership have been passed on to customers before the year end, for which there is no evidence.**
- In our opinion, such recognition is not strictly in line with the provisions of Accounting Standard (AS)-9 on Revenue recognition. We are not in a position to quantify the value of goods that have not fulfilled the key criterion for Revenue Recognition with in the meaning of AS-9 on Revenue Recognition and its impact on the financial statements.**
- e) **Refer Note no.8 of schedule Q regarding recognizing the sales on retention basis which is retained at the request of the customer in the custody of the company. The same in our opinion is not in accordance with the Accounting Standard(AS)-9 as the Risk & Rewards for which are not passed to the customer and by which the revenue and debtors has**

Company's Replies

Individual dates of completion for orders cannot be considered when the customer states that all the orders mentioned in the letter dated 27.02.07 are a "single work package".

As it is a single work package, total period required for completion of all the packages are to be considered for the purpose of reckoning long term construction contracts under AS-7, which is more than 12 months.

The accounting policy followed by the Company in regard to recognition of revenue is in line with the various opinions issued by the Expert Advisory Committee of ICAI. While accounting income relating to FOR Destination contracts and in particular the year end dispatches, reasonableness of time for the goods reaching the customers has been ensured.

All the items were customer specific and inspected wherever pre-inspection clause is applicable and ready for delivery. They were retained on customers' specific requests. Since the customer has specifically requested for retention, it amounts to transfer of significant risks and rewards to the buyer. Further, as these are produced against specific orders, there is no uncertainty in taking delivery by the customer. As on date, out of the total retention sales recognized, an amount of Rs.3703 lakhs have already been despatched.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी अपने अभिरक्षण में स्टॉक है जिसे रिटेन्शन आधार पर बिक्री की गई वित्तीय वर्ष 2002-03 (4053.31 लाख रुपयों) 2003-04 (1523.45 लाख रुपयों) 2004-05 (667.14 लाख रुपयों) 2006-07 (128.96 लाख रुपयों) कुल 6372.86 लाख रुपयों 31-03-2008 तक प्रेषणके लिए तैयार है।

एफ) एक काम्पोसिट आदेश के विरुद्ध, कंपनी ने 286.50 लाख रुपयों को मान्यता दी है - अनुसूची क्यू में नोट सं.11 का संदर्भ लें। हमारी राय में एएस-9 राजस्व मान्यता के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर ही आपूर्ति होनी है और इस तरह से राजस्व की मान्यता के लिए मानदंड की अवहेलन हुई है इस मान्यता के परिणामस्वरूप 286.50 लाख रुपयों का राजस्व तथा देनदारों को ओवरस्टेटमेंट में दर्शाया गया और 203.03 लाख रुपयों का मालसूची को अंडरस्टेटमेंट और 83.47 लाख रुपयों को कर से पहले लाभ को ओवर स्टेटमेंट में दर्शाया गया।

3) विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में अनुसूची क्यू के नोट सं.3(एच) के संदर्भ में।

लेनदेन के दिनांक के बजाय भुगतान करते समय विद्यमान रेट के अनुसार सामग्री बुक की गई जो लेखांकन मानक (एएस-11) के अनुरूप नहीं है और इसका प्रभाव निश्चित नहीं है।

4) सेगमेंट रिपोर्टिंग के संबंध में अनुसूची क्यू में नोट सं.3(सी) का संदर्भ लें। कंपनी की सेगमेंट रिपोर्टिंग लेखांकन भावक (एएस-17) के डिसक्लोजर रिकैरमेंट्स के अनुरूप नहीं है।

कंपनी द्वारा उत्तर

इस परियोजना के अंतर्गत सभी आपूर्तियाँ पूरी की गईं। ग्राहक द्वारा साइट क्लियरेंस की वजह से स्थापन एवं आरंभण कार्य लंबित है। ग्राहक ने आपूर्ति किये गये मर्दों के लिये भुगतान कर दिया है केवल 10% शेष है।

उल्लिखित टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट है।

कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची iv के अंतर्गत वार्षिक लेखे में आवश्यक मात्रात्मक विवरण दर्शाने कंपनी अफेर्स मंत्रालय ने छूट दी थी। इसीलिये कंपनी के सामरिक महत्व के कार्यकलापों के मद्देनजर एएस-17 के अंतर्गत आवश्यक ब्योरा दर्शाना मुनासिब नहीं समझा गया। इस तरह से नहीं दर्शाने से किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AUDITORS' REPORT

increased by Rs 1473.92 lakhs (net sale) & decrease in inventory by Rs 1135.50 consequential increase of PBT by Rs 338.42 Lakhs.

The company is having the stock in its custody which are sold on retention basis for financial year 2002-03 (Rs 4053.31 lakhs) 2003-04 (Rs 1523.45 lakhs) 2004-05 (Rs 667.14 lakhs) 2006-07 (Rs 128.96 Lakhs) (aggregating to Rs 6372.86 Lakhs) awaiting dispatch as on 31.3.2008.

- f) Against a composite order, the company recognized the revenue of Rs 286.50 lakhs – refer Note no. 11 in Schedule Q. The same in our opinion is contrary to the provision of Accounting standard (AS)-9 Revenue Recognition as the order placed by the customer clearly stipulated that goods supplied and held in their custody are at risk of the supplier and thus not met the criteria for recognizing Revenue.

This recognition has resulted in over statement of Revenue and Debtors by Rs 286.50 lakhs and understatement of inventory by Rs 203.03 lakhs and consequential overstatement of PBT by Rs 83.47 lakhs.

- 3) Refer Note No: 3 (H) in Schedule 'Q' regarding Foreign Exchange Transactions:

The materials are booked at the rate prevailing as on the date of payment instead of date of transaction which is not in accordance with Accounting Standard(AS)-11, the impact of which is unascertainable.

- 4) Refer Note No: 3 (C) in Schedule 'Q' regarding Segment Reporting:

The company has not complied with the disclosure requirements of Accounting Standard (AS)-17 on 'Segment Reporting'.

Company's Replies

All the supplies under this Project have been completed. Installation and commissioning is pending for want of site clearances by the customer. Customer has already paid the money for the supplied items except last 10%.

The Note referred to is self-explanatory.

Disclosure of quantitative particulars in the Annual Accounts as required under Schedule VI of the Companies Act 1956 was exempted by Ministry of Company Affairs. Therefore, it is considered not prudent to disclose segment wise details as required under AS-17, in view of the strategic nature of the Company's activities. Such non-disclosure has no financial effect.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- 5) “पट्टे” पर लेखा नीति आर(बी) की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है :

केएमवीडी के संबंध में बीओएमटी के आधार पर एफएसटी परियोजना । लेखा मानक (एस)-19 के 26, 27 तथा 32 पैराग्राफ के अंतर्गत वित्तीय पट्टों के प्रक्रिया के विरुद्ध कंपनी नीति के अनुसार मेनफाक्चर/डीलर लेसर द्वारा ही सभी वित्तीय पट्टों का ट्रीटमेंट होता है (एस-19 का पैराग्राफ 32) हमारी राय में यह एस-19 के विरुद्ध है । हमारी राय में ग्राहकों को उप-पट्टों पर देने के लिये वित्तीय पट्टों की संपत्ति को ट्रीट करने के लिये लेखा मानक-19 में कंपनी के नार्मल बिक्री के रूप में नहीं माना गया । इस नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

बिल्ड ओन मेनटेन ट्रांसफर (बीओएमटी) ठेके के कार्यान्वयन के लिये कंपनी और व्यापार सहभागी ने इस परियोजना में क्रमशः 604 लाख रुपये और 1550 लाख रुपये निवेश किये । केएमवीडी के साथ के ठेका पद्धति के अनुरूप कंपनी ने व्यापार सहभागी के साथ बैंक टु बैंक अग्रीमेंट में करार किया । एस-19 “पट्टे के अंतर्गत कंपनी ने “बीओएमटी” ठेके को “वित्तीय पट्टा” मान लिया है और लीज अकौंटिंग के खातिर 10-03-2007 को व्यापार सहभागी से पट्टा करार किया है जो परियोजना के कार्यान्वयन के बाद किया गया । इस तरह से कंपनी पट्टेदार बन गई और केएमवीडी की उप पट्टेदार हो गई । कंपनी ने व्यापार सहयोगी द्वारा किये गये निवेश को कंसमेशन के हिसाब में लिया और 1550 लाख रुपयों का लयाबिलिटी क्रियेट किया । परिणामस्वरूप कंपनी ने परियोजना में अपने निवेश को डीमड लीज के रूप में ही नहीं माना बल्कि व्यापार सहयोगी के निवेश को भी निवेश में शामिल किया और दोनों को मेन्युफाक्चर/डीलर लेसोर माना और 2006-07

कंपनी द्वारा उत्तर

कंपनी के सामान्य कारोबार के दौरान ही पट्टा कार्रवाई की गई, इसीलिये लेखा नीति के लिये लेखा मानक 19 का 32 पैरा ही आधार है । तदनुसार आय को मान्यता दी गई ।

AUDITORS' REPORT

- 5) Accounting Policy-R(b) on 'Leases': / Regarding KMVD - FAST Project under BOMT basis

As against the laid down treatment of finance leases vide paragraphs 26, 27 and 32 of Accounting Standard (AS)-19, the company policy envisages treatment of all finance leases to be by manufacture/dealer lessor (paragraph 32 of AS-19), which in our opinion, is contrary to AS-19. In our opinion, treating the assets taken on finance lease for the purposes of sub-leasing to customers also as Company's normal sale is not envisaged in Accounting Standard-19.

For implementing the "Build Own Maintain Transfer" (BOMT) Contract, the company and its Business Associate (BA) have invested Rs 604 lakhs and Rs 1550 lakhs respectively in the project. The company entered into a back to back agreement with BA on the lines of Contract with KMVD. The company considered 'BOMT' contract as a 'Financial Lease' within the meaning of AS-19 'Leases' and to enable lease accounting, entered into a lease agreement with BA on 10.03.2007 much after the implementation of the project according to which the company became lessee to the extent of investment by BA and in turn considered it as a sub-lease to KMVD.

The company accounted for the investment by BA as its consumption and created a liability for Rs 1550 lakhs. Consequently the company not only treated its own investment in the project as a deemed lease but also included the investment of BA which it took under finance lease, as deemed finance lease and considering both as manufacture/dealer lessor, the entire amount of Rs 2168 lakhs as sale income for the year 2006-07 with a corresponding expenditure of equal amount being the joint investment. Thus, treating the ownership and risks rewards transferred to KMVD in 2006-07 itself, though as per terms of contract, the title to goods is to be transferred to KMVD at the end of three years contract period.

Company's Replies

The leasing activity is undertaken by the Company in the course of its normal business and hence, para 32 of Accounting Standard -19 is the basis for the Accounting Policy. The income is recognised accordingly.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

के लिये पूरी राशि 2168 लाख रुपयों को बिकट्टी आय के रूप में दर्शाया। इस तरह से वर्ष 2006-07 में ही स्वामित्व तथा जोखिम रिवाइस केएमवीडी को स्थानांतरित किया गया, जबकि ठेके की शर्तों के अनुसार तीन वर्षों के ठेके के अंत में केएमवीडी को टाइल टु गुड्स स्थानांतरित करना होता है।

लेखा मानक (एस)-19 की उपरोक्त व्याख्या तथा काम्प्लेक्स अकाउंटिंग के मद्देनजर, हम यह सही है या नहीं इस बारे में कोई राय देना नहीं चाहते और बिकट्टी तथा ऋणदाता एवं उपभोक्ता तथा क्रेडिटर्स के विषय में किये गये डिसक्लोसर्स के बारे में राय देना नहीं चाहते।

6) लेखांकन नीति - एस - निर्णित हर्जाना

निर्णित हर्जाना पर कंपनी की नीति अक्रूअल आधारित है परंतु व्यवहार में केवल ग्राहकों के बिलिंग पर ही कंपनी निर्णित हर्जाना के लिए प्रावधान किया है। अनुसूची क्यू में नोट सं.16 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है।

इस तरह से कंपनी आदेशों पर प्रोवाइड नहीं करकती है जो कन्ट्राक्टुअब्ली देय है, हमारी राय में यह अक्रूअल कानसेप्ट के विरुद्ध है। सूचना के अभाव में यह राशि हमारे द्वारा क्वान्टिफाई नहीं की जा सकती।

7) आई सी ए आई इन्स्टिट्यूट द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देश नोट से विचलिताएँ, वीएटी लेखांकन से संबंधित अनुसूची क्यू के नोट सं.5 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है।

8) फुटकर देनदार, फुटकर लेनदार ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम पुष्टियाँ, आयोजन तथा मिलान के आधीन है।

उपरोक्त के मद्देनजर उपरोक्त राशियों के वसूलीयोग्यता पर तथा लाभ/हानि तथा देयताओं पर प्रभाव के बारे में हम अपने विचार व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हैं।

कंपनी द्वारा उत्तर

संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित नोट स्वतः स्पष्ट है। राजस्व मान्यता के स्तर तक अक्रूअल आधार पर लंबित ठेकों पर कंपनी ने निर्णित हर्जाना के लिये प्रावधान किया है जिसमें मैचिंग कास्ट्स विथ रेवेन्यू नीति के अंतर्गत बिना बिल के राजस्व भी शामिल है।

संदर्भित नोट स्वतः स्पष्ट है।

फुटकर देनदारों के शेष की पुष्टि के लिये कंपनी वारा पत्र जारी करना परिपाटि है। बकाया फुटकर देनदारियाँ, लेनदारियाँ और निर्णित हर्जाना आदि की समीक्षा के लिये समीक्षा मेकानिज्म है और आवश्यक कार्रवाई की गई। वर्ष के दौरान, फुटकर देनदारियों को पुष्टि पत्रों के अलावा, फुटकर लेनदारियों के संबंध में शेष की पुष्टि के लिये पत्र, आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये अग्रिम तथा ग्राहकों से प्राप्त किये गये अग्रिमों के संबंध में, कहा गया कि वे सांविधिक लेखा परीक्षकों को सीधे पुष्टि पत्र भेजन का अनुरोध किया गया प्राप्त किये गये उत्तरों पर उचित रूप से कार्रवाई की गई।

AUDITORS' REPORT

During the year 2007-08 the company has recognized lease rental/service income amounting to Rs 876.40 Lakhs.

In view of the above complex accounting and interpretation of the Accounting Standard (AS)-19 adopted, we are unable to opine on the correctness or other-wise of the accounting treatment including recognition of sale and debtors and consumption and creditors and the disclosure made in the notes in this regard.

6) Accounting Policy- 'S' on Liquidated Damages:

The company policy on Liquidated Damages is on accrual basis but in practice company provides for Liquidated Damages only on billing to customers. Refer Note no. 16 in Schedule Q.

Thus the company does not provide on orders which are contractually due which in our opinion is against the accrual concept. In the absence of the information the amount cannot be quantified by us.

7) ***Reference is invited to Note No.5 of Schedule 'Q' regarding VAT accounting, deviations from the Guidance Note issued by Institute of Chartered Accountants of India.***

8) The balances appearing under Sundry Debtors, Creditors, and Advances/deposits received from customers and Advances/deposits given are subject to confirmation and reconciliation and consequential adjustments.

In view of the above we are unable to opine on the recoverability or otherwise of the above amounts and also the impact on the profit/assets and liabilities.

Company's Replies

The note referred to by the statutory auditors is self-explanatory. The Company has provided for Liquidated damages on delayed contracts on accrual basis to the extent of revenue recognized including unbilled revenue under the principle of matching costs with revenue.

The note referred is self-explanatory

The Company has a practice of issuing letters for confirmation of balances of Sundry Debtors. There is a review mechanism in place for outstanding Sundry Debtors, Creditors and Liquidated Damages etc., and necessary actions have been taken. During the year, apart from the confirmation letters to Sundry Debtors, letters for confirmation of balances in respect of Sundry Creditors, advances paid to suppliers and advances received from customers were sent with a request to send the confirmations directly to the statutory auditors. Replies received have been properly dealt with.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- 9) अनुसूची 'क्यू' के संदर्भ नोट 22 (vi) के संदर्भ में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया तथा हमें सूचित किया गया कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- 10) अनुसूची क्यू में नोट सं.17 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत एक ऋण सार्वजनिक क्षेत्र से 2953.26 लाख रुपयों के बकाये को वसूली योग्य समझा गया पर वह लंबे समय से वसूली नहीं हो पा रही है। हम वसूली योग्यता पर कहने की स्थिति में नहीं हैं।
- 11) ग्राहकों से बिक्री के विभिन्न प्रपत्र के लंबित रहने के कारण कंपनी ने रियायत दर पर देयताओं का सृजन किया ऐसी बिक्री के मामले में यदि ऐसे रियायती मार्ग प्राप्त नहीं हुए और प्रस्तुत नहीं किये गए तो कंपनी के जिम्मे पड़ने वाला आस्थगित कर 115.84 लाख रुपये तक हो सकता है, अनुसूची क्यू में नोट सं.19 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है।
- 12) विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त राशि विवादों में घिरी है इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेषकर आयकर (5692.49 लाख रुपये) बिक्री कर (1604.10 लाख रुपये) एवं उत्पाद शुल्क एवं सीमाकर दावे (138.60 लाख रुपये), हम इस पर टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि कंपनी पर अंतिम देयता पर भार पड़ सकता है और कंपनी द्वारा दिये गए वक्तव्य पर भरोसा किया गया और ये मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।
- 13) आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर कार्यालयीन अनुसंधान एवं विकास व्यय के अंतर्गत प्राथमिकी व्यय शीर्ष ये व्यावहारिक व्यय शीर्ष के रूप में कंपनी ने पुनः वर्गीकृत किया है जो 2139.69 लाख रुपये हैं जिस में साफ्टवेयर पर 819.31 लाख रुपये भी शामिल है। उसे ही विश्वसनीय मान लिया गया और प्रकटीकरण प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया।
- 14) एक प्रभाग द्वारा अन्य प्रभाग को प्रयुक्त सेवाओं के लिए पारस्परिक सहायता के आधार पर सीधे श्रीमिकों का अंतर विभागीय स्थानांतरण काफी मात्रा में है जो हमारे द्वारा विश्वसनीय माना गया।

कंपनी द्वारा उत्तर

- कंपनी ने सभी आपूर्तिकर्ताओं को उनके एमएसएमईडी स्टेटस भेजने के लिये पत्र भेजा है। आपूर्तिकर्ताओं से मिली सूचना के आधार पर आंकड़ों को हमने समेकित किया है।
- कंपनी को आईटीआई से राशि मिलने की उम्मीद है और इसीलिये लेखे के पुस्तक में कोई प्रावधान नहीं किया गया जैसे कि अनुसूची "क्यू" के नोट सं.17 के अंतर्गत दर्शाया गया।
- संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट है।
- सूचना वास्तविक है और मामले उप न्यायाधीन है।
- अनुसंधान एवं विकास व्यय की पहचान की गई और पुनः वर्गीकृत किया गया और यह अभ्यास निरंतर जारी है।
- फैक्च्युअल तथा स्थानांतरण वास्तविक लागत पर है।

AUDITORS' REPORT

- 9) Refer Note No. 22 (vi) of schedule 'Q' regarding disclosure as per section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 which has been made only for few enterprises and for balance we have been informed that the data is not available.
- 10) **Refer Note no.17 in Schedule Q wherein a sum of Rs2953.26 lakhs due from a sick PSU has been considered good and recoverable though the same is long outstanding without any significant recoveries. We are not in a position to comment on the recoverability or otherwise of the same.**
- 11) The company created liability at concessional rates towards sales pending receipt and submission of various Tax Forms from customers. In respect of such sales the differential tax that may devolve on the company in case such concessional forms are not received / submitted as estimated by the company works out to Rs.115.84 lakhs refer Note no.19 in schedule Q.
- 12) **Considering the substantial amounts involved in disputes at different levels particularly relating to Income Tax (Rs 5692.49 lakhs), Sales Tax (Rs 1604.10 lakhs) and excise and customs duty claims of (Rs 138.60 lakhs), we are not in a position to comment on the ultimate liability that may devolve on the company and as such the treatment given by the company has been relied upon by us, as the issues are sub-judice.**
- 13) The company has reclassified the expenditure from primary heads to functional heads under In house R & D expenditure based on internal reports to the extent of Rs 2139.69 lakhs which includes Rs 819.31 lakhs being the expenditure on software. We have relied on the information given by the management and accepted the same for disclosure purposes.
- 14) For the services rendered by one division to other there has been substantial inter divisional transfer of direct labor based on mutually agreed basis which has been relied upon by us.

Company's Replies

The Company has sent letters to all the suppliers to confirm their MSMED status. The data has been compiled by us based on the information received from the suppliers.

The Company is confident of recovering the amounts from ITI and hence no provision is made in the books of account as has been disclosed under Note No. 17 of Schedule "Q".

The note referred to by the statutory auditors is self-explanatory.

The information is factual and the matters are sub-judice.

R&D expenditure has been identified and reclassified and the practice is being followed consistently.

Factual and the transfers are at actual cost.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उत्तर

15) बैंक के खातों में न पहचाने गए प्रविष्टियाँ पड़ी हुई है जिसे मिलान करने की जरूरत है। अनुसूची क्यू में नोट सं.15 को देखें।

उपरोक्त लिमिटेशन्स के मद्देनजर चालू वर्ष के लेखों पर होनेवाले प्रभाव को हम क्वान्टिफाई करने के स्थिति में नहीं है।

एफ) उपरोक्त “ई” पैराग्राफ के अतिरिक्त तथा पैराग्राफ “सी” में संदर्भित अनुबंध में हमारे टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

- ए) हमने वह सारी सूचना और सभी स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;
- बी) हमारे विचार में, जहाँ तक कंपनी की लेखा पुस्तकों से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित ढंग से उचित लेखा पुस्तकें रखीं ;
- सी) इस रिपोर्ट में निर्देशित तुलन पत्र एवं लाभ-हानी खाता लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं ;
- डी) तुलन पत्र एवं लाभ-हानी खाता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 सी में उल्लिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं बजाय उस सीमा तक जिस सीमा तक उन व्यतिक्रमों की उक्त पैरा सी एवं डी में अभिव्यक्ति की गयी।
- ई) विधि मंत्रालय, न्याय तथा कंपनी के मामले द्वारा जारी परिपत्र सं. 8/2002 दि.22-03-2002 के कंपनी अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान के अनुसार यह कंपनी को लागू नहीं है, क्योंकि यह सरकारी कंपनी है।
- एफ) हमारी सूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत लेखों के प्रयोजनार्थ तथा उप कर की वसूली हेतु केन्द्रीय सरकारने अधिसूचना जारी नहीं की।
- जी) हम सूचित करते हैं कि उक्त पैरा “ई” के मुद्दे 2(डी), 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 एवं 15 पर विचार के बिना जिनका प्रभाव निश्चित न किया जा सकता है या जहाँ हम किसी भी राय को व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है मा जहाँ प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना पर हम विशस्त हो गये, पैरा “ई” के मुद्दे 2 (ए), 2 (बी) से 2 (सी), 2 (ई) 2 (एफ) के अंतर्गत हमारे द्वारा की गयी टिप्पणी पर विचार किया गया ;

संवैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट हैं।

AUDITORS' REPORT

- 15) There are unidentified entries lying in the bank accounts which need to be reconciled. - Refer note no. 15 in Schedule Q.

In view of the above limitations we are unable to quantify the impact on the current year accounts.

F) Subject to Paragraph E above and further to our comments in the annexure referred to in paragraph C above, we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books,
- c. The Balance Sheet, the Profit & Loss account and Cash Flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section 3C of Section 211 of the Companies Act, 1956.
- e. As per circular No.8/2002, dated 22.03.2002 issued by the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, the provisions of section 274 (1)(g) of the Companies Act, are not applicable to the Company, as it is a Government Company.
- f. According to our information, the Central Government has not issued any Notification for the purpose of levy and collection of cess under section 441A of the Companies Act, 1956.
- g. ***We report that without considering items 2(d),3,4,5, 6,7,8, 9,10, 11,12,13,14 and 15 of Para-E above, the impact of which could not be determined or where we are not in a position to express any opinion or where we have relied on the information given by the management, had the other observations made by us under 1, 2(a),2(b), 2(c), 2(e), 2(f), of Para-E above been considered;***

Company's Replies

The note referred to by the statutory auditors is self-explanatory.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा उत्तर

- निवल बिक्री 94186.39 लाख रुपयों के बजाय 89187.44 लाख रुपये हुआ होता;
- वर्ष के लिए कर से पहले लाभ 20135.4 लाख रुपये के बजाय 17466 लाख रुपये हुआ होता;
- फुटकर देनदार 127003.6.90 लाख रुपये के बजाय 122275.16 लाख रुपये हुआ होता;
- 31-03-2008 को माल सूचियाँ 6884.13 लाख रुपये के बजाय 9213.68 लाख रुपये हुआ होता;

कर से पहले लाभ रु. 2669.40 लाख रुपये ओवर स्टेटमेंट में रहा, कर के लिए प्रावधान लगभग 907.33 लाख रुपये रहा और रिजर्व और सरप्लस 1762.07 लाख रुपये रहा।

जी) हमारे विचार में और हमारी जानकारी तथा हमको प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे के अंगीभूत टिप्पण एवं लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर, और आगे निर्देशित अनुबंध पैरा-“सी” में हमारी टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर और आगे पैरा-“ई” में प्रस्तुत हमारी टिप्पणियों के अध्याधीन तथा तदनुसार लेखे पर उसके संचित प्रभाव के फलस्वरूप, मात्रागण निर्धारण किमे जाने मोम्म सीमा तक पैरा एफ “जी” में बनाया गया, कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षानुसार और उपेक्षित ढंग से भारत में सामान्य तथा स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों की पुष्टि की सही एवं उचित ढंग से समाचार देते हैं कि :

- ए) जहाँ तक तुलन पत्र के संबंध में हैं 31-03-2008 को कंपनी के स्थिति-विवरण के बारे में,
- बी) जहाँ तक लाभ-हानि खाते का संबंध है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष की हानि के बारे में सच्चा तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, तथा
- सी) जहाँ तक नकदी प्रवाह विवरण का सम्बन्ध है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करते हैं।

कृते लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन
सनदी लेखापाल

(लक्ष्मीनिवास शर्मा)
भागीदार

एम. नं. 014244

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 19.08.2008

कृते एवं बोर्ड की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 29.09.2008

AUDITORS' REPORT

- *The net sales would have been Rs 89187.44 lakhs instead of Rs 94186.39 lakhs;*
- *Profit before tax for the year would have been Rs 17466 lakhs instead of Rs 20135.4 lakhs;*
- *Sundry Debtors would have been Rs 122275.16 lakhs as against Rs 127003.6 lakhs;*
- *Inventories on 31.03.2008 would have been Rs 9213.68 lakhs instead of Rs 6884.13 lakhs;*

Consequent to the overstatement of PBT by Rs 2669.40 lakhs and overstatement of provision for tax by Rs 907.33 lakhs approximately, year end balance of Reserves and surplus by 1762.07 lakhs approximately.

G) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the accounting policies and notes forming part of accounts, further, read with our comments in the Annexure referred to in paragraph C and subject to our comments given in Paragraph E and the cumulative consequent effect thereof on the accounts to the extent quantified, as stated in paragraph F (g) above, give the information as required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31.03.2008.
- b) in case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
- c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For Laxminiwas & Jain
Chartered Accountants

(Laxminiwas Sharma)
Partner
M.No. 014244

Place : Hyderabad
Date : 19.08.2008

Company's Replies

For and on behalf of the Board of Directors

(K S Rajasekhara Rao)
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 29.09.2008

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

कंपनी द्वारा उत्तर

- i) ए) स्थिर परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण के साथ पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुए कंपनी ने समुचित रिकार्ड रखा है।
- बी) प्रबंधन के अनुसार सभी स्थिर परिसंपत्तियों का तीन वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करने का कंपनी का चरणवार कार्यक्रम है और अगला स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2005-06 में होनेवाला था। जिस के लिए एक बाहरी एजेन्सी को रखा गया जिसने कार्यक्रम के अनुसार सत्यापन कार्य पूरा किया और विभेदों तथा अनसर्वीसेबल तथा अबसोलेट मदों के बारे में रिपोर्ट दिया। चन प्रभागों ने मिलान के बाद मूल्यों के समायोजन की पुष्टि की तथा तदनुसार 577.76 लाख रुपयों के सकल मूल्य का समायोजन किया गया और इसके परिणामस्वरूप नेट बुक वैल्यू में 19.71 लाख रुपयों को बढ़े खाते डाला गया। सत्यापन के दौरान पाये गए विभेदों को परिसंपत्तियों के साथ मिलान कर पुष्टि की जानी है। मिलान कार्य एवं समायोजन कार्य लंबित रहने के कारण हम विभेदों का समायोजन न कर सकने के कारण वित्तीय विवरणों पर होनेवाले प्रभाव के विषय में टिप्पणी करने एवं क्वान्टिफाई करने की स्थिति में नहीं है।
- सी) कंपनी ने अपने स्थिर परिसंपत्ति से कोई बड़ा हिस्सा नहीं बेचा है जिससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
- ii) ए) वर्षांत में, तैयार स्टॉक तथा निर्माणाधीन स्टॉक का प्रबन्धन ने प्रत्यक्षतः सत्यापन किया है। ए. और बी. दर्जे की कच्ची सामग्री भण्डार एवं तीसरे पक्षकारों के यहाँ पड़ी सामग्री को छोड़कर अतिरिक्त पुर्जे प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान तीन बार प्रत्यक्षतः सत्यापित किये गये हैं। वर्ष के दौरान सी दर्जे के मदों का सत्यापन नहीं किया गया। हमारे विचार में, अन्य मुद्दों के संबंध में जिनमें शाखा के स्टॉक शामिल है, प्रत्यक्ष सत्यापन की अवृत्ति तर्कसंगत है और कंपनी के आकार - प्रकार के सापेक्ष पर्याप्त दिखने तक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
- बी) हमारे विचार में, कंपनी द्वारा स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु अनुसरण की जानेवाली कार्यविधियाँ उक्त पैरा (ii) (ए) के साथ पढ़े जाने पर तर्कसंगत हैं और कंपनी के कलेवर तथा उसके कारबार के स्वभाव के अनुरूप हैं।
- सी) कंपनी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। किताबी रिकार्डों के साथ तुलना करते हुए स्टॉकों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के समय जो विसंगतियाँ ध्यान में आईं, उनके साथ लेखा पुस्तकों में समुचित ढंग से व्यवहार किया गया।

अनुसूची “ई” टिप्पण सं. 4 की ओर धानाकर्षित किया जाता है। ऑचलिकों के स्थिर संपत्तियों की जाँच की गई जिसे ऑचलिक आपरेशन्स के लेखा परीक्षा के लिये नियुक्त किये गये सनदी लेखापालों के बाह्य फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा के स्कोप में शामिल किया गया। आगे, समायोजन/डाक्युमेंटेशन कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 के दौरान कच्चे माल के ए तथा बी श्रेणी के मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन की बारम्बारता को दो से तीन वर्ष तक बढ़ाया गया। चन “सी” श्रेणी के मदों का भी सत्यापन किया गया। यद्यपि, लेखा परीक्षकों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान प्रीक्वेन्सी को और बढ़ाया जायेगा।

Annexure to the Auditors' Report

Company's Replies

- i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
- (b) The Company has a phased programme of physical verification of all fixed assets once in three years which has fallen due from 2005-06 for which purpose the company engaged external agency who have carried out physical verification and reported discrepancies and also reported unserviceable and obsolete items. Certain divisions have after reconciliation confirmed the values to be adjusted and accordingly adjustments have been carried out for gross value of Rs.577.76 lakhs resulting in a write off of Rs.19.71 lakhs being the net book value. **As on date certain differences noticed on physical verification are still to be reconciled and confirmed. Pending such review and reconciliation, we are not in a position to comment and quantify the unadjusted differences and its consequential impact on the financial statements.**
- (c) The company has not disposed off major part of fixed assets having affect on going concern.
- ii) (a) According to the explanation and information given to us, finished goods and work in progress have been physically verified by the management at the year end and A and B class items of Raw materials, stores and spares excluding materials lying with third parties and branches have been physically verified by the management thrice during the year. Few '**C**' class items have been verified during the year. **In our opinion, the frequency of the physical verification needs to be improved to be reasonable and adequate in relation to the size of the company and nature of its business.**
- (b) In our opinion, the procedures of physical verification of stocks followed by the Company read with para (ii) (a) above are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and nature of its business.
- (c) The company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies to the extent noticed on physical verification of stocks as compared to book records have been properly dealt with in the books of account.

Reference is invited to Note No. 4 of Schedule "E". The fixed assets at Zones have been verified as included in the scope of audit by the external firms of Chartered Accountants appointed for audit of zonal operations. Further, adjustments/ documentation are being carried out.

The frequency of physical verification of A & B class of items of raw materials have been increased from two to three during the year 2007-08. A few C Class items have also been verified. However, as suggested by Auditors, the frequency will be further improved during 2008-09.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

कंपनी द्वारा उत्तर

- iii) ए) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- बी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी द्वारा ऋण देने या लेने पर ब्याज दर या अन्य शर्तों से संबंधित खंड यदि कंपनी के हितों के अनुरूप न हो वे कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
- सी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है तो दिये जानेवाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान संबंधी खंड कंपनी को लागू नहीं होता।
- डी) जैसे कि धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिया है तो एक लाख के ऊपर के बकाया राशि पर मूलधन तथा ब्याज की वसूलने के लिए लिये जानेवाले कदम से संबंधित खंड कंपनी को लागू नहीं होता।
- ई) कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से किसी प्रतिभूत या ऋण नहीं किया है।
- एफ) जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गतरखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों से कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा देने या लेने पर ब्याज दर या अन्य शर्तों से संबंधित खंड यदि कंपनी के हितों के अनुरूप न हो तो वे लागू नहीं होंगे।
- जी) जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों अन्य पक्षकारों से कोई ऋण नहीं ली है तो, मूलधन तथा ब्याज के भुगतान संबंधी खंड कंपनी को लागू नहीं होता।

Annexure to the Auditors' Report

Company's Replies

- iii) (a) The Company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301 of the Companies Act, 1956.
- (b) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to rate of interest and other terms and conditions of loans given by the company, secured or unsecured which are prima facie prejudicial to the interest of the company is not applicable to the company.
- (c) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to receipt of the principal and interest is not applicable to the company.
- (d) As the company has not granted any loans to companies, firms or other parties listed in the register maintained under Sec. 301, the clause relating to steps taken for recovery of the principal and interest on overdue amount of more than one lakh is not applicable to the company.
- (e) The company has not taken any loans, secured or unsecured from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- (f) As the company has not taken any loans from companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956, the clause relating to rate of interest and other terms and conditions of the loan taken which are prima facie prejudicial to the interest of the company is not applicable to the company.
- (g) As no loans are taken by the company from the companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the companies Act, 1956, clause relating to payment of principal amount and interest is not applicable to the company.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

iv) हमारे विचार में और हमको प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार भण्डार, कच्ची सामग्री, संघटकों की खरीदी तथा माल लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध कंपनी द्वारा उत्तर की बिक्री हेतु जो आंतरिक निमंत्रण कार्यविधियाँ हैं, वे और रिकार्डों का रखा जाना मिलकर कार्यविधियों सुधारने की आवश्यकता है और अन्य दस्तावेज संबंधी कमियाँ टालने की जरूरत है ताकि कंपनी के कलेवर एवं उसके कारबार के स्वभाव के अनुरूप हो, के इन क्षेत्रों को छोड़कर (ए) वर्षान्त तक रसीदों की रिकार्डिंग सामग्री से संबंधित मुद्दे जो संख्या व वाल्यूम में सबस्टान्शियल है, (बी) वर्षान्त के क्रय एवं बिक्री के लिए कट आफ प्रक्रियाएँ जो संख्या व वाल्यूम में सबस्टान्शियल, (सी) अनरिकन्साइल्ड विभेदों को पहचान के लिए ग्राहकों और विक्रेताओं से शेष पुष्टि पत्र प्राप्त करना, (डी) सीईएनवीएटी/वीएटी का मिलन (ई) सुपुर्दगी के लिये ग्राहकों से पावती (एफ) ग्राहकों से विभिन्न कर प्रमाण पत्र/प्रपत्रों की वसूली।

हमारी राय में स्कूल परियोजनाओं से फ्रेनचीसीस द्वारा शुल्क की वसूली करने संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

आगे, कंपनी द्वारा चलाये जा रहे 'ई' गवर्नन्स परियोजनाओं के सहयोगी बिजनेस असोसियेट्स द्वारा किये गए नकद वसूली संबंधी आंतरिक नियंत्रण नियमावली पर्याप्त नहीं है इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

v) ए) प्रबन्धन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किसी प्रकार का लेन देन किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज किया जाना है।

बी) हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जानेवाले रजिस्टर में दर्ज किये गये कंपनियों से, कंपनी ने कोई कांटाक्ट या व्यवस्था नहीं की है जिसका मूल्य 5 लाख रुपयों से अधिक हो और मूल्य की औचित्यता से संबंधित खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

यद्यपि, मेसर्स ईसीआईएल रेपिस्कान लि. कंपनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, पर पार्टी डिस्क्लोजर के अंतर्गत अनुसूची "क्यू" में नोट 3(डी) में इस लेनदेन को दर्शाया गया। एमएसटीडी से संबंध में कंपनी ने ईसीआईएल रेपिस्कान लिमिटेड से समझौता ज्ञापन किया जिसे अनुसूची

कंपनी द्वारा उत्तर

भविष्य में लेखा परीक्षकों के सुझावों के अनुसार प्रणाली एवं प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया।

ए) एफएटी कंडक्ट करने के बाद वर्ष के अंत में लॉग लीड मदों को स्वीकृत करने के कारण ऐसा हुआ है। जहाँ सामग्री प्राप्त हुई वहाँ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण तथा आन लाइन परीक्षण के बाद ही दस्तावेज प्राप्त हुए।

बी) कार्यान्वयन के लिये इसे परीक्षण किया जायेगा।

सी) शेष की पुष्टि के लिये ग्राहकें एवं वेंडरों को पत्र भेजे गये। प्राप्त उत्तरों पर उचित कार्रवाई की गई।

डी) सीईएनवीएटी/वीएटी का मिलान वार्षिक किया गया।

ई) जहाँ जरूरी है पावती प्राप्त की गई।

एफ) समय समय पर समीक्षा के लिये प्रक्रिया मौजूद है और ग्राहकों से विभिन्न कर प्रमाणपत्र/प्रपत्र के वसूली के लिये स्मरण पत्र भेजे गये।

कलेक्शन जमा करने के लिये एक प्रणाली चल रही है और फ्रेनचीसीस के दावों को पूरा किया जा रहा है। बाहरी सनदी लेखा पाल द्वारा ईसीआईटी के आपरेशन्स का लेखा परीक्षण किया गया।

Annexure to the Auditors' Report

- iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control systems for purchase of inventory and fixed assets and for sale of goods and services are adequate as commensurate with the size of the company and nature of its business, **except in the areas of (a) recording of receipts and issues of material at the year end which are substantial in number and volume; (b) 'cut off' procedures for year end purchases and sales which are quite substantial in number and volume; (c) obtaining balance confirmation letters from customers and vendors to identify unreconciled differences; (d) reconciliation of CENVAT/VAT; (e) acknowledgement from the customers for the deliveries; (f) collection of various tax certificates/forms from the customers.**

We are of the opinion that the present internal control systems of fee collections by the franchisee and from school projects needs to be further improved.

The internal control procedures in respect of cash collections made by Business Associates as part of 'e' Governance Projects under taken by the company needs to be further improved.

- v) (a) As per the information and explanations provided by the management, there are no contracts or arrangements taken place during the year, which needs to be entered into the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not entered into contracts or arrangements exceeding Rs.5 lakhs in value with companies in which directors are interested as listed in the Register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

However the company is having a Joint Venture M/s ECIL Rapiscan Limited, the transaction with whom is exhibited in Note; 3(D)(ii) in Schedule "Q" under related party disclosure . The company also entered into MOU with ECIL Rapiscan Limited with regard to MSTD project as reported in Note No.21 in Schedule Q.

Company's Replies

The observations of Audit are noted for further streamlining of the systems and procedures

- This is due to long lead items received at the fag end of the year after conducting of FAT. Where materials are received, documents are controlled only after completion of quality control inspection and online testing.
- This will be examined for implementation.
- Letters are sent to customers and vendors for confirmation of balances. Replies received have been properly dealt with
- The reconciliation of CENVAT/VAT have been made annually.
- Acknowledgements are being obtained where necessary.
- Procedure exists for periodic review and reminders are sent for collection of various tax certificates/forms from the customers.

A system exists for depositing the collections and settling the claims of franchisees in time. ECIT operations are also audited by external firm of Chartered Accountants.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

कंपनी द्वारा उत्तर

“क्यू” में नोट सं. 21 में दर्शाया गया। जैसे कि इसतरह की व्यवस्था निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है इसीलिए हम जेवीसी के आदेशों के अन्य शर्तों तथा मूल्य के रीजनेबलनेस पर आधारित है।

vi) हमारी राय के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 ए और धारा 58 एए उसके अधीन किये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की और कंपनी का बोर्ड या नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या न्यायालय या अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन संबंधी धारा कंपनी को लागू नहीं होता।

vii) कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है, पर हमारी राय में कंपनी के आकार व्यापार के अनुरूप इसका विस्तार एवं कवरेज पर्याप्त नहीं है, यद्यपि इसके आकार के अनुरूप इसे विस्तार करने की जरूरत है।

viii) कंपनी द्वारा मांगसूची के मूल्यांकन के लिये सामग्री, श्रम तथा अन्य मदों के लागत के रखरखाव से संबंधित लेखे पुस्तकों को हमने मुख्य रूप से समीक्षा की है, कंपनी के समेकिताधीन उत्पादों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (i) (डी) के तहत लागत के रिकार्ड रखना निर्धारित किया है इसके अनुरूप हमने सामग्री, श्रमिक एवं कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखे की पुस्तकों को समेकित किया और हमारे द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकी।

ix) ए) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सांविधिक देय जैसे भविष्य निधि, इन्वेस्टर शिक्षा एवं प्रोटेक्शन निधि आदि को कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सेस आदि नियमित रूप से जमा करवा रही है। इस संबंध में 31-03-2008 तक कोई ऐसी अविवादित रकम नहीं है जो छः माह से अधिक समय के लिए अतिदेय हो गई है।

बी) हमें प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आय कर (3673.07 लाख रुपये), सीमा शुल्क (178.56 लाख रुपये), उत्पाद शुल्क (133.53 लाख रुपये), बिक्री कर (1116.51 लाख रुपये) बकाया को जमा नहीं करा गया क्योंकि इस संबंध में निम्न अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न

आंतरिक लेखा परीक्षा के आंतरिक टीम के विस्तार को प्रतिवर्ष बढ़ाया जा रहा है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। वर्ष के दौरान विभागीय अंतरिम लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक परीक्षा के अतिरिक्त कार्य जैसे क्रय प्रक्रिया की समीक्षा, एएमसी ठेकों की समीक्षा, वैट/सेनवैट लेखांकन, सेवा कर अनुपालन आदि, के लिये बाह्य लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई।

लागत रिकार्ड समेकित कार्य पूरा हो चुका।

Annexure to the Auditors' Report

As the above transactions are approved / ratified by The Board, we have relied on the reasonableness of the prices and other terms and conditions.

vi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public as per the provisions of Sec. 58A and Sec.58AA or any other relevant provisions of the Companies Act, 1956 and the rules framed there under and the clause relating to compliance to order passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other Tribunal is not applicable to the Company.

vii) ***The company has an internal audit system commensurate with the size of the company and nature of its business. However, in our opinion, the scope for the same needs to be widened.***

viii) We have broadly reviewed the books of account relating to material, labour and other items of cost maintained by the company basically for the purposes of valuation of closing inventory We ***have been informed that records required to be maintained pursuant to the rules made by the Central Govt. for the maintenance of Cost Records under section 209(1) (d) of the Companies Act, 1956 for the products of the company are under compilation and no review could be made by us.***

ix) (a) The company is regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, wealth tax, service tax, customs duty, excise duty, cess and other material statutory dues applicable to it. There were no outstanding dues as at 31.03.2008 for a period exceeding six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanations given to us, the dues (net after 'on account payments' shown as advances) in respect of income tax (Rs.3673.07 lakhs), Customs duty (Rs.178.56 lakhs), excise duty (Rs.133.53 lakhs), sales tax (Rs.1116.51 lakhs), which have

Company's Replies

The scope of Internal Audit by Inhouse team is being widened from year to year covering the important areas. During the year, apart from Audit by Internal Audit Department, external Auditors have done the Internal Audit in the areas of revenue recognition, review of inventories, review of purchase procedure, review of AMC contracts, VAT/CENVAT accounting, service tax compliance etc.

The compilation of Cost records has been completed.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

कंपनी द्वारा उत्तर

प्राधिकारियों के समक्ष विवाद लंबित है। (आकस्मिक देयताओं के अधीन दिखाये गये विभागीय अपील सूची में सम्मिलित नहीं हैं)।

विवाद के कारण विभिन्न विभागों के संबंध में बकाया जो जमा नहीं किया गया:

(रुपये लाखों में)

कर/शुल्क	लंबित	राशि
आय कर	आईटीएटी	3081.96
	आयुक्त (अपील)	65.81
	ए.पी. हाई कोर्ट	87.15
	सी.बी.डी.टी	438.15
	कुल	3673.07
सीमा शुल्क	उच्चतम न्यायालय	154.42
	सीईएसटीएटी, बेंगलूर	24.14
	कुल	178.56
उत्पाद शुल्क	सीईएसटीएटी, बेंगलूर	48.12
	आयुक्त, हैदराबाद	85.41
	कुल	133.53
बिक्री कर	अपिलेट डीसी	1046.62
	एसटीएटी - नई दिल्ली	42.18
	विशेष ट्रिब्यूनल, चेन्नै	25.28
	असेसिंग ऑफिसर, बेंगलूर	
	एडीसी, कोलकाता	0.38
	कुल	1116.51

- x) कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई और हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किये गये वर्ष के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष में कंपनी को नकद हानि नहीं हुई।
- xi) वित्तीय संस्थान या बैंकों को कंपनी बकाया देने में चूक नहीं की है।
- xii) शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कंपनी ने ऋण एवं अग्रिम को प्रदान नहीं किया है।
- xiii) हमारी राय में, कंपनी कोई चिट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनिफिट फंड / सोसाइटी नहीं है। इसलिए, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड -4 (xiii) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।

Annexure to the Auditors' Report

not been deposited on account of disputes by the company pending before various authorities as per the details given below. (The list does not include Departmental appeals which are shown under contingent liabilities).

Dues in respect of various Departments not deposited on account of Disputes:

(Rs.Lakhs)

Tax/ Duty	Pending before	Amount
Income Tax	ITAT	3081.96
	Commissioner (Appeals)	65.81
	AP High Court	87.15
	CBDT	438.15
	TOTAL	3673.07
Customs	Supreme Court	154.42
	CESTAT Bangalore	24.14
	TOTAL	178.56
EXCISE	CESTAT, Bangalore	48.12
	Commissioner, Hyderabad	85.41
	TOTAL	133.53
Sales Tax	Appellate DC	1046.62
	STAT-New Delhi	42.18
	Special Tribunal- Chennai	25.28
	Assessing Officer, Bangalore	2.05
	ADC, Kolkata	0.38
	TOTAL	1116.51

Company's Replies

- x)** The company has no accumulated losses and it has not incurred any cash losses during the financial year covered by our audit and in the immediately preceding financial year.
- xi)** The company has not defaulted in repayment of dues to Financial institutions or Banks.
- xii)** The company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiii)** The company is not a chit fund or nidhi / mutual benefit fund / society. Therefore, the provisions of

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध

कंपनी द्वारा उत्तर

- xiv) हमारी राय में कंपनी शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और अन्य निवेशों में किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड -4(xiv) के प्रावधान कंपनी को लागू नहीं है।
- xv) हमारी राय में, बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर उन व्यक्तियों (मूलतः कर्मचारी) को जिन शर्तों के आधार पर कंपनी ने गारंटी दी है, इससे कंपनी को हानि नहीं होगी।
- xvi) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की सावधिक ऋण नहीं ली है और ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया आवेदन कंपनी पर लागू नहीं है।
- xvii) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र को समग्र रूप से परीक्षा के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि के आधार पर उगायी गयी निधि को दीर्घावधि निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।
- xviii) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर किये जानेवाले पार्टियाँ एवं कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का प्रिफरेंशियल आंवटन नहीं किया।
- xix) कंपनी ने किसी प्रकार के डिबेंचरों को जारी नहीं किया। जारी किया गय डिबेंचर पर सेक्यूरिटी क्रियेट करना, कंपनी पर लागू नहीं है।
- xx) कंपनी ने पब्लिक इश्यू पर किसी प्रकार की निधि उगाही नहीं है और पब्लिक इश्यू द्वारा उगाही गई डिस्कोलजर ऑन दि एंड यूस ऑफ मनि, कंपनी पर लागू नहीं है।
- xxi) हमें प्रस्तुत सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं वित्तीय विवरणों का सत्य एवं फेयर दृष्टिकोण हेतु अपनायी गयी लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में किसी प्रकार का छल व्यवहार दिखाई नहीं दिया।

कृते लक्ष्मीनिवास एण्ड जैन
सनदी लेखापाल

(लक्ष्मीनिवास शर्मा)
भागीदार

एम. नं. 014244

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 19.08.2008

कृते एवं बोर्ड की ओर से

के.एस. राजशेखर राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक: 29.09.2008

Annexure to the Auditors' Report

clause 4(xiii) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.

- xiv)** The company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. Accordingly, the provisions of clause 4(xiv) of the Companies (Auditors' Report) Order, 2003 are not applicable to the company.
- xv)** In our opinion the terms and conditions on which the company has given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions are not prejudicial to the interest of the company.
- xvi)** In our opinion and as per the information and explanations given to us the company has not taken any term loans during the year and application of loans for the purpose for which the loans were obtained is not applicable to the company.
- xvii)** According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investments.
- xviii)** The company has not been made any preferential allotment of shares to the parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.
- xix)** The company has not issued any debentures and creation of security or charge is not applicable to the company.
- xx)** The company has not raised any funds by public issue and disclosure on the end use of money raised by the public issue is not applicable to the company.
- xxi)** According to the information and explanations given to us and based upon the audit procedures performed for the purposes of reporting 'true and fair view' of the financial statements, we report that no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

For Laxminiwas & Jain
Chartered Accountants

(Laxminiwas Sharma)
Partner
M.No. 014244

Place : Hyderabad
Date : 19.08.2008

Company's Replies

For and on behalf of the Board of Directors

(K S Rajasekhara Rao)
Chairman & Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 29.09.2008

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध - 4

Annexure-IV to the Directors' Report

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद के लेखे पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुरूप 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये ईसीआईएल, हैदराबाद का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबन्धन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिये कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा परीक्षक का दायित्व है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक पर आधारित है। यह विदित हुआ कि दिनांक 19-8-2008 के साथ लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये ईसीआईएल, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से मैंने अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य किया। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा कार्य स्वतन्त्ररूप से किया गया और यह सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कंपनी कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकार्डों का परीक्षण तक सीमित है। मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे जानकारी में उल्लेखनीय बात कुछ भी नहीं है जिससे कोई टिप्पणी करनी पड़ती या सांविधिक लेखा परीक्षा में जोड़नी पड़ती।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF ELECTRONICS CORPORATION OF INDIA LIMITED, HYDERABAD, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2008

The Preparation of financial statements of Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad for the year ended 31 March 2008 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 August 2008.

I on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Electronics Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2008. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

for and on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India

राय माथरानी

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और
लेखा परीक्षा मंडल के पदेन सदस्य हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 29.09.2008

Sd/-

Roy Mathrani

Principal Director of Commercial
Audit and Ex-officio Member,
Audit Board, Hyderabad

Place : Hyderabad

Date : 29 September 2008